

ज़कात, स-द-क़ए फ़ित्र और झर के फ़ज़ाइल व मस्साइल पर मुश्तमिल गुलदस्ता

Faizane Zakat (Hindi)

फ़ैज़ाने ज़कात



- ⊗ ज़कात देने के फ़ज़ाइल
- ⊗ करन्सी नोट की ज़कात
- ⊗ ज़कात किस पर फ़र्ज है ?
- ⊗ जानवरों की ज़कात
- ⊗ सोना चांदी की ज़कात
- ⊗ ज़कात किस को दें ?
- ⊗ माले तिजारत की ज़कात
- ⊗ स-द-क़ए फ़ित्र

مكتبة المدينة
(مركز إسلامي)

مكتبة المدينة
(مركز إسلامي)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैखे त्रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि र-जवी दَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये

اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ
 عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

तरजमा : ऐ अव्वाह! غُرُوْحَل! हम पर इल्म व हिकमत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अ-ज़मत और बुजुर्गी वाले। (المستطرف ج ١ ص ٤٠٤ دارالفکر بیروت)

नोट : अव्वल आख़िर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये।

तालिबे ग़मे मदीना

व बकीअ

व मग़िफ़रत

13 शबालतुल मुक़र्रम 1428 हि.

फैज़ाने ज़कात

येह किताब (फैज़ाने ज़कात)

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने उर्दू ज़बान में पेश की है।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस किताब को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है, इस में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएँ तो मजलिसे तराजिम को (ब जरीअए मक्तूब, ई-मेइल) मुत्तलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) मक-त-बतुल मदीना

सिलेक्टेड हाउस, अलिफ की मस्जिद के सामने,

तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद, गुजरात।

MO. 09374031409

E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

ज़कात, स-द-क़ए फ़ित्र और उ़शर के फ़ज़ाइल व
मसाइल पर मुश्तमिल गुलदस्ता

फ़ैज़ाने ज़कात

पेशकश :

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (शो 'बए इस्लाही कुतुब)

नाशिर

मक-त-बतुल मदीना अहमदआबाद

الصلوة والسلام على من لا نبي بعده
وعلى آله وصحبه وسلم

नाम किताब : फ़ैज़ाने ज़कात

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या
(शो 'बए इस्लाही कुतुब)

सिने त्बाअत : मई 2013 सि.ई. / र-जबुल मुरज्जब 1434 सि.हि.

नाशिर : मक-त-बतुल मदीना, अहमदआबाद -1

मक-त-बतुल मदीना की शाखें

मुम्बई : 19,20, मुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस
के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ मस्जिद,
देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपुर : मस्जिद ग़रीब नवाज़ के सामने, सैफ़ी नगर रोड,
मोमिन पुरा, नाग पूर - फ़ोन : 09373110621

अजमेर शरीफ़ : 19 / 216 फ़लाहे दारैन मस्जिद, नाला बाज़ार,
स्टेशन रोड, अजमेर

हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुरा, हैदरआबाद फ़ोन :
040-24572786

हुब्ली : A.J. मुढोल कोम्पलेक्ष, A.J. मुढोल रोड, ओल्ड
हुब्ली ब्रीज के पास, हुब्ली, कर्नाटक फ़ोन :
08363244860

Ph : 9327168200 E-mail: maktabaahmedabad@gmail.com

www.dawateislami.net

तम्बीह : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं है ।

इज्माली फ़ेहरिस्त

नम्बर शुमार	उन्वान	सफ़्हा
1	अल मदीनतुल इल्मिय्या का तअरुफ़	A5
2	ज़कात के मसाइल सीख लीजिये	A7
3	इस्लाम का बुन्यादी रुक्न	1
4	ज़कात फ़र्ज़ है	2
5	ज़कात देने के फ़ज़ाइल	5
6	ज़कात न देने की वईदें	13
7	ज़कात किस पर फ़र्ज़ है ?	20
8	सोना चांदी की ज़कात और उस की अदाएगी का तरीक़ा	27
9	माले तिजारत की ज़कात और उस की अदाएगी का तरीक़ा	39
10	करन्सी नोट की ज़कात और उस की अदाएगी का तरीक़ा	46
11	क़र्ज़ और ज़कात और उस की अदाएगी का तरीक़ा	51
12	मसारिफ़े ज़कात	57
13	ज़कात की अदाएगी दुरुस्त होने की शराइत	74
14	जानवरों की ज़कात और उस की अदाएगी का तरीक़ा	104
15	स-द-क़ए फ़िज़्र	111
16	उ़श्र के अहक़ाम	123

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 مَا بَعْدَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“ज़कात के फ़ज़ाइल” के 11 हुरूफ़ की निस्बत से
 इस किताब को पढ़ने की “11 निय्यतें”

मुसलमान نَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ : صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُسْتَفَاهَا
 फ़रमाने मुस्तफ़ा की निय्यत उस के अमल से बेहतर है।

(المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ٥٩٤٢، ج ٦، ص ١٨٥)

दो म-दनी फूल : ﴿1﴾ बिगैर अच्छी निय्यत के किसी भी अ-मले ख़ैर
 का सवाब नहीं मिलता।

﴿2﴾ जितनी अच्छी निय्यतें ज़ियादा, उतना सवाब भी ज़ियादा।

﴿1﴾ हर बार ह़म्द व ﴿2﴾ सलात और ﴿3﴾ तअव्वुज व ﴿4﴾

तस्मिया से आगाज़ करूंगा। (इसी सफ़हा पर ऊपर दी हुई दो अ-रबी
 इबारात पढ़ लेने से चारों निय्यतों पर अमल हो जाएगा)। ﴿5﴾ हत्तल वस्अ

इस का बा वुजू और ﴿6﴾ किब्ला रू मुता-लअ करूंगा ﴿7﴾ कुरआनी
 आयात और ﴿8﴾ अहादीसे मुबा-रका की ज़ियारत करूंगा ﴿9﴾ जहां

जहां “अल्लाह” का नामे पाक आएगा वहां عَزَّ وَجَلَّ और ﴿10﴾ जहां
 जहां “सरकार” का इस्मे मुबारक आएगा वहां صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

पढ़ूंगा। ﴿11﴾ किताबत वगैरा में शर-ई ग़-लती मिली तो नाशिरीन को
 तहरीरी तौर पर मुत्तलअ करूंगा (मुसन्निफ़ या नाशिरीन वगैरा को किताबों
 की अग़लात सिर्फ़ ज़बानी बताना ख़ास मुफ़ीद नहीं होता)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
مَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अल मदीनतुल इल्मिय्या

अज् : बानिये दा'वते इस्लामी, अशिके आ'ला हज़रत, शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अन्तार कादिरी र-ज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ

الحمد لله على إحسانه وفضل رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم

तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक

“दा'वते इस्लामी” नेकी की दा'वत, एहयाए सुन्नत और इशाअते इल्मे शरीअत को दुन्या भर में आम करने का अज़मे मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्नो ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मु-तअद्दद मजालिस का क़ियाम अमल में लाया गया है जिन में से एक मजालिस “अल मदीनतुल इल्मिय्या” भी है जो दा'वते इस्लामी के उ-लमा व मुफ़्तयाने किराम كَرَّمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इल्मी, तहकीकी और इशाअती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए जैल छ शो'बे हैं :

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| (1) शो'बए कुतुबे आ'ला हज़रत | (2) शो'बए दर्सी कुतुब |
| (3) शो'बए इस्लाही कुतुब | (4) शो'बए तराजिमे कुतुब |
| (5) शो'बए तफ़्तीशे कुतुब | (6) शो'बए तख़्बीज |

“अल मदीनतुल इल्मिय्या” की अव्वलीन तरजीह सरकारे आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अज़ीमुल ब-र-कत, अज़ीमुल मर्तबत,

परवानए शम्ए रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदअत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीकत, बाइसे खैरो ब-र-कत, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज़ अल कारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की गिरां मायह तसानीफ़ को असे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक़ हत्तल वस्अ सहल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इल्मी, तहकीकी और इशाअती म-दनी काम में हर मुम्किन तआवुन फ़रमाएं और मजलिस की तरफ़ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी मुता-लआ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं।

अल्लाह غَزَوْجَل “दा वते इस्लामी” की तमाम मजालिस ब शुमूल “अल मदीनतुल इल्मिय्या” को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक्की अता फ़रमाए और हमारे हर अ-मले खैर को जेवरे इख़्लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें जेरे गुम्बदे खज़रा शहादत, जन्नतुल बकीअ में मदफ़न और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फ़रमाए।

امین بجاؤ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



र-मज़ानुल मुबारक 1425 हि.

ज़कात के मसाइल सीख लीजिये.....

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने अ-ज़मत निशान है : “इस्लाम की बुन्याद पांच बातों पर है, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तआला के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुहम्मद (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) उस के रसूल हैं, नमाज़ काइम करना, ज़कात अदा करना, हज़ करना और र-मज़ान के रोज़े रखना।”

(صحيح البخارى، كتاب الايمان، باب دعاء كم ايمانكم، الحديث 8، ج 1، ص 14)

मज़कूरा फ़रमाने अ-ज़मत निशान में नमाज़ के बा'द जिस इबादत का ज़िक्र किया गया है वोह ज़कात है। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन और माली इबादत है। कुरआने मजीद फुरकाने हमीद की मु-तअद्दद आयाते मुक़द्दसा में ज़कात अदा करने वालों की ता'रीफ़ व तौसीफ़ और न देने वालों की मज़म्मत की गई है। ज़कात की अदाएगी के फ़ज़ाइल पाने और अ-दमे अदाएगी के नुक़सानात से बचने के लिये ज़कात के शर-ई मसाइल का सीखना बेहद ज़रूरी है। मगर सद हैफ़ कि इल्मे दीन की कमी की वजह से मुसल्मानों की अक्सरियत इन मसाइल से ना वाकिफ़ है। येही वजह है कि बा'ज़ अवकात किसी पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी होती है लेकिन वोह इस से ला इल्म होता है। याद रखिये कि मालिके निसाब होने की सूरत में ज़कात के मसाइल सीखना फ़र्ज़ ऐन है। इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आ'ला हज़रत अशशाह मौलाना अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن (अल मु-तवफ़ा 1340 हि.) फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 23 सफ़हा 624 पर लिखते हैं : मालिके निसाबे नामी (या'नी हक्कीकतन या हुक्मन बढ़ने वाले माल के निसाब का मालिक) हो जाए तो मसाइले ज़कात (सीखना फ़र्ज़ ऐन है।)

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 23, स. 624)

जेरे नज़र किताब “फैजाने जकात” को मुरत्तब करने के लिये रद्दुल मुहूतार, अल फ़तावल हिन्दिय्या, फ़तावा र-ज़विय्या, बहारे शरीअत, फ़तावा फ़कीहे मिल्लत और शैख़े त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि رَضِيَ اللهُ عَنْهُ के म-दनी मुजा-करों (बिल खुसूस म-दनी मुजा-करा नम्बर 101, 102) से मवाद लिया गया है। इस किताब में हत्तल वस्अ ज़कात, स-द-क़ए फ़िज़ और उ़र के फ़ज़ाइल व मसाइल को इन्तिहाई आसान पैराए में उन्वानात के तहूत हवाला जात के इल्तिज़ाम के साथ पेश करने की कोशिश की गई है ताकि कम इल्म भी इस से फ़ाएदा हासिल कर सकें, फिर भी इल्म बहुत मुश्किल चीज़ है येह मुम्किन नहीं कि इल्मी दुश्वारियां बिल्कुल जाती रहें। यकीनन बहुत से मक़ामात अब भी ऐसे होंगे कि उ-लमा से समझने की हाज़त होगी। लिहाज़ा जो बात समझ में न आए, समझने के लिये उ-लमाए किराम رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ से रुजूअ कीजिये। इस किताब में (चन्द एक मक़ामात के इलावा) मसाइल के दलाइल और हवाले की इबारतें नक्ल नहीं की गई क्यूं कि अव्वल तो दलीलों का समझना हर शख्स का काम नहीं, दूसरा दलीलों की वजह से अक्सर ऐसी उल्झन पड़ जाती है कि नफ़से मस्अला समझना दुश्वार हो जाता है। अगर किसी को दलाइल का शौक़ हो तो हवाले में लिखी गई कुतुब बिल खुसूस फ़तावा र-ज़विय्या शरीफ़ का मुता-लआ करें कि الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ उस में हर मस्अले की ऐसी तहकीक़ की गई है जिस की नज़ीर आज दुन्या में मौजूद नहीं।

इस अहम किताब को न सिर्फ़ खुद पढ़िये बल्कि दूसरे मुसलमानों को भी पढ़ने की तरगीब दे कर नेकी की दा'वत को आ़म करने का सवाब कमाइये। अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें “अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश” करने के लिये म-दनी इन्आमात पर अमल और म-दनी काफ़िलों का मुसाफ़िर बनते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दा'वते इस्लामी की तमाम मजालिस ब शुमूल मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या को दिन ग्यारहवीं रात बारहवीं तरक्की अता फ़रमाए। اصْبِرِينَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

शो'बाए इस्लाही कुतुब (मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या)

तपसीली फ़ेहरिस्त

उन्वान	सफ़ह	उन्वान	सफ़ह
दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत	1	शराइत् की तपसील	20
इस्लाम का बुन्यादी रुक्न	1	निसाब का मालिक	20
ज़कात फ़र्ज़ है	2	मालिके निसाब होने से पहले ज़कात देना	20
ज़कात की फ़र्ज़ियत की 3 रिवायात	3	माले ह़राम पर ज़कात	21
ज़कात कब फ़र्ज़ हुई ?	5	माले ह़राम से नजात का तरीक़ा	21
ज़कात की फ़र्ज़ियत का इन्कार करना कैसा ?	5	माले नामी का मतलब	22
ज़कात अदा करने के 16 फ़ज़ाइल		हाजते अस्तिह्या किसे कहते हैं ?	22
व फ़वाइद	5	साल कब मुकम्मल होगा ?	23
तक्मीले ईमान का ज़रीआ	5	क-मरी महीनों का ए'तिबार होगा या शम्सी का ?	23
रहमते इलाही عَزَّوَجَلَّ की बरसात	6	दौराने साल निसाब में कमी होना	24
तक्वा व परहेज़ ग़ारी का हुसूल	6	दौराने साल निसाब में इज़ाफ़ा होना	24
काम्याबी का रास्ता	6	दौराने साल निसाब हलाक होना	25
नुस्ते इलाही عَزَّوَجَلَّ का मुस्तहिक़	7	ज़मानए कुफ़्र की ज़कात	25
अच्छे लोगों में शुमार होने वाला	7	ना बालिग़ और पागल पर ज़कात	26
दिल में खुशी दाख़िल करने का सवाब	8	मज्ज़ून के साले ज़कात का आगाज़	26
इस्लामी भाईचारे का बेहतरीन इज़हार	8	अम्वाले ज़कात	26
फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ का मिस्ताक़	9	सोना चांदी का निसाब	27
माल पाक हो जाता है	9	कितनी ज़कात देना होगी ?	27
बुरी सिफ़ात से छुटकारा	9	निसाब से ज़ाइद का हुक्म	27
माल में ब-र-कत	10	निसाब और खुम्स से ज़ाइद पर ज़कात	28
शर से हिफ़ाज़त	11	एक ही जिन्स के मुख़तलिफ़ अम्वाल और	
हिफ़ाज़ते माल का सबब	12	ज़कात का हिसाब	28
हाजत रवाई	12	अगर सोने का निसाब मुकम्मल हो और	
दुआएं मिलती हैं	12	चांदी का ना मुकम्मल	30
ज़कात न देने के 8 नुक़सानात	13	ज़कात में सोने चांदी की क़ीमत देना	31
ज़कात की ता'रीफ़	19	क़ीमत की ता'रीफ़	31
ज़कात को ज़कात कहने की वजह	19	किस भाव का ए'तिबार होगा ?	31
ज़कात की अक़्साम	19	किस जगह की क़ीमत ली जाएगी ?	31
ज़कात किस पर फ़र्ज़ है ?	20	क़ीमत किस दिन की मो'तबर है ?	31

उन्वान	सफ़ह	उन्वान	सफ़ह
सोने चांदी की ज़कात का हिसाब	32	दुकान की ज़कात	42
खोट का हुक्म	33	एडवान्स पर ज़कात	43
पहनने वाले ज़ेवरात की ज़कात	34	धोबी के साबुन और रंगसाज के रंग पर ज़कात	43
आग के कंगन	34	खुशबू बेचने वाले की शीशियों पर ज़कात	43
सोने चांदी के ज़ेवरात और बरतनों की ज़कात	34	नानबाई पर ज़कात	44
सोने चांदी के बरतनों का इस्ति'माल	35	किताबों पर ज़कात	44
जहेज़ की ज़कात	35	किराए पर दिये गए मकान पर ज़कात	44
बीवी के ज़ेवर की ज़कात	36	किराए पर चलने वाली गाड़ियों और बसों पर ज़कात	44
शोहर के समझाने के बा वुजूद बीवी ज़कात		घरेलू सामान पर ज़कात	45
न दे तो ?	36	सजावट की अश्या पर ज़कात	45
रहन रखे गए ज़ेवर की ज़कात	36	बैआना में दी गई रक़म पर ज़कात	45
अगर शोहर ने बीवी का ज़ेवर रहन रखवाया हो तो ?	37	ख़रीदी गई चीज़ पर क़ब्जे से पहले ज़कात	45
ज़ेवर की गुज़्रता सालों की ज़कात अदा		करन्सी नोट की ज़कात	46
करने का तरीका	37	नोट का निसाब	46
सोने का ना जाइज़ इस्ति'माल करने वाले पर ज़कात	38	नोट की ज़कात का हिसाब	46
हीरों और मोतियों पर ज़कात	38	करन्सी नोटों की ज़कात का ज़द्वल	47
सोने या चांदी की कढ़ाई पर ज़कात	38	बेटियों की शादी के लिये ज़म्अ की गई	
हज़ के लिये ज़म्अ की जाने वाली रक़म पर ज़कात	38	रक़म पर ज़कात	47
माले तिजारत और उस की ज़कात	39	अमानत में दी गई रक़म पर ज़कात	47
माले तिजारत किसे कहते हैं ?	39	इन्शोरन्स की रक़म पर ज़कात	47
विरासत में छोड़ा हुआ माले तिजारत	39	हज़ के लिये ज़म्अ करवाई गई रक़म पर ज़कात	48
माले तिजारत का निसाब	39	प्रोविडन्ट फ़न्ड पर ज़कात	48
माले तिजारत की ज़कात	40	मुलाज़िमीन को मिलने वाले बोनस पर ज़कात	49
माले तिजारत के नफ़अ पर ज़कात	40	बैंक में ज़म्अ करवाई रक़म पर ज़कात	49
माले तिजारत की ज़कात का हिसाब	40	बीसी (कमीटी) की रक़म पर ज़कात	50
क़ीमत वक़ते ख़रीदारी की या साल तमाम होने की ?	40	हिसाब का तरीका	50
होलसेल की ज़कात अदा करने का तरीका	40	क़र्ज़ और ज़कात	51
उधार में लिया हुआ माल	41	मदयून पर ज़कात ?	51
होलसेल के निख़्त का ए'तिबार होगा या रीटेल का	41	अगर खुद मदयून न हो मगर मदयून का	
हिसाब का तरीका	41	ज़ामिन हो तो ?	52
क्या हर साल ज़कात देना होगी ?	42	क्या हर तरह का क़र्ज़ वुजूबे ज़कात	
ख़रीदने के बा'द निय्यत बदल जाना	42	में रुकावट बनेगा ?	52

उन्वान	सफ़ह	उन्वान	सफ़ह
साल गुज़रने के बा'द मक्क़ुज़ हो गया तो ?	52	गदा-गरों को ज़कात देना	66
महर और ज़कात	53	गदा-गरों की तीन किसमें	66
औरत पर उस के महर की ज़कात	53	मद्रसा या जामिआ में ज़कात देना	67
मक्क़ुज़ शोहर की जौजा पर ज़कात	53	ज़कात के बारे में बता दीजिये	68
दैन (कर्ज़) का हुक्म	54	एक ही शख्स को सारी ज़कात दे देना	68
कर्ज़ की वापसी की उम्मीद न हो तो ?	55	एक शख्स को कितनी ज़कात देना मुस्तहब है	68
ज़कात वाजिब होने के बा'द माल में कमी का हुक्म	55	किस को ज़कात देना अफ़ज़ल है ?	69
मसारिफ़े ज़कात	57	सथ्यिद किसे ज़कात दे ?	69
ज़कात किसे दी जाए ?	57	क्या बहुत सारी किताबों का मालिक ज़कात ले सकता है ?	69
मुस्तहिके ज़कात को कैसे पहचानें ?	60	ग़नी का ज़कात लेना	70
ज़कात लेने वाला मुस्तहिके ज़कात न हुवा तो ?	60	जिस के पास छ तोले सोना हो !	71
क्या मदारिस के सफ़ीर भी आंमिल हैं ?	60	हाजते अस्लिथ्या से जाइद सामान हो तो ?	71
किन को ज़कात नहीं दे सकते ?	61	जिस के पास बहुत सा जहेज़ हो !	71
किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं ?	61	जिस के पास मोती जवाहिर हों !	72
किन गुलामों को ज़कात नहीं दे सकते ?	61	जिस के पास सर्दियों के बेश क़ीमत कपड़े हों !	72
किन गुलामों को ज़कात दे सकते हैं ?	62	जिस के पास बहुत बड़ा मकान हो !	72
मुतल्लका बीवी को ज़कात देना	62	जिस के मकान में बाग़ हो !	73
ग़नी की बीवी या बाप को ज़कात देना	62	क्या मालदार के लिये स-दका लेना जाइज़ है ?	73
ग़नी मां के ना बालिग़ बच्चे	63	ग़ैरे मुस्तहिक़ ने ज़कात ले ली तो ?	73
जिस औरत का महर अभी शोहर पर बाकी हो	63	ज़कात की अदाएगी	74
काफ़िर को ज़कात देना	63	ज़कात की अदाएगी की शराइत्	74
बद मजहब को ज़कात देना	63	ज़कात देते वक़्त निय्यत करना भूल गया तो ?	74
तालिबे इल्म को ज़कात देना	63	ज़कात के अल्फ़ज़	74
इमामे मस्जिद को ज़कात देना	64	ज़कात की अदाएगी में ताख़ीर करना	75
ज़कात की रक़म से इमामे मस्जिद को तन-ख़्वाह देना	64	ज़कात एक मुशत दें या थोड़ी थोड़ी ?	75
मां हाशिमि हो और बाप ग़ैरे हाशिमि तो ?	64	ज़कात एक मुशत दीजिये	75
सादाते किराम को ज़कात न देने की वजह बनू हाशिम कौन हैं ?	65	निय्यत में फ़र्क़ आ जाता	76
बनू हाशिम को ज़कात न देने की हिक़मत	65	क्या ज़कात अलग कर लेना काफ़ी है ?	76
सादात की इम्दाद की सूरत	66		

उन्वान	सफ़्हा	उन्वान	सफ़्हा
र-मजानुल मुबारक में ज़कात देना	76	वकील का किसी को वकील बनाना	84
ए'लानिया या पोशीदा ?	77	क्या वकील किसी को भी ज़कात दे सकता है ?	85
ज़कात दे कर एहसान जताना	77	क्या वकील खुद ज़कात रख सकता है ?	85
साल भर ख़ैरात करने के बा'द ज़कात की निय्यत करना	77	ज़कात पेशगी अदा करना	85
ज़कात देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?	78	पेशगी हिसाब का तरीका	86
ज़कात लेने वाले को इस का इल्म होना	78	पेशगी ज़कात ज़ियादा दे दी तो क्या करे ?	86
मिक्दारे ज़कात का मा'लूम होना	78	जिसे पेशगी ज़कात दी थी बा'द में	86
कर्ज़ कह कर ज़कात देने वाला	78	वोह मालदार हो गया तो ?	86
छोटे बच्चे को ज़कात देना	79	इस्खितामे साल पर निसाब बाक़ी न रहा तो ?	86
ज़कात की निय्यत से मकान का किराया मुआफ़ करना	79	ज़कात देने वाले के माल से ज़कात की अदाएगी	87
कर्ज़ मुआफ़ कर दिया तो ?	80	बिला इजाज़त किसी के माल से उस की ज़कात देना	87
मुआफ़ कर्दा कर्ज़ का शामिले ज़कात होना	80	ज़कात दिये बिग़ैर इन्तिकाल कर जाने वाले का हुक्म	87
ज़कात के तौर पर किसी का कर्ज़ अदा करना	80	मशरूत तौर पर ज़कात देना	87
यतीमों को कपड़े बनवा कर देने का हुक्म	80	ज़कात की रक़म तिजारत में लगाना	88
ज़कात की रक़म से किताबें ख़रीदना	80	माले ज़कात से वक्फ़	88
माले ज़कात से दीनी कुतुब छपवा कर तकसीम करना कैसा ?	81	ज़कात शहर से बाहर ले जाना	88
मिठाई के डिब्बे में ज़कात की रक़म रखना	81	बैंक से ज़कात की कटौती	89
ज़कात की रक़म वापस लेने का ना जाइज़ हीला	81	हीलए शर-ई	89
वकील की फ़ीस अदा करना	81	कान छेदने का रवाज कब से हुवा ?	90
तोहफ़े की सूरत में ज़कात देना	82	गाय के गोशत का तोहफ़ा	91
ज़कात की रक़म से अनाज ख़रीद कर देना	82	ज़कात का शर-ई हीला	91
कम क़ीमत में अनाज बेच कर ज़कात की निय्यत करना कैसा ?	82	हीलए शर-ई का तरीका	92
ज़कात देने में शक हो तो ?	83	100 अफ़्नाद को बराबर बराबर सवाब मिले	92
ला इल्मी में कम ज़कात देना	83	रख मत लेना	93
ज़कात अदा करने के लिये वकील बनाना	83	अगर शर-ई फ़क्कीर ज़कात ले कर वापस न दे तो ?	94
वकील को ज़कात का इल्म होना	83	भरोसे का आदमी न मिल सके तो ?	94
क्या वकील भी ज़कात की निय्यत करे ?	84	फ़क्कीर को ज़कात की रक़म भलाई के कामों में ख़र्च करने का मशवरा देना	94
नफ़्ती स-दका के लिये वकील बनाने के बा'द ज़कात की निय्यत करना	84	हीलए शर-ई किये बिग़ैर ज़कात मद्रसे	95
मुख़्तलिफ़ लोगों की ज़कात मिलाना	84	में ख़र्च कर दी तो क्या करे ?	95

उन्वान	सफ़्हा	उन्वान	सफ़्हा
मां बाप को ज़कात देने के लिये हीलाए शर-ई करना	95	स-द-क़ए फ़िज़्र की अदाएगी की हिकमत	113
ज़कात की जगह नफ़ी स-दक़ा करना	95	स-द-क़ए फ़िज़्र का शर-ई हुक्म	113
हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र <small>رَضِيَ اللهُ عَنْهُ</small>		स-द-क़ए फ़िज़्र किस पर वाजिब है ?	113
की वसियत	96	वुजूब का वक़्त	114
गौसे आ'ज़म <small>رَضِيَ اللهُ عَنْهُ</small> की तम्बीह	97	ज़कात और स-द-क़ए फ़िज़्र में फ़र्क़	114
चार फ़राइज़ में से तीन पर अमल करना	98	फ़िज़्र की अदाएगी की शाराइत	115
नमाज़ क़बूल नहीं	99	ना बालिग़ पर स-द-क़ए फ़िज़्र	115
जो स-दक़ा व ख़ैरात कर चुका उस का हुक्म	99	मां के पेट में मौजूद बच्चे का फ़िज़्र	115
शैतान के वार को पहचानिये	100	छोटे भाई का फ़िज़्र	115
ज़कात का हिसाब कैसे लगाए ?	101	अगर किसी का फ़िज़्र न दिया गया हो तो ?	116
कुसूर अपना है	102	बाप ने अगर रोज़े न रखे हों	116
बरसों की ज़कात की अदाएगी का एक हीला	102	मां पर बच्चों का फ़िज़्र वाजिब नहीं	116
ख़ुशदिली से ज़कात दीजिये	103	यतीम बच्चों का फ़िज़्र	116
जानवरों की ज़कात	104	ग़रीब बाप के बच्चों का फ़िज़्र	116
जानवरों की ज़कात कब फ़र्ज़ होगी ?	104	स-द-क़ए फ़िज़्र के लिये रोज़ा शर्त नहीं	117
तिजारत के लिये जानवर ख़रीद कर चराना		ना बालिग़ मन्कूहा लड़की का फ़िज़्र	
शुरूअ कर दिया तो	104	किस पर ?	117
वक्फ़ के जानवरों की ज़कात	105	बच्चे पाकिस्तान में और बाप मुल्क	
कितनी किस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है ?	105	से बाहर हो तो	117
ऊंट की ज़कात	105	शबे ईद बच्चा पैदा हुवा तो...?	118
मादा ऊंटनी की जगह नर ऊंट देना कैसा ?	108	शबे ईद मुसल्मान होने वाले का फ़िज़्र	118
ऊंटों की ज़कात में मज़क़ूरा जानवरों		माल जाएअ हो जाए तो....?	118
की जगह उन की कीमत देना	108	फ़ौतशुदा शख़्स का फ़िज़्र	118
गाय की ज़कात	108	मेहमानों का फ़िज़्र	119
बकरियों की ज़कात	109	शादीशुदा बेटी का फ़िज़्र	119
जानवरों की ज़कात के दीगर मसाइल	110	बिला इजाज़त फ़िज़्र अदा करना	119
कितनी उम्र के जानवरों की ज़कात वाजिब है ?	110	स-द-क़ए फ़िज़्र किन चीज़ों से अदा होता है	119
अगर कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो ?	110	स-द-क़ए फ़िज़्र की मिक्दार	120
घोड़े गधे और ख़च्चर की ज़कात	110	स-द-क़ए फ़िज़्र की मिक्दार	
स-द-क़ए फ़िज़्र	111	आसान लफ़्ज़ों में	120
स-द-क़ए फ़िज़्र की फ़ज़ीलत की 4 रिवायात	111	स-द-क़ए फ़िज़्र की अदाएगी का वक़्त	120
स-द-क़ए फ़िज़्र कब मशरूअ हुवा ?	112	स-द-क़ए फ़िज़्र र-मज़ान में अदा कर दिया तो ?	121

उन्वान	सफ़ह	उन्वान	सफ़ह
र-मज़ान से भी पहले स-द-क़ए		उश्र की अदाएगी से पहले अख़राजात	
फ़िज़्र अदा करना	121	अलग करना	133
पेशगी फ़िज़्रा देते वक़्त साहिबे निसाब होना	121	उश्र की अदाएगी	134
अगर ईद के बा'द स-द-क़ए फ़िज़्र		उश्र पेशगी अदा करना	134
दिया तो ?	121	फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने	
क्या देना अफ़ज़ल है ?	121	से मुराद	135
फ़िज़्रा किस को दिया जाए ?	122	पैदावार बेच दी तो उश्र किस पर है ?	135
किससे स-द-क़ए फ़िज़्र नहीं दे सकते ?	122	उश्र की अदाएगी में ताख़ीर	135
एक शख़्स का फ़िज़्रा एक ही मिस्कीन		उश्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल	136
को देना	122	उश्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?	136
उश्र का बयान	123	उश्र में रक़म देना	137
उश्र के फ़ज़ाइल	123	अगर त्वील अर्से से उश्र अदा न किया	
उश्र अदा न करने का वबाल	125	हो तो ?	137
किस पैदावार पर उश्र वाजिब है ?	126	अगर फ़सल ही काशत न की तो ?	137
शहद की पैदावार पर उश्र	128	फ़सल जाएअ होने की सूरत में उश्र	137
किस पैदावार पर उश्र वाजिब नहीं	128	उश्र किस को दिया जाए	138
उश्र वाजिब होने के लिये कम अज़		ख़रीफ़ की फ़सलें, सब्ज़ियां और फल	138
कम मिक्दाद	129	रबीअ की फ़सलें, सब्ज़ियां और फल	139
पागल और ना बालिग़ पर उश्र	129	सुवाल करने का वबाल	140
कर्ज़दार पर उश्र	130	सुवाल करने की मजम्मत के बारे में	
शर-ई फ़कीर पर उश्र	130	म-दनी आका <small>على الله عليه وسلم</small> के 6 फ़रामीन	140
उश्र के लिये साल गुज़रना शर्त है		म-दनी इल्तिजा	142
या नहीं ?	131	दा'वते इस्लामी की झलकियां	143
मुख़ालिफ़ ज़मीनों का उश्र	131	मआख़िज़ो मराजेअ	149
ठेके की ज़मीनों का उश्र	132		
अगर खुद फ़सल न बोई तो उश्र किस पर है ?	132		
मुशतरिका ज़मीन का उश्र	133		
घरेलू पैदावार पर उश्र	133		

एक चुप सो सुख

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
مَا بَعُدَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

दुरूदे पाक की फ़ज़ीलत

सरकारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना, फ़ैज़ गन्जीना, साहिबे मुअत्तर
पसीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ की
खातिर आपस में महबूबत रखने वाले जब बाहम मिलें और मुसा-फ़हा
करें और नबी (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) पर दुरूदे पाक भेजें तो उन के
जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख़्शा दिये जाते हैं।”

(مسند ابى يعلى، الحديث ٢٩٥١، ج ٣، ص ٩٥)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

इस्लाम का बुन्यादी रुक्न

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! ज़कात इस्लाम का बुन्यादी रुक्न
है। अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उयूब
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने अ-ज़मत निशान है : “इस्लाम की
बुन्याद पांच बातों पर है, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तअाला
के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुहम्मद (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) उस के
रसूल हैं, नमाज़ क़ाइम करना, ज़कात अदा करना, हूज़ करना और
र-मज़ान के रोज़े रखना।”

(صحيح البخارى، كتاب الايمان، باب دعاء كم ايمانكم، الحديث ٨، ج ١، ص ٤١)

ज़कात की अहम्मियत का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा
सकता है। कुरआने मजीद फुरक़ाने हमीद में नमाज़ और ज़कात का एक साथ

32 मरतबा ज़िक्र आया है। (ردالمحتار، کتاب الزکوٰۃ، ج ۳، ص ۲۰۲) **इलावा** अर्जी ज़कात देने वाला खुश नसीब दुन्यवी व उख़वी सआदतों को अपने दामन में समेट लेता है। (जिन का ज़िक्र अगले सफ़हात में आ रहा है।)

ज़कात फ़र्ज़ है

ज़कात की फ़र्ज़ियत किताब व सुन्नत से साबित है। **अल्लाह** कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और नमाज़
काइम रखो और ज़कात दो।
(پ ۱، البقرة: ۴۳)

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي** (अल मु-तवफ़्फ़ा 1367 हि.) इस आयत के तहत तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में लिखते हैं : “इस आयत में नमाज़ व ज़कात की फ़र्ज़ियत का बयान है।”

حُدْمِنُ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ महबूब
تَطَهَّرَهُمْ وَتَزَكَّيَهُمْ بِهَا उन के माल में से ज़कात तहसील करो
जिस से तुम उन्हें सुथरा और पाकीज़ा
कर दो।
(پ ۱، التوبة: ۱۰۳)

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي** (अल मु-तवफ़्फ़ा 1367 हि.) इस आयत के तहत तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में लिखते हैं : आयत में जो स-दका वारिद हुवा है उस के मा'ना में मुफ़स्सरीन के कई कौल हैं। **एक** तो यह कि वोह स-दका ग़ैर वाजिबा था जो बतौरै कफ़फ़ारा के इन साहिबों ने दिया था जिन का ज़िक्र ऊपर की आयत में है।

दूसरा कौल यह है कि इस स-दके से मुराद वोह ज़कात है जो उन के जिम्मे वाजिब थी, वोह ताइब हुए और उन्हों ने ज़कात अदा करनी चाही तो अल्लाह तआला ने उस के लेने का हुक्म दिया। इमाम अबू बक्र राजी जिसास رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने इस कौल को तरजीह दी है कि स-दके से ज़कात मुराद है।

(خازن و احكام القرآن)

“फ़र्ज़” के तीन हुरूफ़ की निस्बत से ज़कात की फ़र्ज़ियत के मु-तअल्लिक 3 रिवायात

(1) हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है कि शहन्शाहे मदीना, करारे क़ल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फैज़ गन्जीना صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “मुझे अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ ने इस पर मामूर किया है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक लडूँ जब तक वोह येह गवाही न दें कि अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ के सिवा कोई सच्चा मा'बूद नहीं और मुहम्मद (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) खुदा के सच्चे रसूल हैं, ठीक तरह नमाज़ अदा करें, ज़कात दें, पस अगर ऐसा कर लें तो मुझ से उन के माल और जानें महफूज़ हो जाएंगे सिवाए उस सज़ा के जो इस्लाम ने (किसी हद के सिल्लिसले में) उन पर लाज़िम कर दी हो।”

(صحيح البخارى، كتاب الايمان، باب فان تابوا واقاموا الصلوة، الحديث ٢٥، ج ١، ص ٢٠)

(2) नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने जब हज़रते सय्यिदुना मुआज़ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ को जब यमन की तरफ़ भेजा तो फ़रमाया : इन को बताओ कि अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ ने उन के मालों में ज़कात फ़र्ज़ की है मालदारों से ले कर फु-करा को दी जाए।”

(سنن الترمذی، كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية اخذ خيار المال في الصدقة، الحديث ٦٢٥، ج ٢، ص ١٢٦)

(3) हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते हैं : जब रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का विसाले ज़ाहिरी हो गया और हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ख़लीफ़ा बने और कुछ क़बाइले अरब मुरतद हो गए (कि ज़कात की फ़र्जियत से इन्कार कर बैठे) तो हज़रते सय्यिदुना उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने कहा : आप लोगों से कैसे मुआ-मला करेंगे जब कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “मैं लोगों से जिहाद करने पर मामूर हूँ जब तक वोह لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ न पढ़ें। जिस ने لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ का इक़्ार कर लिया उस ने अपनी जान और अपना माल मुझ से महफूज़ कर लिया मगर येह कि किसी का हक़ बनता हो और वोह **अल्लाह** عَزَّ وَجَلَّ के जिम्मे है।” (या'नी येह लोग तो لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ कहने वाले हैं, उन पर कैसे जिहाद किया जाएगा)

हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने कहा : “**अल्लाह** عَزَّ وَجَلَّ की क़सम ! मैं उस शख़्स से जिहाद करूंगा जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ करेगा (कि नमाज़ को फ़र्ज माने और ज़कात की फ़र्जियत से इन्कार करे) और ज़कात माल का हक़ है ब खुदा अगर उन्हों ने (वाजिबुल अदा) एक रस्सी भी रोकी जो वोह रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के दौर में दिया करते थे तो मैं उन से जंग करूंगा।” हज़रते सय्यिदुना उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते हैं : “वल्लाह ! मैं ने देखा कि **अल्लाह** तआला ने सिद्दीक़ का सीना खोल दिया है। उस वक़्त मैं ने भी पहचान लिया कि वोही हक़ है।”

(صحيح البخارى، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، الحديث 1399، 1400، ج 1، ص 472، 473)

सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَظِيمَةِ (अल मु-तवफ़्फ़ा 1376 हि.) इस रिवायत की वज़ाहूत करते हुए लिखते हैं : “इस हदीस से मा'लूम हुवा कि निरी कलिमा गोई इस्लाम के लिये काफ़ी नहीं, जब तक तमाम ज़रूरिय्याते दीन का इक़्ार न करे और

अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूके आ'ज़म رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का बहस करना इस वजह से था कि उन के इल्म में पहले यह बात न थी, कि वोह फ़र्जियत के मुन्किर हैं येह ख़याल था कि ज़कात देते नहीं इस की वजह से गुनहगार हुए, काफ़िर तो न हुए कि उन पर जिहाद काइम किया जाए, मगर जब मा'लूम हो गया तो फ़रमाते हैं मैं ने पहचान लिया कि वोही हक़ है, जो (सय्यिदुना) सिद्दीक़ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने समझा और किया।”

(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 780)

ज़कात कब फ़र्ज़ हुई ?

ज़कात 2 हिजरी में रोज़ों से क़ब्ल फ़र्ज़ हुई।

(الدراالمختار، كتاب الزكوة، ج 3، ص 202)

ज़कात की फ़र्जियत का इन्कार करना कैसा ?

ज़कात का फ़र्ज़ होना कुरआन से साबित है, इस का इन्कार करनेवाला काफ़िर है।

(ماخوذ از الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول، ج 1، ص 170)

“ग़मे माल से बचा या इलाही” के सोलह हुरूफ़ की निस्बत से ज़कात अदा करने के 16 फ़ज़ाइल व फ़वाइद

(1) तक्मीले ईमान का ज़रीआ

ज़कात देना तक्मीले ईमान का ज़रीआ है जैसा कि हुज़ूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इशाद फ़रमाया : “तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना येह है कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा करो।”

(الترغيب والترهيب، كتاب الصدقات، باب الترغيب في اداء الزكوة، الحديث 12، ج 1، ص 301)

एक मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाया : “जो अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान रखता हो उसे लाज़िम है कि अपने माल की ज़कात अदा करे।”
(المعجم الكبير، الحديث ١٣٥٦١، ج ١٢، ص ٣٢٤)

(2) रहमते इलाही عَزَّوَجَلَّ की बरसात

ज़कात देने वाले पर रहमते इलाही عَزَّوَجَلَّ की छमाछम बरसात होती है। सू-रतुल आ'राफ़ में है :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۗ
مَسَاكِنَهُمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और मेरी रहमत हर चीज़ को घेरे है तो अन्क़रीब मैं ने'मतों को उन के लिये लिख दूंगा जो डरते और ज़कात देते हैं।

(प ९, الاعراف १०६)

(3) तक्वा व परहेज़ गारी का हुसूल

ज़कात देने से तक्वा हासिल होता है। कुरआने पाक में मुत्तक़ीन की अ़लामात में से एक अ़लामत येह भी बयान की गई है चुनान्चे इर्शाद होता है :

وَمَسَارِكُهُمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में उठाएं

(प १, البقرة: ३)

(4) काम्याबी का रास्ता

ज़कात देने वाला काम्याब लोगों की फ़ेहरिस्त में शामिल हो जाता है। जैसा कि कुरआने पाक में फ़लाह को पहुंचने वालों का एक काम ज़कात भी गिनवाया गया है चुनान्चे इर्शाद होता है :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ
 هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ
 هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ
 هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝

(प १८, المؤمنون १-४)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले जो अपनी नमाज़ में गिड़गिड़ाते हैं और वोह जो किसी बेहूदा बात की तरफ़ इल्लिफ़ात नहीं करते और वोह कि ज़कात देने का काम करते हैं ।

(5) नुस्ते इलाही عَزَّوَجَلَّ का मुस्तहिक़

अल्लाह तआला ज़कात अदा करने वाले की मदद फ़रमाता है । चुनान्चे इर्शाद होता है :

وَلَيُضِرَّكَ اللَّهُ مِنْ يَمِينِكَ
 إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝
 الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ
 أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
 الْمُنْكَرِ ۝ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

(प १७, الحج: ४०, ४१)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और बेशक अल्लाह ज़रूर मदद फ़रमाएगा उस की जो उस के दीन की मदद करेगा बेशक ज़रूर अल्लाह कुदरत वाला ग़ालिब है, वोह लोग कि अगर हम उन्हें ज़मीन में क़ाबू दें तो नमाज़ बरपा रखें और ज़कात दें और भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोकें और अल्लाह ही के लिये सब कामों का अन्जाम ।

(6) अच्छे लोगों में शुमार होने वाला

ज़कात अदा करना अल्लाह के घरों या'नी मसाजिद को आबाद करने वालों की सिफ़ात में से है चुनान्चे इर्शाद होता है :

إِنَّمَا يَعْزُمُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ
الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

(प १०, التوبة: १८)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अल्लाह की मस्जिदें वोही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़ियामत पर ईमान लाते और नमाज़ क़ाइम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते तो क़रीब है कि येह लोग हिदायत वालों में हों ।

(7) इस्लामी भाइयों के दिल में खुशी दाख़िल करने का सवाब

ज़कात की अदाएगी से ग़रीब इस्लामी भाइयों की ज़रूरत पूरी हो जाती है और उन के दिल में खुशी दाख़िल होती है ।

(8) इस्लामी भाईचारे का बेहतरीन इज़हार

ज़कात देने का अमल उखुव्वते इस्लामी की बेहतरीन ता'बीर है कि एक ग़नी मुसल्मान अपने ग़रीब इस्लामी भाई को ज़कात दे कर मुआ-शरे में सर उठा कर जीने का हौसला मुहय्या करता है । नीज़ ग़रीब इस्लामी भाई का दिल कीना व हसद की शिकार गाह बनने से महफूज़ रहता है क्यूं कि वोह जानता है कि उस के ग़नी इस्लामी भाई के माल में उस का भी हक़ है चुनान्चे वोह अपने भाई के जान, माल और औलाद में ब-र-कत के लिये दुआ गो रहता है, नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “बेशक मोमिन के लिये मोमिन मिस्ल इमारत के है, बा'ज़ बा'ज़ को तक्वियत पहुंचाता है ।”

(صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ... الخ، الْحَدِيثُ ٤٨١، ج ١، ص ١٨١)

(9) फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का मिस्ताक़

ज़कात मुसलमानों के दरमियान भाईचारा मज़बूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है जिस से इस्लामी मुआ-शरे में इज्तिमाइय्यत को फ़रोग़ मिलता है और इम्दादे बाहमी की बुन्याद पर मुसलमान अपने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के इस फ़रमाने अज़ीम का मिस्ताक़ बन जाते हैं : मुसलमानों की आपस में दोस्ती और रहमत और शफ़क़त की मिसाल जिस्म की तरह है, जब जिस्म का कोई उज़्व बीमार होता है तो बुख़ार और बे ख़्वाबी में सारा जिस्म उस का शरीक होता है ।

(صحیح مسلم، کتاب البر والصلوة والآداب، باب تراحم المؤمنین .. الخ، الحدیث ۲۵۸۶، ص ۱۳۹۶)

(10) माल पाक हो जाता है

ज़कात देने से माल पाक हो जाता है जैसा कि हज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना, साहिबे मुअ़त्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फ़ैज़ गन्जीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “अपने माल की ज़कात निकाल कि वोह पाक करने वाली है, तुझे पाक कर देगी ।”

(المستند للإمام احمد بن حنبل، مسند انس بن مالك، الحدیث ۱۲۳۹۷، ج ۴، ص ۲۷۴)

(11) बुरी सिफ़ात से छुटकारा

ज़कात देने से लालच व बुख़ल जैसी बुरी सिफ़ात से (अगर दिल में हों तो) छुटकारा पाने में मदद मिलती है और सख़ावत व बख़्शिश का महबूब वस्फ़ मिल जाता है ।

(12) माल में ब-र-कत

ज़कात देने वाले का माल कम नहीं होता बल्कि दुन्या व आखिरत में बढ़ता है। अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ

يُحْفَظُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٣٩﴾

(प २२, सबा: ३९)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वोह उस के बदले और देगा और वोह सब से बेहतर रिज़क़ देने वाला ।”

एक मक़ाम पर इर्शाद होता है :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ

سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ط

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ الَّذِينَ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٢﴾

(प ३, البقرة: २१, २२)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन की कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह जिस ने उगाई सात बालें, हर बाल में सो दाने और अल्लाह इस से भी ज़ियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और अल्लाह वुस्अत वाला इल्म वाला है, वोह जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर दिये पीछे न एहसान रखें न तक्लीफ़ दें उन का नेग (इन्आम) उन के रब के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा हो न कुछ गुम ।

पस ज़कात देने वाले को यह यकीन रखते हुए खुशदिली से ज़कात देनी चाहिये कि **अल्लाह** तआला उस को बेहतर बदला अता फ़रमाएगा। **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अंनिल उयूब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने अ-ज़मत निशान है : “स-दके से माल कम नहीं होता।”

(المعجم الاوسط، الحديث ٢٢٧٠، ج ١، ص ٦١٩)

अगर्चे ज़ाहिरी तौर पर माल कम होता लेकिन हकीकत में बढ़ रहा होता है जैसे दरख़्त से ख़राब होने वाली शाखों को उतारने में ब ज़ाहिर दरख़्त में कमी नज़र आ रही है लेकिन यह उतारना उस की नश्वो नुमा का सबब है। **मुफ़स्सिरे** शहीर **हकीमुल उम्मत** हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान फ़रमाते हैं, ज़कात देने वाले की **ज़कात** हर साल बढ़ती ही रहती है। यह तज़रिबा है। जो किसान खेत में बीज फेंक आता है वोह ब ज़ाहिर बोरियां ख़ाली कर लेता है लेकिन हकीकत में मअ **इज़ाफ़े** के भर लेता है। घर की बोरियां चूहे, सुरसुरी वगैरा की आफ़त से हलाक हो जाती हैं या येह मतलब है कि जिस माल में से स-दका निकलता रहे उस में से खर्च करते रहो, **अन श़ाअल्ले एज़्ज़ेजल्ल** बढ़ता ही रहेगा, कूएं का पानी भरे जाओ, तो बढ़े ही जाएगा। (मिरआतुल मनाजीह शर्हे मिशकातुल मसाबीह, जि. 3, स. 93)

(13) शर से हिफ़ाज़त

ज़कात देने वाला शर से महफूज़ हो जाता है जैसा कि **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अंनिल उयूब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने अ-ज़मत निशान है : “जिस ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी बेशक **अल्लाह** तआला ने उस से शर को दूर कर दिया।”

(المعجم الاوسط، باب الالف من اسمه احمد، الحديث ١٥٧٩، ج ١، ص ٤٣١)

(14) हिफ़ाज़ते माल का सबब

ज़कात देना हिफ़ाज़ते माल का सबब है जैसा कि हुज़ूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया :
“अपने मालों को ज़कात दे कर मज़बूत क़ल्ओं में कर लो और अपने बीमारों का इलाज ख़ैरात से करो ।”

(मरासिल अबी दाउद مع سنن अबी दाؤد، باب فى الصائم يصبى اهله، ص ۸)

(15) हाजत रवाई

अल्लाह तअ़ाला ज़कात देने वालों की हाजत रवाई फ़रमाएगा जैसा कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जो किसी बन्दे की हाजत रवाई करे अल्लाह तअ़ाला दीन व दुन्या में उस की हाजत रवाई करेगा ।”

(صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب فضل الاجتماع... الخ، الحدیث ۲۶۹۹، ص ۱۴۴۷)

एक और मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाया : “जो किसी मुसलमान को दुन्यावी तक्लीफ़ से रिहाई दे तो अल्लाह तअ़ाला उस से क़ियामत के दिन की मुसीबत दूर फ़रमाएगा ।”

(جامع الترمذی، کتاب الحدود، باب ماجاء فى السترة على المسلم، الحدیث، ج ۳، ص ۱۱۰)

(16) दुआएं मिलती हैं

ग़रीबों की दुआएं मिलती हैं जिस से रहमते खुदावन्दी और मददे इलाही عَزَّ وَجَلَّ हासिल होती है जैसा कि शहन्शाहे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना, साहिबे मुअ़त्तर पसीना, बाइसे नुजूले सकीना, फ़ैज़ गन्जीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “तुम को अल्लाह तअ़ाला की मदद और रिज़्क ज़ईफ़ों की ब-र-कत और उन की दुआओं के सबब पहुंचता है ।”

(صحیح البخاری، کتاب الجهاد، باب عن استعان بالضعفاء... الخ، الحدیث، ۲۸۹۶، ج ۲، ص ۲۸۰)

“अज़ाबे जहन्नम” के आठ हुरूफ़ की मुना-सबत से ज़कात न देने के 8 नुक़सानात

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! ज़कात की अदम अदाएगी के मु-तअद्द नुक़सानात हैं जिन में चन्द येह हैं :

(1) उन फ़वाइद से **मह्रूमी** जो उसे अदाएगिये ज़कात की सूरत में मिल सकते थे ।

(2) बुख़ल या'नी कन्जूसी जैसी **बुरी सिफ़त से** (अगर कोई इस में गिरिफ़्तार हो तो) छुटकारा नहीं मिल पाएगा । प्यारे आका, दो अ़ालम के दाता **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का फ़रमाने ख़बरदार है : **“सख़ावत जन्नत में एक दरख़्त है जो सख़ी हुवा उस ने उस दरख़्त की शाख़ पकड़ ली, वोह शाख़ उसे न छोड़ेगी यहां तक कि उसे जन्नत में दाख़िल कर दे और बुख़ल आग में एक दरख़्त है, जो बख़ील हुवा, उस ने उस की शाख़ पकड़ी, वोह उसे न छोड़ेगी, यहां तक कि आग में दाख़िल करेगी ।”**

(شعب الایمان، باب فی العود والسخاء، الحدیث، ۱۰۸۷۷، ج ۷، ص ۴۳۵)

(3) माल की **बरबादी** का सबब है । जैसा कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहूरो बर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** फ़रमाते हैं : **“खुशकी व तरी में जो माल ज़ाएअ हुवा है वोह ज़कात न देने की वजह से तलफ़ हुवा है ।”**

(مجمع الزوائد، کتاب الزکوة، باب فرض الزکوة، الحدیث ۴۳۳۵، ج ۳، ص ۲۰۰)

एक मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाया : **“ज़कात का माल जिस में मिला होगा उसे तबाहो बरबाद कर देगा ।”**

(شعب الایمان، باب فی الزکوة، فصل فی الاستعفاف، الحدیث ۳۰۲۲، ج ۳، ص ۲۷۳)

सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़ती मुहम्मद अमजद अली आ'जमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ (अल मु-तवफ़्फ़ा 1367 हि.) इस हदीस की वज़ाह्त करते हुए लिखते हैं : बा'ज़ अइम्मा ने इस हदीस के येह मा'ना बयान किये कि ज़कात वाजिब हुई और अदा न की और अपने माल में मिलाए रहा तो येह हराम उस हलाल को हलाक कर देगा और इमाम अहमद (رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) ने फ़रमाया कि मा'ने येह हैं कि मालदार शख़्स माले ज़कात ले तो येह माले ज़कात उस के माल को हलाक कर देगा कि ज़कात तो फ़कीरों के लिये है और दोनों मा'ने सहीह हैं ।

(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 871)

(4) ज़कात अदा न करने वाली कौम को **इज्तिमाई नुक़सान** का सामना करना पड़ सकता है। नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जो कौम ज़कात न देगी **अल्लाह** عَزَّ وَجَلَّ उसे क़हूत में मुब्तला फ़रमाएगा ।”

(المعجم الاوسط، الحديث ٤٥٧٧، ج ٣، ص ٢٧٥)

एक और मक़ाम पर फ़रमाया : “जब लोग ज़कात की अदाएगी छोड़ देते हैं तो **अल्लाह** عَزَّ وَجَلَّ बारिश को रोक देता है अगर ज़मीन पर चौपाए मौजूद न होते तो आस्मान से पानी का एक क़तरा भी न गिरता ।”

(سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، الحديث ٤٠١٩، ج ٤، ص ٣٦٧)

(5) ज़कात न देने वाले पर **ला'नत** की गई है जैसा कि हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى रिवायत करते हैं : “ज़कात न देने वाले पर रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ला'नत फ़रमाई है ।”

(صحيح ابن خزيمة، كتاب الزكاة، باب جماع ابواب التغليب، ذكر لعن لاوى... الخ، الحديث ٢٢٥٠، ج ٤، ص ٨)

(6) बरोजे क़ियामत येही माल वबाले जान बन जाएगा । सूरए तौबा में इर्शाद होता है :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُفْقَرُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَسَّ رُءُوسُهُمْ
بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝٣٠ يَوْمَ يُحْصَىٰ عَلَيْهِمَ فِي
نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْفَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ
جُوهَرُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَا تَفْقَهُمْ فَذَوِّقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ ۝٣٠

(प. १०, अ. ३४: ३०, ३५)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और वोह कि जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उन्हें खुश ख़बरी सुनाओ दर्दनाक अज़ाब की जिस दिन वोह तपाया जाएगा जहन्नम की आग में फिर उस से दागेंगे उन की पेशानियां और करवटें और पीठें यह है वोह जो तुम ने अपने लिये जोड़ कर रखा था अब चखो मज़ा इस जोड़ने का ।

अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उयूब صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने इब्रत निशान है : “जिस को अल्लाह तआला ने माल दिया और वोह उस की ज़कात अदा न करे तो क़ियामत के दिन वोह माल गन्जे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा जिस के सर पर दो चित्तियां होंगी (या'नी दो निशान होंगे), वोह सांप उस के गले में तौक बना कर डाल दिया जाएगा । फिर उस (या'नी ज़कात न देने वाले) की बांछें पकड़ेगा और कहेगा : “मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं।” इस के बा'द नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا
 آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ
 بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا
 بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(प ६, अल عمران: १८०)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो बुख़ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अन्क़रीब वोह जिस में बुख़ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौक़ होगा ।

(صحيح البخارى، كتاب الزكوة، باب اثم مانع الزكوة، الحديث १६०३، ج १، ص ६७६)

(7) हिसाब में सख़्ती की जाएगी । जैसा कि शहन्शाहे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुज़ूले सकीना, फ़ैज़ गन्जीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “फ़कीर हरगिज़ नंगे भूके होने की तकलीफ़ न उठाएंगे मगर अग़िनया के हाथों, सुन लो ऐसे मालदारों से अल्लाह तआला सख़्त हिसाब लेगा और उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा ।”

(مجمع الزوائد، كتاب الزكوة، باب فرض الزكوة، الحديث ६३४، ج ३، ص १९७)

(8) अज़ाबे जहन्नम में मुब्तला हो सकता है । हुजूरे अक़दस صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने कुछ लोग देखे जिन के आगे पीछे गरकी लंगोटियों की तरह कुछ चीथड़े थे और जहन्नम के गर्म पथ्थर और थूहर और सख़्त कड़वी जलती बदबूदार घास चौपायों की तरह चरते फिरते थे । जिब्रईल अमीन عَلَيْهِ السَّلَام से पूछा येह कौन लोग हैं ? अज़ की : यहां पर मालों की ज़कात न देने वाले हैं और अल्लाह तआला ने इन पर जुल्म नहीं किया, अल्लाह तआला बन्दों पर जुल्म नहीं फ़रमाता ।

(الزواجر، كتاب الزكوة، الكبيرة السابعة، الثامنة والعشرون... الخ، ج १، ص ३७२)

एक मक़ाम पर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया :
ज़कात न देने वाला क़ियामत के दिन दोज़ख़ में होगा ।

(مجمع الزوائد، كتاب الزكوة، باب فرض الزكوة، الحديث ٤٣٣٧، ج ٣، ص ٢٠١)

एक और मक़ाम पर फ़रमाया : “दोज़ख़ में सब से पहले तीन शख़्स
जाएंगे उन में से एक वोह मालदार कि अपने माल में अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ का हक़
अदा नहीं करता ।”

(صحيح ابن خزيمة، كتاب الزكوة، باب لذكر ادخال مانع الزكوة النار... الخ، الحديث ٢٢٤٩، ج ٤، ص ٨ ملخصاً)

अज़ाबात का नक़शा

शैख़े तरीक़त अमीरे अहले सुन्नत हज़रते अल्लामा मौलाना
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ अपनी
मशहूरे ज़माना तालीफ़ “फ़ैज़ाने सुन्नत” जिल्द अक्वल के सफ़हा 405
पर लिखते हैं :

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! याद रखिये ! ज़कात अदा करने
के जहां बे शुमार सवाबात हैं न देने वाले के लिये वहां ख़ौफ़नाक अज़ाबात
भी हैं, चुनान्चे मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना
शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ كُورْआनो हदीस में बयान
कर्दा अज़ाबात का नक़शा खींचते हुए फ़रमाते हैं, “खुलासा येह है कि
जिस सोने चांदी की ज़कात न दी जाए, रोज़े क़ियामत जहन्नम की आग
में तपा कर उस से उन की पेशानियां, करवटें, पीठें दागी जाएंगी । उन के सर,
पिस्तान पर जहन्नम का गर्म पथ्थर रखेंगे कि छाती तोड़ कर शाने से निकल
जाएगा और शाने की हड्डी पर रखेंगे कि हड्डियां तोड़ता सीने से निकल
आएगा, पीठ तोड़ कर करवट से निकलेगा, गुद्दी तोड़ कर पेशानी से उभरेगा ।
जिस माल की ज़कात न दी जाएगी रोज़े क़ियामत पुराना ख़बीस खूंख़ार

अज़्दहा बन कर उस के पीछे दौड़ेगा, यह हाथ से रोकेगा, वोह हाथ चबा लेगा, फिर गले में तौक बन कर पड़ेगा, उस का मुंह अपने मुंह में ले कर चबाएगा कि मैं हूँ तेरा माल, मैं हूँ तेरा ख़ज़ाना । फिर उस का सार बदन चबा डालेगा । **وَالْعِيَادُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** (फ़तावा र-ज़विय्या तख़ीज शुदा, जि. 10, स. 153) मेरे आका आ'ला हज़रत **رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ज़कात न देने वाले को क़ियामत के अज़ाब से डरा कर समझाते हुए फ़रमाते हैं, ऐ अज़ीज़ ! क्या खुदा व रसूल **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के फ़रमान को यूँही हंसी ठग़ा समझता है या (क़ियामत के एक दिन या'नी) पचास हज़ार बरस की मुद्दत में येह जान्काह मुसीबतें झेलनी सहल जानता है, ज़रा यहीं की आग में एकआध रूपिया (छोटा सा सिक्का) गर्म कर के बदन पर रख कर देख, फिर कहां येह ख़फ़ीफ़ (हलकी सी) गर्मी, कहां वोह क़हर आग, कहां येह एक ही रूपिया कहां वोह सारी उम्र का जोड़ा हुवा माल, कहां येह मिनट भर की देर कहां वोह हज़ार दिन बरस की आफ़त, कहां येह हलका सा चेहका (या'नी मा'मूली सा दाग़) कहां वोह हड्डियां तोड़ कर पार होने वाला ग़ज़ब । **अल्लाह** तआला मुसल्मान को हिदायत बख़्शे । (ऐज़न, स. 175)

एक और मक़ाम पर आ'ला हज़रत **رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** लिखते हैं : गरज़ ज़कात न देने की जान्काह आफ़तें वोह नहीं जिन की ताब आ सके, न देने वाले को हज़ार साल इन सख़्त अज़ाबों में गिरिफ़्तारी की उम्मीद रखना चाहिये कि ज़ईफ़ुल बन्यान इन्सान की क्या जान, अगर पहाड़ों पर डाली जाएं सुरमा हो कर खाक में मिल जाएं ।

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! दा'वते इस्लामी के म-दनी माहोल से हर दम वाबस्ता रहिये **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** ज़कात व ख़ैरात के ज़रूरी अहकामात की मा'लूमात होती रहेंगी और अमल के ज़ब्बे में भी इज़ाफ़ा होता चला जाएगा ।

ज़कात की तारीफ़

ज़कात शरीअत की जानिब से मुकर्रर कर्दा उस माल को कहते हैं जिस से अपना नफ़अ हर तरह से ख़त्म करने के बा'द रिज़ाए इलाही عَزَّوَجَلَّ के लिये किसी ऐसे मुसल्मान फ़कीर की मिल्कियत में दे दिया जाए जो न तो खुद हाशिमि' हो और न ही किसी हाशिमि का आज़ाद कर्दा गुलाम हो। (الدرا المختار، كتاب الزكوة، ج 3، ص 206، 204 ملخصاً)

ज़कात को ज़कात कहने की वजह

ज़कात का लु-ग़वी मा'ना तहारत, अफ़ज़ाइश (या'नी इज़ाफ़ा और ब-र-कत) है। चूंकि ज़कात बक़िय्या माल के लिये मा'नवी तौर पर तहारत और अफ़ज़ाइश का सबब बनती है इसी लिये इसे ज़कात कहा जाता है। (الدرا المختار وورد المختار، كتاب الزكوة، ج 3، ص 203 ملخصاً)

ज़कात की अक्साम

ज़कात की बुन्यादी तौर पर 2 किस्में हैं।

(1) माल की ज़कात (2) अफ़ाद की ज़कात (या'नी स-द-क़ए फ़ित्र)

माल की ज़कात की मज़ीद दो किस्में हैं :

- (1) सोने, चांदी की ज़कात।
- (2) माले तिजारत और मवेशियों, ज़राअत और फलों की ज़कात (या'नी उश्र)।

(ماخوذ از بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الزكوة، ج 2، ص 70)

1. बनी हाशिम से मुराद हज़रते अली व जा'फ़र व अक़ील और हज़रते अब्बास व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलादें हैं। इन के इलावा जिन्होंने नबिय्ये करीम $\text{صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ}$ की इआनत न की म-सलन अबू लहब, कि अगर्चे येह काफ़िर भी हज़रते अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था मगर इस की औलादें बनी हाशिम में शुमार न होंगी। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 931)

ज़कात किस पर फ़र्ज़ है ?

ज़कात देना हर उस अक़िल, बालिग़ और आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिस में येह शराइत पाई जाएं :

- (1) निसाब का मालिक हो ।
- (2) येह निसाब नामी हो ।
- (3) निसाब उस के कब्ज़े में हो ।
- (4) निसाब उस की हाजते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी)

से ज़ाइद हो ।

(5) निसाब दैन से फ़ारिग़ हो (या'नी उस पर ऐसा कर्ज़ न हो जिस का मुता-लबा बन्दों की जानिब से हो, कि अगर वोह कर्ज़ अदा करे तो उस का निसाब बाकी न रहे ।)

- (6) इस निसाब पर एक साल गुज़र जाए ।

(मुलख़बसन, बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 875 ता 884)

शराइत की तपसील निसाब का मालिक

मालिके निसाब होने से मुराद येह है कि उस शख़्स के पास साढ़े सात तोले सोना, या साढ़े बावन तोले चांदी, या इतनी मालिय्यत की रक़म, या इतनी मालिय्यत का माले तिजारत या इतनी मालिय्यत का हाजाते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी) से ज़ाइद सामान हो ।

(माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 902 ता 905, 928)

मालिके निसाब होने से पहले ज़कात दे दी तो ?

अगर पहले ज़कात दे दी फिर मालिके निसाब हुवा तो ऐसी सूरत में दिया गया माल ज़कात में शुमार नहीं होगा बल्कि उस की ज़कात

अलग से देना होगी। (الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول ج 1، ص 176)

माले हराम पर ज़कात

जिस का कुल माल हराम हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी क्यूं कि वह उस माल का **मालिक** ही नहीं है, दुर्रे मुख्तार में है :

“अगर कुल माल हराम हो तो उस पर ज़कात नहीं है।”

(الدرالمختار، كتاب الزكوة، ج 3، ص 209)

आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं :

“चालीस्वां हिस्सा देने से वोह माल क्या पाक हो सकता है जिस के बाकी उन्तालीस हिस्से भी नापाक हैं।” (फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 19, स. 656)

ऐसे शख़्स पर लाज़िम है कि तौबा करे और माले हराम से नजात हासिल करे।

माले हराम से नजात का तरीक़ा

शैख़े तरीक़त अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरि
 اَمَامَةُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ अपने रिसाले “पुर असरार भिकारी” के सफ़हा 27 पर लिखते हैं :

हराम माल की दो सूरतें हैं : (1) एक वोह **हराम माल** जो चोरी, रिश्वत, ग़ुस्ब और उन्हीं जैसे दीगर ज़राएअ़ से मिला हो इस को हासिल करने वाला इस का अस्लन या'नी बिल्कुल मालिक ही नहीं बनता और इस माल के लिये शरअ़न फ़र्ज़ है कि जिस का है उसी को लौटा दिया जाए वोह न रहा हो तो वारिसों को दे और उन का भी पता न चले तो बिला निय्यते सवाब फ़कीर पर ख़ैरात कर दे (2) दूसरा वोह **हराम माल** जिस में क़ब्ज़ा कर लेने से मिलके ख़बीस हासिल हो जाती है और येह वोह माल है जो किसी अ़क्दे फ़ासिद के ज़रीए हासिल हुवा हो जैसे सूद या

दाढ़ी मूंडने या ख़श्ख़शी करने की उजरत वगैरा। इस का भी वोही हुक्म है मगर फ़र्क़ येह है कि इस को मालिक या इस के वु-रसा ही को लौटाना फ़र्ज़ नहीं अक्वलन फ़कीर को भी बिना निय्यते सवाब ख़ैरात में दे सकता है। अलबत्ता अफ़ज़ल येही है कि मालिक या वु-रसा को लौटा दे।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 23, स. 551,552 वगैरह)

माले नामी का मतलब

माले नामी के मा'ना हैं बढ़ने वाला माल, ख़्वाह हक़ीक़तन बढ़े या हुक्मन, इस की 3 सूरतें हैं :

- (1) येह बढ़ना तिजारत से होगा, या
- (2) अफ़ज़ाइशे नस्ल के लिये जानवरों को जंगल में छोड़ देने से होगा, या
- (3) वोह माल ख़ल्की (या'नी पैदाइशी) तौर पर नामी होगा जैसे सोना चांदी वगैरा

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول، ج 1، ص 174)

हाजते अस्लिय्या किसे कहते हैं ?

हाजते अस्लिय्या (या'नी ज़रूरिय्याते जिन्दगी) से मुराद वोह चीजें हैं जिन की उमूमन इन्सान को ज़रूरत होती है और उन के बिगैर गुज़र अवकात में शदीद तंगी व दुश्वारी महसूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इल्मे दीन से मु-तअल्लिक़ किताबें, और पेशे से मु-तअल्लिक़ औज़ार वगैरा।

(الهداية، كتاب الزكوة، ج 1، ص 96)

म-सलन जिन्हें मुख़्तलिफ़ लोगों से राबिते की हाजत होती हो उन के लिये टेलीफ़ोन या मोबाइल, जो लोग कम्प्यूटर पर किताबत करते हों या उस के जरीए रोज़गार कमाते हों उन के लिये कम्प्यूटर, जिन की नज़र कमज़ोर हो उन के लिये ऐनक या लेन्स, जिन लोगों को कम सुनाई

देता हो उन के लिये आलए समाअत, इसी तरह सुवारी के लिये साइकल, मोटर साइकल या कार या दीगर गाड़ियां, या दीगर अश्या कि जिन के बिगैर अहले हाजत का गुज़ारा मुश्किल से हो, हाजते अस्लिय्या में से हैं ।

साल कब मुकम्मल होगा ?

जिस तारीख़ और वक़्त पर आदमी साहिबे निसाब हुवा जब तक निसाब रहे वोही तारीख़ और वक़्त जब आएगा उसी मिनट साल मुकम्मल होगा । (माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 202)

म-सलन ज़ैद के पास माहे रबीउन्नूर शरीफ़ की 12 तारीख़ या'नी ईदे मीलादुन्नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को दिन के बारह बजे साढ़े सात तोला सोना या साढ़े बावन तोले चांदी या उस की कीमत के बराबर रक़म हासिल हुई या माले तिजारत हासिल हुवा तो साल गुज़रने के बा'द ईदे मीलादुन्नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (12 रबीउल अब्वल) को दिन के 12 बजे अगर वोह निसाब का ब दस्तूर मालिक हुवा तो उस माल की ज़कात की अदाएगी उस पर फ़र्ज़ होगी । अगर अब बिला उज़्जे शर-ई अदाएगी में ताख़ीर करेगा तो गुनाहगार होगा ।

क़-मरी महीनों का ए'तिबार होगा या शम्सी का ?

साल गुज़रने में क़-मरी (या'नी चांद के) महीनों का ए'तिबार होगा । शम्सी महीनों का ए'तिबार ह़राम है ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 157)

दौराने साल निसाब में कमी होना

चूँकि ज़कात की फ़र्ज़ियत में साल के शुरूअ और आख़िर का ए'तिबार किया जाता है इस लिये अगर साल मुकम्मल होने पर निसाबे ज़कात पूरा है तो दौराने साल (निसाब में) होने वाली कमी का कोई नुक़सान नहीं मौजूदा माल की ज़कात दी जाएगी ।

(الدرالمختار وردالمختار، كتاب الزكوة، باب زكوة المال، ج 3، ص 278، و الفتاوى

الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول فى نظيرها.... الخ، ج 1، ص 175)

म-सलन बक्र यकुम र-मज़ान को 12 बजे साढ़े सात तोले सोने का मालिक बना, इसी लम्हे साल शुमार होना शुरूअ हो जाएगा, फिर शव्वाल में उस ने एक तोला सोना बेच दिया और निसाब में कमी वाक़ेअ हो गई, जब दोबारा र-मज़ानुल मुबारक की आमद क़रीब हुई तो उसे शा'बान के महीने में कहीं से एक तोला सोना तोहफ़े में मिला, चुनान्चे यकुम र-मज़ान को 12 बजे वोह फिर से मालिके निसाब था लिहाज़ा अब उसे उस सोने की ज़कात अदा करना होगी क्यूं कि साल मुकम्मल हो गया ।

दौराने साल निसाब में इज़ाफ़ा होना

जो शख़्स मालिके निसाब है अगर दरमियाने साल में कुछ और माल **उसी जिन्स** का हासिल किया तो इस **नए माल** का जुदा साल नहीं, बल्कि **पहले माल का ख़त्मे साल** इस के लिये भी साले **तमाम** है, अगरचें साले तमाम से एक ही **मिनट** पहले हासिल किया हो, ख़्वाह वोह माल उस के पहले माल से हासिल हुवा या मीरास व हिबा या और किसी जाइज़ ज़रीए से मिला हो और अगर **दूसरी जिन्स** का है म-सलन पहले उस के पास ऊंट थे और अब बकरियां मिलीं तो उस के लिये जदीद साल शुमार होगा । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला नम्बर : 43, स. 884)

नोट : इस सिल्लिसले में सोना, चांदी, करन्सी नोट, सामाने तिजारत एक ही जिन्स शुमार होंगे । (माखूज अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 210)

म-सलन ज़ैद को सालाना ग्यारहवीं शरीफ़ या'नी 11 रबीउल गौस के दिन 11000 रूपै हासिल हुए फिर ईदे मीलादुन्नबी **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** या'नी 12 रबीउन्नूर को बतौरै मीरास 12000 रूपै हासिल हुए । पच्चीस स-फ़रुल मुज़फ़्फ़र (उर्सै आ'ला हज़रत **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ**) के दिन 25000 रूपै बतौरै तोहफ़ा या मकान के किराए के 25000 रूपै हासिल हुए । इस तरह साल के आख़िर में ज़ैद के पास 48000 हज़ार रूपै जम्अ हो गए अब ज़ैद पर शरअन वाजिब है कि इन तमाम रूपौ की ज़कात निकाले क्यूं कि तमाम नोट एक दूसरे के हम जिन्स हैं लिहाज़ा दौराने साल जितने रूपै हासिल होंगे इन सब का वोही साल शुमार किया जाएगा जो पिछले 11000 का था ।

दौराने साल निसाब हलाक होना

अगर दौराने साल निसाब हलाक हो जाए कि उस का कोई भी हिस्सा न बचे तो **शुमारे साल** जाता रहा, जिस दिन **दोबारा** मालिके निसाब होगा उसी दिन नए सिरे से **हि़साब** किया जाएगा । म-सलन यकुम मुहर्रम को मालिके निसाब हुवा, सफ़र में सब माल सफ़र कर गया, रबीउन्नूर में फिर बहार आई तो इसी महीने से साल का आगाज़ होगा ।

(माखूज अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 10, स. 89)

ज़मानए कुफ़्र की ज़कात

अगर पहले कोई **काफ़िर** था फिर मुसल्मान हुवा तो उस पर हालते कुफ़्र की ज़कात की अदाएगी फ़र्ज़ नहीं है क्यूं कि ज़कात मुसल्मान पर फ़र्ज़ होती है काफ़िर पर नहीं ।

(الفتاوى الهنديه، كتاب الزكوة، ج 1، ص 171-170)

ना बालिग़ और पागल पर ज़कात

ना बालिग़ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। मज्ज़ून की चन्द सूरतें हैं :

- (1) अगर जुनून पूरे साल को घेर ले तो ज़कात वाजिब नहीं, और
- (2) अगर साल के अब्बल आख़िर में इफ़ाका होता है, अगर्चे बाकी ज़माना जुनून में गुज़रता है तो ज़कात वाजिब है।

(माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 875)

मज्ज़ून के साले ज़कात का आगाज़

जुनून दो किस्म का होता है :

- (1) जुनूने अस्ली (2) जुनूने अरिज़ी
- (1) अगर जुनूने अस्ली हो या'नी जुनून ही की हालत में बालिग़ हुवा तो उस का साल होश आने से शुरूअ होगा।
- (2) और अगर अरिज़ी है मगर पूरे साल को घेर लिया तो जब इफ़ाका होगा उस वक़्त से साल की इब्तिदा होगी।

(माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 875)

अम्वाले ज़कात

ज़कात तीन किस्म के माल पर है।

- (1) सोना चांदी। (करन्सी नोट भी उन्ही के हुक्म में हैं बशर्ते कि उन का रवाज और चलन हो।)
- (2) माले तिजारत।
- (3) साइमा या'नी चराई पर छूटे जानवर।

(174, 1) ج، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج 1، الفتاوى الهندية، فताوا ر-ज़विyyا मुखّرّजा، जि. 10, स. 161, बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 882, मस्अला : 33)

सोने चांदी का निसाब

सोने का निसाब बीस मिस्क़ाल या'नी साढ़े सात तोले है, जब कि चांदी का निसाब दो सो दिरहम या'नी साढ़े बावन तोले है।¹

(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 902)

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उयूब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “जब तुम्हारे पास दो सो दिरहम हो जाएं और उन पर साल गुज़र जाए तो उन पर पांच दिरहम हैं और सोने में तुम पर कुछ नहीं है यहां तक कि बीस दीनार हो जाएं। जब तुम्हारे पास बीस दीनार हो जाएं और उन पर साल गुज़र जाए तो उन पर निस्फ़ दीनार ज़कात है।”

(सनन अबी दाउद, کتاب الزکاة، باب فی زکاة السائمة، الحدیث ۱۰۷۳، ج ۲، ص ۱۴۳)

कितनी ज़कात देना होगी ?

निसाब का चालीसवां हिस्सा (या'नी 2.5 %) ज़कात के तौर पर देना होगा।

(फ़तावा अम्ज़दिय्या, जि. 1, स. 378)

निसाब से ज़ाइद का हुक्म

अगर किसी के पास थोड़ा सा माल निसाब से ज़ाइद हो तो देखा जाएगा कि निसाब से ज़ाइद माल निसाब का पांचवां हिस्सा (खुम्स) बनता है या नहीं ?

★ अगर बनता हो तो उस पर पांचवें हिस्से (खुम्स) का भी अढ़ाई फ़ीसद या'नी चालीसवां हिस्सा ज़कात में देना होगा।

1. सुनारों के मुताबिक़ साढ़े सात तोला सोना में तक्रीबन 87 ग्राम, 48 मिली ग्राम होते हैं और साढ़े बावन तोला चांदी तक्रीबन 612 ग्राम, 41 मिली ग्राम के बराबर है।

★ अगर ज़ाइद मिक्दार पांचवें हिस्से (खुम्स) से कम है तो वोह अफ़व है उस पर ज़कात नहीं होगी ।

म-सलन किसी के पास आठ तोले सोना है तो सिर्फ़ साढ़े सात तोले सोने की ज़कात देना होगी क्यूं कि ज़ाइद मिक्दार (या'नी आधा तोला) निसाब के पांचवें हिस्से (या'नी डेढ़ तोला) को नहीं पहुंचती है और अगर किसी के पास 9 तोला सोना हो तो वोह 9 तोला की ज़कात देगा । क्यूं कि येह ज़ाइद मिक्दार (या'नी डेढ़ तोला) सोने के निसाब का पांचवां हिस्सा बनती है । *علي حد التقياس*

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 85)

निसाब और खुम्स से ज़ाइद पर ज़कात

जो निसाब और खुम्स से ज़ाइद हो मगर दूसरे खुम्स से कम हो तो अफ़व है उस पर ज़कात नहीं । म-सलन अगर किसी के पास 10 तोले सोना हो तो वोह सिर्फ़ 9 तोले की ज़कात देगा, दसवां तोला मुअफ़ है । और अगर किसी के पास साढ़े दस तोले सोना हो तो वोह साढ़े दस तोले की ज़कात देगा क्यूं कि दूसरा खुम्स मुकम्मल हो गया ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 85)

एक ही जिन्स के मुख़लिफ़ अम्वाल और ज़कात का हिसाब

अगर मुख़लिफ़ माल हों और कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो तमाम माल म-सलन सोना, चांदी या माले तिजारत या करन्सी को मिला कर उस की कुल मालिय्यत निकाली जाएगी और उस की ज़कात

का हिसाब उस **निसाब** से लगाया जाएगा जिस में फु-करा का ज़ियादा **फ़ाएदा** हो म-सलन अगर तमाम माल को चांदी शुमार कर के ज़कात निकालने में ज़कात **ज़ियादा** बनती है तो येही किया जाए और अगर सोना शुमार करने में ज़कात ज़ियादा बनती है तो इसी तरह किया जाएगा और अगर दोनों सूरतों में **यक्सां** बनती है तो उस से हिसाब लगाएंगे जिस से ज़कात की अदाएगी का रवाज ज़ियादा हो, फिर अगर रवाज **यक्सां** हो तो ज़कात देने वाले को **इख़्तियार** है कि चाहे तो सोने के हिसाब से ज़कात दे या चांदी के हिसाब से।

फ़तावा शामी में है : “निसाब को पहुंचाने वाली क़ीमत ज़म के लिये मु-तअय्यन होगी दूसरे की नहीं, और अगर दोनों से निसाब पूरा होता हो जब कि एक का ज़ियादा रवाज हो तो जो ज़ियादा राइज हो उसी के हिसाब से क़ीमत लगाई जाएगी।” (ردالمحتار، كتاب الزكوة، باب زكوة المال، ج ۳، ص ۲۷۱ ملخصاً) शर्हें निक़ाया में है : “अगर दोनों (का रवाज) यक्सां हो तो मालिक को इख़्तियार होगा।” (شرح نفايه، كتاب الزكوة، ج ۱، ص ۳۱۳)

अगर मुख़्तलिफ़ माल हों और हर एक निसाब को पहुंचता हो तो उस में 3 सूरतें मुम्किन हैं :

पहली : हर एक माल महूज़ **मुकम्मल निसाब** पर मुशतमिल हो, उस से कुछ **ज़ाइद** न हो, (म-सलन साढ़े सात तोले सोना और साढ़े बावन तोले चांदी हो) तो ऐसी सूरत में अगर मिलाना चाहें तो वोह हिसाब लगाया जाएगा जिस में **ज़कात** ज़ियादा बनती हो।

(ماخوذ از بدائع الصنائع، فصل و امامقदार الواجب فيه، ج ۲، ص ۱۰۸)

दूसरी : निसाब को पहुंचने के बा'द तमाम अक्साम के माल की कुछ मिक्दारे अफ़व (या'नी मुआफ़ शुदा मिक्दार) जाइद होगी तो हर माल की महज़ इस जाइद मिक्दारे अफ़व को आपस में मिला कर उस निसाब के मुताबिक़ हिसाब लगाया जाएगा जिस में ज़कात ज़ियादा बने । (म-सलन 8 तोले सोना और 53 तोले चांदी हो तो दोनों में आधा आधा तोला मिक्दारे अफ़व है इन दोनों को मिला कर हिसाब लगाया जाएगा ।)

तीसरी : निसाब को पहुंचने के बा'द एक माल की कुछ मिक्दारे अफ़व (या'नी मुआफ़ शुदा मिक्दार) जाइद होगी जब कि दूसरा माल बिगैर अफ़व के हो तो पहले माल की महज़ इस जाइद मिक्दारे अफ़व को दूसरे माल (बिगैर अफ़व वाले) में मिलाएंगे म-सलन सोने का निसाब मअ अफ़व है और चांदी का निसाब बिगैर अफ़व के तो सोने के महज़ अफ़व को चांदी में मिलाएंगे । (8 तोले सोना और साढ़े बावन तोले चांदी हो तो सोने की जाइद मिक्दार (अफ़व) को चांदी में मिला कर हिसाब लगाया जाएगा ।)

(माخوذ از الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول، الفصل الاول في زكوة الذهب)

۱۷۹، ج ۱، ص ۱۷۹ و الفضة، ج ۱، ص ۱۷۹ - فتاوا ر-जविय्या मुखर्रजा, जि. 10, स. 116)

अगर सोने का निसाब मुकम्मल हो और चांदी का ना मुकम्मल

दोनों में से जिस का निसाब (बिगैर अफ़व के) मुकम्मल होगा उस में दूसरे माल को मिला देंगे म-सलन साढ़े बावन तोले चांदी है और सोना 4 तोले तो सोने को चांदी में मिला देंगे और अगर उस के बर अक्स हो या'नी सोना साढ़े सात तोले और चांदी 40 तोले हो तो चांदी को सोने में मिलाएंगे ।

(फ़तावा र-जविय्या मुखर्रजा, जि. 10, स. 115)

ज़कात में सोने चांदी की कीमत देना

ज़कात में सोने या चांदी की जगह उन की कीमत दे देना जाइज़ है, दुर्गे मुख़्तार में है : “ज़कात में कीमत दे देना भी जाइज़ है।”

(الدر المختار، كتاب الزكوة، باب زكوة الغنم، ج 3، ص 250)

कीमत की ता'रीफ़

शरअन कीमत उस को कहते हैं जो उस चीज़ का बाज़ार में भाव हो, इत्तिफ़ाकी तौर पर या भाव ताव करने के बा'द कमी या ज़ियादती के साथ कोई चीज़ ख़रीद ली जाए तो उस को कीमत नहीं कहेंगे (बल्कि समन कहेंगे) ।

(फ़तावा अम्ज़दिय्या, जि. 1, स. 382)

किस भाव का ए'तिबार होगा ?

जिस मक़ाम पर अश्या वाकेई हुकूमती रेट के मुताबिक़ फ़रोख़्त होती हों वहां उसी रेट का ए'तिबार होगा और अगर हुकूमती रेट और बाज़ार के भाव में फ़र्क़ हो तो बाज़ार के भाव का ए'तिबार होगा ।

(फ़तावा अम्ज़दिय्या, जि. 1, स. 386, मुलख़ब्रसन)

किस जगह की कीमत ली जाएगी ?

कीमत उस जगह की होनी चाहिये जहां माल है ।

(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 18, स. 908)

कीमत किस दिन की मो'तबर है ?

कीमत न तो बनवाने के वक़्त की मो'तबर है न अदाएगिये ज़कात के वक़्त की बल्कि जब ज़कात का साल पूरा हुवा उसी वक़्त की कीमत का हिसाब लगाया जाएगा ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-जविय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 133)

सोने चांदी की ज़कात का हिसाब कैसे लगाएं ?

इस की दो सूरतें हैं :

- (1) आप रक़म की सूरत में ज़कात देना चाहते हैं.... या
- (2) सोने या चांदी की सूरत में ।

(1) अगर रक़म की सूरत में ज़कात देना चाहते हैं तो आसान तरीन हिसाब यह है कि ज़कात का साल पूरा होने पर उन की कीमत मा'लूम कर लें फिर उस का 2.5 % (या'नी हर सो रूपै पर अढ़ाई रूपै) बतौरै ज़कात अदा कर दें । इस तरह चाहे थोड़ी रक़म ज़ाइद चली जाए लेकिन ज़कात मुकम्मल अदा होना यकीनी है और ज़ाइद रक़म नफ़ली स-दका शुमार होगी । (ज़ाइद रक़म कैसे जाएगी इस की वज़ाहत के लिये इसी किताब के सफ़हा नम्बर 27 को दोबारा मुला-हज़ा कर लीजिये ।)

(2) अगर आप सोने की ज़कात सोने की सूरत में या चांदी की ज़कात चांदी की सूरत में देना चाहते हैं तो उस का भी चालीसवां हिस्सा (या'नी 2.5%) बतौरै ज़कात देना होगा । **उस का हिसाब** यूं लगाएंगे कि (सुनार से हासिल की गई मा'लूमात के मुताबिक) एक तोला तक्रीबन 11 ग्राम 665 मिली ग्राम के बराबर होता है । लिहाज़ा साढ़े सात तोले की ज़कात (2.5%) तक्रीबन 2 ग्राम 187 मिली ग्राम सोना और साढ़े बावन तोले चांदी की ज़कात (2.5%) तक्रीबन 15 ग्राम 310 मिली ग्राम चांदी बनेगी ।

और अगर आप के पास निसाब से थोड़ी ज़ाइद सोना या चांदी हो तो आसानी इसी में है कि सोने की कुल मिक्दार का अढ़ाई फ़ीसद या चांदी की कुल मिक्दार का अढ़ाई फ़ीसद बतौरै ज़कात अदा

कर दीजिये कि इस तरह चाहे कुछ मिक्दार जाइद चली जाए लेकिन ज़कात मुकम्मल अदा होना यकीनी है और जाइद मिक्दार नफ़ली स-दका शुमार होगी ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा जिल्द : 10, व बहारे शरीअत हिस्साए पन्जुम)

नोट : ज़कात का पूरा पूरा हिस्साब जानने के लिये “बहारे शरीअत” हिस्सा : 5 का मुता-लअ़ा कर लीजिये ।

खोट का हुक्म

अगर सोने चांदी में खोट हो तो उस की **3 सूरतें** हैं :

(1) अगर सोना या चांदी खोट पर **ग़ालिब** हों तो कुल सोना या चांदी क़रार पाएगा और कुल पर **ज़कात** वाजिब है ।

(2) अगर खोट सोने चांदी के बराबर हो तो भी **ज़कात** वाजिब है ।

(3) अगर खोट ग़ालिब हो तो सोना चांदी नहीं फिर उस की **2 सूरतें** हैं ।

(I) अगर उस में सोना चांदी इतनी **मिक्दार** में हो कि जुदा करें तो **निसाब** को पहुंच जाए या वोह निसाब को नहीं पहुंचता मगर उस के पास और **माल** है कि उस से मिल कर निसाब हो जाएगी या वोह **समन** में चलता है और उस की कीमत निसाब को पहुंचती है तो इन सब सूरतों में **ज़कात वाजिब है,** और

(II) अगर इन सूरतों में कोई न हो तो उस में अगर तिजारत की निय्यत हो तो ब शराइत् तिजारत उसे **माले तिजारत** क़रार दें और उस की कीमत **निसाब** की क़दर हो, खुद या औरों के साथ मिल कर तो **ज़कात** वाजिब है वरना नहीं । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला नम्बर : 6, स. 904)

पहनने वाले ज़ेवरात की ज़कात

पहनने के ज़ेवरात पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी ।

(الدر المختار وردالمختار، كتاب الزكوة، باب زكوة المال، ج 1، ص 270، ملخصاً)

आग के कंगन

अल्लाह के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उयूब
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ख़िदमत में एक औरत आई, उस के साथ उस
 की बेटी भी थी, जिस के हाथ में सोने के मोटे मोटे कंगन थे । आप
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने उस औरत से पूछा “क्या तुम इन की ज़कात
 अदा करती हो ?” उस औरत ने अज़र्ज़ की “जी नहीं ।” आप ने इश्आद
 फ़रमाया “क्या तुम इस बात से खुश हो कि क़ियामत के दिन अल्लाह
 तआला तुम्हें इन कंगनों के बदले आग के कंगन पहना दे ?”

येह सुनते ही उस ने वोह कंगन रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 के आगे डाल दिये और कहा : “येह अल्लाह तआला और उस के
 रसूल (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) के लिये हैं ।”

(سنن ابى داؤد، كتاب الزكوة، باب الكنز ما هو؟ الحديث 1563، ج 2، ص 137)

सोने चांदी के ज़ेवरात और बरतनों की ज़कात

अगर सोने, चांदी के ज़ेवरात या बरतनों वगैरा की ज़कात रूपों
 में दें तो अस्ल सोने या चांदी की कीमत लेंगे ।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 378)

सोने चांदी के बरतनों का इस्ति'माल

सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह, हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ बहारे शरीअत हिस्सा 16 सफ़हा 38, 39 पर लिखते हैं :

★ सोने चांदी के बरतन में खाना पीना और उन की प्यालियों से तेल लगाना या उन के इत्रदान से इत्र लगाना या उन की अंगेठी से बख़ूर करना (या'नी धूनी लेना) मन्अ है और येह मुमा-न-अत मर्द व औरत दोनों के लिये है ।

★ सोने चांदी के चम्चे से खाना, उन की सलाई या सुरमा दानी से सुरमा लगाना, उन के आईने में मुंह देखना, उन की क़लम दवात से लिखना, उन के लोटे या त़शत से वुजू करना या उन की कुर्सी पर बैठना, मर्द व औरत दोनों के लिये मन्मूअ है ।

★ चाय के बरतन सोने चांदी के इस्ति'माल करना ना जाइज़ है ।

★ सोने चांदी की चीज़ें महूज़ मकान की आराइश व जीनत के लिये हों, म-सलन करीने से येह बरतन व क़लम व दवात लगा दिये, कि मकान आरास्ता हो जाए इस में हरज नहीं । यूहीं सोने चांदी की कुर्सियां या मेज़ या तख़्त वग़ैरा से मकान सजा रखा है, उन पर बैठता नहीं है तो हरज नहीं ।

जहेज़ की ज़कात

जहेज़ चूँकि औरत की मिल्क होता है लिहाज़ा फ़र्ज़ होने की सूरत में उस की ज़कात भी औरत को देना होगी ।

बीवी के ज़ेवर की ज़कात

अगर शोहर ने बीवी को ज़ेवर बनवा कर दिया हो तो अगर वोह ज़ेवर बीवी की मिल्कियत में दे चुका है तो ज़कात बीवी अदा करेगी और अगर महूज़ पहनने के लिये दिया है और मालिक शोहर ही है तो शोहर ज़कात अदा करेगा ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 133)

शोहर के समझाने के बा वुजूद बीवी ज़कात न दे तो ?

अगर शोहर के समझाने के बा वुजूद जौजा ज़ेवर की ज़कात न दे तो इस का वबाल शोहर पर नहीं आएगा । कुरआने पाक में है :

الَّتِيسُ وَالزَّيْنُ وَالزَّرَّاءُ وَالزَّرَّاءُ وَالزَّرَّاءُ وَالزَّرَّاءُ
(پ ۲۷: النجم ۳۸)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : कि कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरी का बोझ नहीं उठाती ।

हां ! इस पर मुनासिब अन्दाज़ में समझाना लाज़िम है कि कुरआने पाक में है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا أَوْ قُودَهَا النَّاسُ
وَالْجَارَاتُ
(پ ۲۸: التحريم ۶)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिस के ईंधन आदमी और पथर हैं ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 132)

रहन रखे गए ज़ेवर की ज़कात

रहन रखे ज़ेवर की ज़कात न रखने वाले (या'नी मुर-तहिन) पर है न रखवाने वाले (या'नी राहिन) पर क्यूं कि रखने वाले की मिल्क नहीं और रखवाने वाले के कब्ज़े में नहीं । और जब रहन रखने वाला उस ज़ेवर को वापस लेगा तो गुज़़स्ता सालों की ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 146)

अगर शोहर ने बीवी का ज़ेवर रहन रखवाया हो तो ?

रहन रखा गया ज़ेवर ज़कात के हिसाब में शामिल नहीं होगा ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 147)

ज़ेवर की गुज़श्ता सालों की ज़कात अदा करने का तरीक़ा

अगर किसी के पास ज़ेवर हो और उस ने कई साल से ज़कात अदा न की हो तो गुज़श्ता सालों की ज़कात का हिसाब लगाने के लिये देखा जाएगा कि साहिबे निसाब होने के बा'द मिक्दारे ज़ेवर में कोई कमी बेशी हुई या नहीं । अगर नहीं हुई तो पहला साल ख़त्म होने के दिन ज़ेवर की कीमत मा'लूम कर ले और उस की ज़कात अदा करे फिर अगर बच रहने वाला ज़ेवर निसाब को पहुंचे तो उस की दूसरे साल के इख़िताम के दिन की कीमत मा'लूम कर के ज़कात दे, इस के बा'द भी बच रहने वाला ज़ेवर निसाब को पहुंचे तो तीसरे साल के इख़ितामी दिन पर ज़ेवर की कीमत मा'लूम करे और ज़कात दे । *على هذا القياس*

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 128)

और अगर ज़ेवर की मिक्दार में कमी हुई हो या इज़ाफ़ा हुवा हो तो हर साल के इख़ितामी दिन पर कमी को निसाब से मिन्हा (या'नी ख़ारिज) कर ले और कीमत मा'लूम कर के ज़कात अदा करे और अगर इज़ाफ़ा हुवा हो तो निसाब में शामिल कर के ज़कात अदा करे ।

सोने का ना जाइज़ इस्ति'माल करने वाले पर ज़कात है या नहीं ?

सोना चांदी का इस्ति'माल चाहे मालिक के लिये जाइज़ हो या न हो, उस पर उन की ज़कात देना वाजिब है। दुर्रे मुख़्तार में है : “इन दोनों (या'नी सोना और चांदी) से बनी हुई अश्या में चालीसवां हिस्सा ज़कात लाज़िम है अगर्चे यह डली की सूरत में हों या ज़ेवरात की सूरत में, इन का इस्ति'माल जाइज़ हो या मम्नूअ।”

(الدر المختار وردالمختار، كتاب الزكوة، باب زكوة المال، ج 1، ص 270، ملخصاً)

हीरों और मोतियों पर ज़कात

हीरों और मोती पर ज़कात वाजिब नहीं अगर्चे हज़ारों के हों, हां ! अगर तिज़ारत की निय्यत से लिये तो ज़कात वाजिब है।

(الدر المختار، كتاب الزكوة، ج 3، ص 230)

सोने या चांदी की कढ़ाई पर ज़कात

अगर कपड़ों पर सोने या चांदी की कढ़ाई करवाई हो तो उस पर भी ज़कात होगी।

(फ़तावा अम्जदिय्या, किताबुज्ज़कात जि. 1, स. 377)

हज के लिये जम्अ की जाने वाली रक़म पर ज़कात

सफ़रे हज व ज़ियारते मदीना के लिये जम्अ की जाने वाली रक़म पर भी वुजूबे ज़कात की शराइत पूरी होने पर ज़कात देना होगी।

(फ़तावा र-ज़बिय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 140)

माले तिजारत और उस की ज़कात

माले तिजारत किसे कहते हैं ?

माले तिजारत उस माल को कहते हैं जिसे बेचने की निय्यत से ख़रीदा गया है और अगर ख़रीदने या मीरास में मिलने के बा'द तिजारत की निय्यत की तो अब वोह माले तिजारत नहीं कहलाएगा ।

(माخوذ از ردالمحتار، کتاب الزکوة، باب زکوة المال، ج ۳، ص ۲۲۱)

म-सलन ज़ैद ने मोटर साइकल इस निय्यत से ख़रीदी कि उसे बेच दूंगा और नफ़अ कमाऊंगा तो येह माले तिजारत है और अगर अपने इस्ति'माल के लिये ख़रीदी थी, उस वक़्त बेचने की निय्यत नहीं थी सिर्फ़ इस्ति'माल की थी मगर ख़रीदने के बा'द निय्यत कर ली कि अच्छे दाम मिलेंगे तो बेच दूंगा या पुख़्ता निय्यत ही कर ली कि अब इस को बेच डालना है तब भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी क्यूं कि ख़रीदते वक़्त की निय्यत पर ज़कात के अहकाम मुरत्तब होंगे ।

विरासत में छोड़ा हुवा माले तिजारत

अगर किसी ने विरासत में माले तिजारत छोड़ा तो अगर उस के मरने के बा'द वारिसों ने तिजारत की निय्यत कर ली तो ज़कात वाजिब है ।

(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 36, स. 883)

माले तिजारत का निसाब

माले तिजारत की कोई भी चीज़ हो, जिस की कीमत सोने या चांदी के निसाब (या'नी साढ़े सात तोले सोने या साढ़े बावन तोले चांदी की कीमत) को पहुंचे तो उस पर भी ज़कात वाजिब है ।

(बहारे शरीअत, जि. 1, मस्अला : 4, हिस्सा : 5, स. 903)

माले तिजारत की ज़कात

कीमत का चालीसवां हिस्सा (या'नी 2.5%) ज़कात के तौर पर देना होगा। (फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 378)

माले तिजारत के नफ़अ पर ज़कात

ज़कात माले तिजारत पर फ़र्ज़ होगी न सिर्फ़ नफ़अ पर बल्कि साल मुकम्मल होने पर नफ़अ की मौजूदा मिक्दार और माले तिजारत दोनों पर ज़कात है।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुखर्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 158)

माले तिजारत की ज़कात का हिसाब

माले तिजारत की ज़कात देने के लिये उस की कीमत लगवा ली जाए फिर उस का चालीसवां हिस्सा ज़कात दे दी जाए।

(माखूज़न अज़ फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 378)

कीमत वक़्ते ख़रीदारी की या साल तमाम होने की ?

माले तिजारत में साल गुज़रने पर जो कीमत होगी उस का ए'तिबार है। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 16, स. 907)

होलसेल कारोबार करने वाले के लिये

ज़कात अदा करने का तरीका

होलसेल का कारोबार करने वाला शख्स जिस दिन जिस वक़्त मालिके निसाब हुवा था दीगर शराइत पाए जाने और साल गुज़रने पर जब वोह दिन वोह वक़्त आए तो जितना माल मौजूद है हिसाब लगा कर उस की फ़ौरन ज़कात अदा करे और जो उधार में गया हुवा है उस का हिसाब अपने पास महफूज़ कर ले और जब उस में से मिक्दारे निसाब का

पांचवां हिस्सा वुसूल हो तो उस वुसूल शुदा हिस्से की ज़कात की अदाएगी करे, उसी हिसाब से जितना माल मिलता जाए उतने हिस्से की ज़कात अदा करता जाए। (ردالمحتار، كتاب الزكوة، مطلب في وجوب الزكوة... الخ، ج 3، ص 281)।
लेकिन आसानी इसी में है कि उधार में गए हुए माल की ज़कात भी अभी अदा कर दे ताकि बार बार हिसाब से नजात मिले।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 133)

उधार में लिया हुआ माल

उधार में लिये हुए माल को अस्ल माल से तफ़रीक़ करे जो बाकी बचे उस की ज़कात अदा करे।

होलसेल (थोक) के निख़्र का ए'तिबार होगा या रिटेल (परचून) का

होलसेल का कारोबार करने वाले होलसेल के निख़्र के ए'तिबार से और परचून का कारोबार करने वाले रिटेल (परचून) के निख़्र के ए'तिबार से कीमत निकालेंगे।

हिसाब का तरीका

माले तिजारत की ज़कात देने वाले को चाहिये कि वोह ज़कात का हिसाब इस तरह करे :

मौजूदा सामाने तिजारत की कीमत	:
करन्सी नोट	:
उधार में गई हुई रक़म	:
उधार में गया हुआ सामाने तिजारत	:
मीज़ान	:

फिर उस में से उधार ली हुई रक़म या उधार में लिये हुए सामाने तिजारत की कीमत तफ़रीक़ कर दे अब जो बाकी बचे उस का अढ़ाई फ़ीसद (2.5%) बतौर ज़कात अदा करे। याद रहे कि उधार में गई हुई रक़म या सामाने तिजारत की ज़कात फ़िलहाल अदा करना वाजिब नहीं, लेकिन आसानी की ख़ातिर उसे हिसाब में शामिल किया गया है।

क्या हर साल ज़कात देना होगी ?

माले तिजारत जब तक खुद या दीगर अम्वाल से मिल कर निसाब को पहुंचता रहेगा, वुजूबे ज़कात की दीगर शराइत मुकम्मल होने पर उस पर हर साल ज़कात वाजिब होती रहेगी।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 155)

ख़रीदने के बा'द निय्यत बदल जाना

अगर किसी ने कोई चीज़ म-सलन कार वगैरह तिजारत की निय्यत से ख़रीदी, मगर जब देखा येह कार इस्ति'माल के लिये बेहतर है, तो बेचने का इरादा तर्क कर दिया, कुछ दिनों बा'द उसे रक़म की ज़रूरत पेश आ गई, उस ने कार को बेचने की निय्यत कर ली मगर साल भर तक न बिक सकी तो उस कार पर ज़कात नहीं बनेगी, क्यूं कि अगर माले तिजारत के बारे में एक मरतबा तिजारत की निय्यत तब्दील हो गई या उस को बेचने का इरादा तर्क कर दिया फिर उस पर तिजारत की निय्यत की तो वोह चीज़ दोबारा माले तिजारत नहीं बन सकती।

दुकान की ज़कात

कारोबार के लिये दुकान ख़रीदी तो शामिले निसाब नहीं होगी। फ़तावा शामी में है : “दुकानों और जागीरों में (ज़कात नहीं)।”

(الدر المختار وورد المختار، كتاب الزكوة، مطلب في زكوة ثمن المبيع، ج 3، ص 217)

एडवान्स पर ज़कात

किराए पर दुकान या मकान लेने के लिये एडवान्स दिया, निसाब में शामिल होगा क्यूं कि दुकान या मकान किराए पर लेने के लिये दिया जाने वाला एडवान्स या डिपोजिट हमारे उर्फ़ में कर्ज़ की एक सूरत है। लिहाज़ा येह भी शामिले निसाब होगा। (वकारूल फ़तावा, जि. 1, स. 239)

धोबी के साबुन और रंगसाज़ के रंग पर ज़कात

इस सिल्लिसले में उसूल येह है कि ऐसी चीज़ ख़रीदी जिस से कोई काम करेगा और काम में उस का असर बाकी रहेगा और वोह ब क़-दरे निसाब हो तो उस पर साल गुज़रने पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी और अगर वोह ऐसी चीज़ हो जिस का असर बाकी नहीं रहता तो अगर्चे ब क़-दरे निसाब हो और साल भी गुज़र जाए ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। चुनान्चे धोबी पर साबुन की ज़कात फ़र्ज़ नहीं है क्यूं कि धोबी का साबुन फ़ना (या'नी ख़त्म) हो जाता है लिहाज़ा ऐसी चीज़ पर ज़कात नहीं जब कि रंगसाज़ पर ज़कात होगी क्यूं कि रंग कपड़े पर बाकी रहता है इस लिये उस पर ज़कात होगी।

(الفتاوى الهنديّة، كتاب الزكوة، الباب الاول، ج 1، ص 172 ملخصاً)

ख़ुशबू बेचने वाले की शीशियों पर ज़कात

इत्र फ़रोश के पास 2 किस्म की शीशियां होती हैं : एक वोह छोटी शीशियां जो इत्र के साथ फ़रोख़्त होती हैं, उन पर ज़कात होगी और दूसरी वोह बड़ी बोतलें या शीशे के जार जिन में इत्र भर कर दुकान या घर पर रखते हैं बेचते नहीं हैं, उन पर ज़कात नहीं है।

(ردالمحتار، كتاب الزكوة، مطلب في زكوة ثمن... الخ، ج 3، ص 218 ملخصاً)

नानबाई पर ज़कात

नानबाई (या'नी रोटियां पकाने वाला) रोटी पकाने के लिये जो लकड़ियां या आटे में डालने के लिये नमक ख़रीदता है, उन में ज़कात नहीं और रोटियों पर लगाने के लिये तेल ख़रीदे तो उन में ज़कात है। (الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول، ج 1، ص 180)

किताबों पर ज़कात

अगर किसी के पास बहुत सारी किताबें हों तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी क्यूं कि किताबों पर ज़कात वाजिब नहीं जब कि तिजारत के लिये न हों।

(الدر المختار وردالمختار، كتاب الزكوة، مطلب في زكوة ثمن المبيع، ج 3، ص 217)

किराए पर दिये गए मकान पर ज़कात

वोह मकानात जो किराए पर उठाने के लिये हों अगर्चे पचास करोड़ के हों उन पर ज़कात नहीं है, हां ! उन से हासिल होने वाला नफ़अ तन्हा या दीगर माल के साथ मिल कर निसाब को पहुंच जाए तो ज़कात की दीगर शराइत पाए जाने पर उस पर ज़कात देना होगी।

(फ़तावा र-जविय्या मुखर्रजा, जि. 10, स. 161 मुलख़ब्रसन)

किराए पर चलने वाली गाड़ियों और बसों पर ज़कात

किराए पर चलने वाली गाड़ियों या बसों पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, हां ! उन की आमदनी पर फ़र्ज होगी।

(फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, किताबुज्ज़कात, जि. 1, स. 306)

घरेलू सामान पर ज़कात

जिस के पास टीवी, कम्प्यूटर, फ़्रीज और वॉशिंग मशीन (ओवन, ए.सी) वगैरा हों तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इस लिये कि येह सब घरेलू सामान हैं, ख़्वाह उन्हें इस्ति'माल करता हो या नहीं क्यूं कि येह माले नामी नहीं हैं।

(वकारुल फ़तावा, किताबुज्ज़कात, जि. 2, स. 389)

सजावट की अश्या पर ज़कात

मकान की सजावट की अश्या म-सलन तांबे, चीनी के बरतन वगैरा पर ज़कात नहीं, अगर्चे लाखों रूपै की हों।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज्ज़कात, जि. 10, स. 161)

बैआना में दी गई रक़म पर ज़कात

हमारे हां बैआना ज़रे ज़मानत के तौर पर उमूमन ख़रीदो फ़रोख़्त से पहले इस लिये दिया जाता है कि उस चीज़ को हम ही ख़रीदेंगे। येह बैआना महज़ अमानत या इजाज़ते इस्ति'माल की सूरत में क़र्ज़ होता है, दोनों सूरतों में येह बैआना भी शामिले निसाब होगा।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 149)

ख़रीदी गई चीज़ पर क़ब्ज़े से पहले ज़कात

अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदी मगर क़ब्ज़ा नहीं किया तो ऐसी सूरत में ख़रीदार या बेचने वाले किसी पर ज़कात नहीं। ख़रीदार पर इस लिये नहीं कि क़ब्ज़ा न होने के सबब उस की मिल्क

कामिल नहीं हुई जो कि वुजूबे ज़कात के लिये **शर्त** है और बेचने वाले पर इस लिये नहीं कि बेच देने के सबब वोह उस का **मालिक** न रहा, हां ! **क़ब्ज़ा** होने के बा'द ख़रीदार को इस साल की भी **ज़कात** देना होगी । सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीकह मुफ़ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी **बहारे शरीअत** जि. 1, हिस्सा : 5, सफ़हः 878 में लिखते हैं : जो माल तिजारत के लिये ख़रीदा और साल भर तक उस पर क़ब्ज़ा न किया तो क़ब्ज़े के क़ब्ल मुश्तरी पर **ज़कात** वाजिब नहीं और क़ब्ज़े के बा'द उस साल की भी **ज़कात** वाजिब है ।

(الدرالمختار و ردالمحتار، كتاب الزكاة، مطلب في زكاة ثمن المبيع و فاء، ج 3، ص 210)

(बहारे शरीअत, जि. 1, मस्अला : 16, हिस्सा : 5, स. 878)

करन्सी नोट की ज़कात

करन्सी नोट की ज़कात भी वाजिब है, जब तक उन का रवाज और चलन हो ।

(बहारे शरीअत, जि. 1, मस्अला नम्बर : 9, हिस्सा : 5, स. 905)

नोट का निसाब

जब नोटों की कीमत सोने या चांदी के निसाब को पहुंचे तो उन पर भी ज़कात वाजिब है ।

(माखुज़ अज़ बहारे शरीअत, मस्अला नम्बर : 9, हिस्सा : 5, स. 40)

नोट की ज़कात का हिसाब

निसाब का चालीसवां हिस्सा (या'नी 2.5%) ज़कात के तौर पर देना होगा ।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 378)

करन्सी नोटों की ज़कात का जद्वल

रक़म	ज़कात	रक़म	ज़कात
सो रूपै	2.5 (या'नी अढ़ई रूपै)	दस लाख रूपै	25, 000 रूपै
हज़ार रूपै	25 रूपै	एक करोड़ रूपै	2, 50, 000, रूपै
दस हज़ार रूपै	250 रूपै	दस करोड़ रूपै	25, 00, 000
एक लाख रूपै	2, 500 रूपै	एक अरब	2, 50, 00000

बेटियों की शादी के लिये जम्अ की गई रक़म पर ज़कात

अगर बेटियों की शादी के लिये रक़म जम्अ की और उन के बालिग़ होने से पहले उन की **मिल्क** कर दिया तो बच्चियों के बालिग़ होने तक उन पर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी क्यूं कि ना बालिग़ पर ज़कात फ़र्ज नहीं होती और बालिग़ होने के बा'द अगर शराइत पाई गई तो उन पर ज़कात वाजिब हो जाएगी ।

(माखूज अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 144)

अमानत में दी गई रक़म पर ज़कात

मालिक की इजाज़त से अमानत की रक़म ख़र्च की तो उस की ज़कात मालिक के जिम्मे है ।

(हबीबुल फ़तावा, स. 637)

इन्शोरन्स की रक़म पर ज़कात

इन्शोरन्स में जम्अ करवाई गई रक़म अगर तन्हा या दीगर अम्वाल से मिल कर निसाब को पहुंचती है तो उस पर भी ज़कात होगी ।

हज़ के लिये जम्अ करवाई गई रक़म पर ज़कात

उमूमन हज़ के लिये जम्अ कराई गई रक़म में से कुछ किरायों के मद में काट ली जाती है और कुछ हाजी को अरब शरीफ़ में दीगर अख़राजात के लिये दी जाती है। किरायों की मद में कट जाने वाली रक़म हाजी की **मिल्कियत** न रही क्यूं कि इजारे में बतौर एडवान्स दी जाने वाली रक़म मालिक की **मिल्क** नहीं रहती बल्कि लेने वाले की **मिल्क** हो जाती है चुनान्चे येह रक़म **शामिले निसाब** न होगी। दियारे अरब में मिलने वाली रक़म इसी की **मिल्कियत** है और इस का हुक्म हमारे उर्फ़ में **फ़र्ज़** का है, इस लिये अगर येह रक़म तन्हा या दीगर अम्वाल से मिल कर **निसाब** को पहुँच जाए और उन अम्वाल पर साल भी पूरा हो चुका हो तो उस की ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी लेकिन जम्अ करवाई गई रक़म की ज़कात उस **वक़्त** देना वाजिब है जब मिक्दारे निसाब का कम अज़ कम **पांचवां हिस्सा** वुसूल हो जाए।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा अहले सुन्नत, सिल्सिला नम्बर : 4, स. 27, 28)

प्रोविडन्ट फ़न्ड पर ज़कात

चूँकि येह फ़न्ड मालिक की **मिल्क** होता है इस लिये अगर मुलाज़िम मालिके निसाब है तो जब से येह रक़म जम्अ होना शुरू हुई उसी वक़्त से इस रक़म की भी **ज़कात** हर साल फ़र्ज़ होती रहेगी। (फ़तावा फैज़ुरसूल, हिस्साए अब्वल, स. 479) लेकिन **अदाएगी** उस वक़्त वाजिब होगी जब मिक्दारे निसाब का कम अज़ कम **पांचवां हिस्सा** वुसूल हो जाए।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 320)

मुलाज़िमीन को मिलने वाले बोनस पर ज़कात

सरकारी या निजी इदारों के मुलाज़िमीन को साल के आख़िर पर कुछ मख़सूस रक़म तन-ख़्वाह के इलावा भी दी जाती है जिसे बोनस कहते हैं। यह एक तरह का इन्आम है जिस की शर-ई हैसियत माले मोहूब (या'नी हिबा किये हुए माल) की है चुनान्चे उस पर क़ब्जे के बिग़ैर मिल्कियत साबित नहीं होगी, मुलाज़िम बा'दे क़ब्ज़ा ही उस का मालिक होगा फिर अगर वोह तन्हा या दीगर अम्वाले ज़कात से मिल कर निसाब को पहुंचे तब उस पर ज़कात वाजिब होगी। (जदीद मसाइले ज़कात, स. 4)

बैंक में जम्अ करवाई गई रक़म पर ज़कात

बैंक में रक़म अगर्चे अमानत के तौर पर रखवाई जाती है मगर हमारे उर्फ़ में क़र्ज़ शुमार होती है क्यूं कि देने वाले को मा'लूम होता है कि उस की रक़म बैंक इन्तिज़ामिया कारोबार वगैरा में लगाएगी। चुनान्चे उस रक़म पर भी ज़कात वाजिब होगी मगर अदा उस वक़्त की जाएगी जब निसाब का कम अज़ पांचवां हिस्सा वुसूल हो जाए।

(माखूज़ अज़ फ़तावा अम्जदिय्या, किताबुज्जकात, जि. 1, स. 368)

फ़कीहे आ'जमे हिन्द हज़रते अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद शरीफ़ुल हक़ अमजदी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي फ़तावा अम्जदिय्या के हाशिये में लिखते हैं : आसानी इसी में है कि जितने रूपै जम्अ हों, सब की ज़कात साल ब साल देता जाए। मा'लूम नहीं कब मौत आए और वारिसीन, ज़कात दें न दें, शैतान को बहकाते देर नहीं लगती।

बीसी (कमेटी) की रक़म पर ज़कात

बीसी (कमेटी) का मुआ-मला भी कर्ज़ की तरह है, लिहाज़ा देखा जाएगा कि उस को बीसी (कमेटी) मिल चुकी है या नहीं ? पूरी कमेटी मिलने की सूरत में उस की भरी हुई रक़म पर ज़कात होगी जितनी रक़म भरना बाकी है वोह निसाब में शामिल नहीं होगी क्यूं कि येह उस पर एक तरह से कर्ज़ है।

और अगर बीसी (कमेटी) नहीं मिली तो निसाब पूरा होने और दीगर शराइते ज़कात पाए जाने की सूरत में साल गुज़रने पर ज़कात फर्ज़ हो जाएगी लेकिन अदाएगी उस वक़्त लाज़िम होगी जब मिक्दारे निसाब का कम अज़ कम पांचवां हिस्सा वुसूल हो जाए, लिहाज़ा ! इस वुसूल शुदा हिस्से की ज़कात अदा की जाएगी।

(फ़तावा अहले सुन्नत, सिल्सिला नम्बर : 4, स. 10, मुलख़बसन)

हि़साब का तरीक़ा

बीसी भरने वाले को चाहिये कि अगर वोह बीसी वुसूल कर चुका है तो ज़कात का हि़साब इस तरह करे :

वुसूल होने वाली रक़म	:
बकिय्या अक्सात की रक़म (ख़ारिज करे)	:
कुल रक़म	:

अब इस कुल रक़म का अढ़ाई फ़ीसद 2.5% बतौर ज़कात अदा करे।

क़र्ज़ और ज़कात मद्यून पर ज़कात ?

मद्यून¹ पर इतना दैन हो कि अगर वोह इसे अदा करता है तो निसाब बाकी रहता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी और अगर बाकी न रहता हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी ।

सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَنِي (अल मु-तवफ़्फ़ा 1367 हि.) बहारे शरीअत, जिल्द अव्वल, हिस्सा : 5 सफ़हा : 878 पर लिखते हैं : “निसाब का मालिक है मगर उस पर दैन है कि अदा करने के बा'द निसाब नहीं रहती तो ज़कात वाजिब नहीं, ख़्वाह वोह दैन बन्दे का हो, जैसे क़र्ज़, ज़र समन (किसी ख़रीदी गई चीज़ के दाम) किसी चीज़ का तावान या अल्लाह عَزَّوَجَلَّ का दैन हो, जैसे ज़कात, ख़िराज । म-सलन कोई शख़्स सिर्फ़ एक निसाब का मालिक है और दो साल गुज़र गए कि ज़कात नहीं दी तो सिर्फ़ पहले साल की ज़कात वाजिब है दूसरे साल की नहीं कि पहले साल की ज़कात उस पर दैन है उस के निकालने के बा'द निसाब बाकी नहीं रहती, लिहाज़ा दूसरे साल की ज़कात वाजिब नहीं ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الأول، ج ١، ص ١٧٢-١٧٤، وردالمختار، كتاب الزكاة، مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة، ج ٣، ص ٢١٠)

1. : मद्यून उस शख़्स को कहते हैं जिस पर किसी का दैन हो, जो चीज़ فِي الدَّيْنِهِ (या'नी किसी के ज़िम्मे वाजिब) हो किसी “अक्द” म-सलन “बैअ” या “इजारा” की वजह से या किसी चीज़ के हलाक करने से उस के ज़िम्मे “तावान” वाजिब हुवा या “क़र्ज़” की वजह से वाजिब हुवा, इन सब को “दैन” कहते हैं । “दैन” की एक ख़ास सूत का नाम “क़र्ज़” है जिस को लोग “दस्तगर्दा” कहते हैं हर “दैन” को आजकल लोग “क़र्ज़” बोला करते हैं येह “फ़िक्ह” की इस्तिलाह के खिलाफ़ है । (बहारे शरीअत, हिस्सा : 11, स. 130)

अगर खुद मद्‌यून न हो मगर मद्‌यून का ज़ामिन हो तो ?

अगर खुद मद्‌यून नहीं मगर मद्‌यून का कफ़ील है और कफ़ालत¹ के रूपै निकालने के बा'द निसाब बाकी नहीं रहता, ज़कात वाजिब नहीं, म-सलन ज़ैद के पास 1000 रूपै हैं और बक्र ने किसी से हजार क़र्ज़ लिये और ज़ैद ने उस की कफ़ालत की तो ज़ैद पर इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं कि ज़ैद के पास अगर्चे रूपै हैं मगर बक्र के क़र्ज़ में मुस्तगरक़ हैं कि क़र्ज़ ख़्वाह को इख़्तियार है ज़ैद से मुता-लबा करे और रूपै न मिलने पर यह इख़्तियार है कि ज़ैद को क़ैद करा दे तो यह रूपै दैन में मुस्तगरक़ हैं, लिहाज़ा ज़कात वाजिब नहीं ।

(ردالمحتار، كتاب الزكاة، مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة، ج 3، ص 210)

क्या हर तरह का दैन वुजूबे ज़कात में रुकावट बनेगा ?

जिस दैन (या'नी क़र्ज़ वगैरा) का मुता-लबा बन्दों की तरफ़ से न हो उस का उस जगह ए'तिबार नहीं या'नी वोह मानेए ज़कात नहीं म-सलन नज़्र व कफ़ारा व स-द-क़ए फ़िज़्र व हज़ व कुरबानी, कि अगर उन के मसारिफ़ निसाब से निकालें तो अगर्चे निसाब बाकी न रहे ज़कात वाजिब है ।

(الدرالمختار و ردالمحتار، كتاب الزكاة، مطلب: الفرق بين السبب والشرط والعلة، ج 3، ص 211. وغيرهما)

साल गुज़रने के बा'द मक्‌रूज़ हो गया तो ?

अगर निसाब पर साल गुज़रने के बा'द मक्‌रूज़ हो गया तो ज़कात अदा करना होगी क्यूं कि क़र्ज़ उस वक़्त ज़कात की अदाएगी में मानेअ (रुकावट) होगा जब ज़कात फ़र्ज़ होने से पहले का हो अगर निसाब

1. : इस्ति्लाहे शर-अ में कफ़ालत के मा'ना यह है कि एक शख्स अपने ज़िम्मे को दूसरे के ज़िम्मे के साथ मुता-लबा में ज़म कर (या'नी मिला) दे या'नी मुता-लबा एक शख्स के ज़िम्मे था दूसरे ने भी मुता-लबा अपने ज़िम्मे ले लिया । तफ़्सीली मा'लूमात के लिये बहारे शरीअत हिस्सा : 12 का मुता-लआ कीजिये ।

पर साल गुज़रने के बा'द मक़्रूज़ हुवा तो उस का कोई ए'तिबार नहीं है ।

(ردالمحتار، كتاب الزكوة، مطلب في زكوة ثمن المبيع، ج ۳، ص ۲۱۵)

महर और ज़कात

औरतों का महर उ़मूमन मुअख़ब़र होता है या'नी जिन का मुता-लबा बा'दे मौत या त़लाक़ के बा'द ही किया जाता है । मर्द को अपने तमाम मसारिफ़ (या'नी अख़राजात) में येह ख़याल तक नहीं आता कि मुज़्न पर दैन (या'नी क़र्ज़) है, इस लिये ऐसा महर ज़कात के वाजिब होने में रुकावट नहीं है चुनान्चे जिस के ज़िम्मे महर हो उस पर दीगर शराइत़ पूरी होने पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी ।

(ماخوذ از الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول، ج ۱، ص ۱۷۳)

औरत पर उस के महर की ज़कात

महर दो किस्म का होता है, **मुअज़्जल** (या'नी ख़ल्वत से पहले महर देना क़रार पाया है) और ग़ैरे **मुअज़्जल** (जिस के लिये कोई मीआद मुक़र्र हो), अगर औरत का महर मुअज़्जल निसाब के ब क़दर हो तो उस का कम अज़ कम पांचवां हिस्सा वुसूल होने पर उस की ज़कात अदा करना वाजिब होगा और ग़ैरे मुअज़्जल महर में उ़मूमन अदाएगी का वक़्त तै नहीं होता और उस का मुता-लबा औरत त़लाक़ या शोहर की मौत से पहले नहीं कर सकती । उस पर वुसूल करने के बा'द शराइत़ पूरी होने की सूरत में ज़कात फ़र्ज़ होगी ।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 169)

मक़्रूज़ शोहर की जौजा पर ज़कात

बीवी और शोहर का मुआ-मला दुन्यावी ए'तिबार से कितना ही एक क्यूं न हो मगर ज़कात के मुआ-मले में जुदा जुदा हैं, लिहाज़ा शोहर पर चाहे कितना ही क़र्ज़ हो शराइते वुज़ूबे ज़कात पूरी

होने पर बीवी पर ज़कात वाजिब हो जाएगी ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा किताबुज़्ज़कात, जि. 10, स. 168 मुलख़ब्रसन)

दैन (क़र्ज़) का हुक्म

हमारी जो रक़म किसी के ज़िम्मे हो उसे दैन कहते हैं इस की 3 क़िस्में हैं और हर एक का हुक्म अलग अलग है :

(1) दैने क़वी :

दैने क़वी उसे कहते हैं जो हम ने किसी को क़र्ज़ दिया हुआ हो, या तिजारत का माल उधार बेचा हो, ... या कोई ज़मीन या मकान तिजारत की गरज़ से ख़रीद कर किराए पर दिया और वोह किराया किसी के ज़िम्मे हो ।

हुक्म : इस की ज़कात हर साल फ़र्ज़ होती रहेगी लेकिन अदा करना उस वक़्त वाजिब होगा जब मिक्दारे निसाब का कम अज़ कम पांचवां हिस्सा वुसूल हो जाए तो उस पांचवें हिस्से की ज़कात देना होगी, म-सलन 50, 000 रूपै निसाब हो तो जब उस का पांचवां हिस्सा 10, 000 रूपै वुसूल हो जाएं तो उस का चालीसवां हिस्सा 250 रूपै बतौर ज़कात देना वाजिब होगा । अलबत्ता आसानी इस में है कि हर साल उस की भी ज़कात अदा कर दी जाए ।

(2) दैने मु-तवस्सित् :

दैने मु-तवस्सित् उसे कहते हैं जो ग़ैरे तिजारती माल का इवज़ या बदल हो जैसे घर की कुर्सी या चारपाई या दीगर सामान बेचा और उस की क़ीमत लेने वाले पर उधार हो ।

हुक्म : इस में भी ज़कात फ़र्ज़ होगी मगर अदाएगी उस वक़्त वाजिब होगी जब ब क़दरे निसाब पूरी रक़म आ जाए ।

(3) दैने ज़ईफ़ :

वोह है जो ग़ैरे माल का बदल हो जैसे महर और मकान या दुकान का किराया, कि नफ़अ का बदला है माल का नहीं ।

हुक्म : इस में गुज़श्ता सालों की ज़कात फ़र्ज़ नहीं है । जब क़ब्जे में आ जाए और शराइते ज़कात पाई जाएं तो साल गुज़रने पर ज़कात फ़र्ज़ होगी ।

(الدرالمختار، كتاب الزكوة، باب زكوة المال ج 3، ص 281، 906، 5، स. हिस्स : 5, स. 906, 281)

क़र्ज़ की वापसी की उम्मीद न हो तो ?

जिस के ज़िम्मे हमारा दैन (क़वी या ज़ईफ़) हो और वोह ला पता हो गया, या उस ने हमारा मक्रूज़ होने से इन्कार कर दिया और हमारे पास गवाह भी नहीं, अल ग़रज़ क़र्ज़ की वापसी की कोई उम्मीद न रही तो अब हम पर ज़कात देना वाजिब नहीं ।

फिर अगर खुश किस्मती से उस ने क़र्ज़ लौटा दिया तो ऐसी सूरत में गुज़श्ता सालों की ज़कात फ़र्ज़ नहीं है ।

(الدر المختار ورد المختار، كتاب الزكوة، مطلب في زكوة ثمن المبيع، ج 3، ص 218)

ज़कात वाजिब होने के बाद माल में कमी का हुक्म

माल में कमी की 3 सूरतें हैं :

(1) इस्तिहलाक :

या'नी रक़म जाएअ होने में उस के फ़ैल को दख़ल हो म-सलन ख़र्च कर डाला, फेंक दिया या किसी ग़नी को हिबा कर दिया (या'नी तोहफ़तन दे दिया) या किसी नज़्र या कफ़ारे या किसी और स-द-क़ए वाजिबा की निय्यत से स-दक़ा कर दिया । इस सूरत में अगर्चे सारा माल जाता रहे मगर

ज़कात से कुछ भी साक़ित न होगा मुकम्मल ज़कात देना होगी। फ़तावा सिराजिया में है : “अगर निसाब को किसी ने हलाक कर दिया तो ज़कात साक़ित न होगी।” (فتاوى سراجیه، کتاب الزکوٰۃ، باب سقوط الزکوٰۃ، ج ۳، ص ۲۵) और दुर्रे मुख़्तार में है : “जब किसी ने नज़्र की निय्यत कर ली या किसी और वाजिब की तो दुरुस्त है मगर ज़कात की ज़मानत देनी होगी।”

(الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ، باب سقوط الزکوٰۃ، ج ۳، ص ۲۲۵)

(2) तसद्दुक :

या'नी अगर मुत्लक़न स-दक़ा किया या किसी वाजिब या नज़्र की अदाएगी की निय्यत किये बिगैर किसी मोहताज फ़कीर को दे दिया तो तमाम माल स-दक़ा करने की सूरत में ज़कात साक़ित हो गई। फ़तावा आलमगीरी में है : “जिस ने तमाम माल स-दक़ा कर दिया और ज़कात की निय्यत न की तो उस से फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा।”

(الفتاوى الهندية، کتاب الزکوٰۃ، الباب الاول، ج ۱، ص ۱۷۱)

और अगर कुछ माल स-दक़ा किया तो उस की ज़कात साक़ित न होगी, पूरी ज़कात देना होगी। (फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 93)

(3) हलाक :

इस की सूरत येह है कि उस के फ़े'ल के बिगैर तलफ़ या ज़ाएअ हो गया म-सलन चोरी हो गई या किसी को क़र्ज़ दे दिया फिर वोह मुकर गया और उस के पास गवाह भी नहीं या क़र्ज़दार फ़ौत हो गया और उस ने कोई तर्का नहीं छोड़ा या माल किसी फ़कीर पर दैन (या'नी क़र्ज़) था उस ने उसे मुआफ़ कर दिया। इस का हुक्म येह है कि जितना हलाक हुवा उस की साक़ित और जो बाक़ी है उस की वाजिब अगर्चे वोह ब क़-दरे निसाब न हो। (माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 91, 95)

मसारिफ़े ज़कात ज़कात किसे दी जाए ?

इन लोगों को ज़कात दी जा सकती है :

- (1) फ़कीर (2) मिस्कीन (3) अ़ामिल (4) रिक़्ाब (5) ग़ारिम
(6) फ़ी सबीलिल्लाह (7) इब्ने सबील (या'नी मुसाफ़िर)

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص 187)

इन की तफ़्सील

फ़कीर : वोह है कि (अलिफ़) जिस के पास कुछ न कुछ हो मगर इतना न हो कि निसाब को पहुंच जाए (बा) या निसाब की क़दर तो हो मगर उस की हाजते अस्लिह्या (या'नी ज़रूरिय्याते जिन्दगी) में **मुस्तरक़** (घिरा हुआ) हो । म-सलन रहने का मकान, ख़ानादारी का सामान, सुवारी के जानवर (या स्कूटर या कार) कारीगरों के औज़ार, पहनने के कपड़े, ख़िदमत के लिये लौंडी, गुलाम, इल्मी शुग़ल रखने वाले के लिये इस्लामी किताबें जो उस की ज़रूरत से ज़ाइद न हों (जीम) इसी तरह अगर मद्यून (मक़रूज) है और दैन (क़र्ज़ा) निकालने के बा'द निसाब बाकी न रहे तो **फ़कीर** है अग़र्चे उस के पास एक तो क्या कई निसाबें हों ।

(बहारे शरीअत, जि. 1, मस्अला नम्बर : 2, हिस्सा : 5, स. 924, 333, رَدُّ الْمُحْتَار ج 3 ص 333)

मिस्कीन : वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये इस का मोहताज है कि लोगों से सुवाल करे और उसे सुवाल हलाल है । **फ़कीर** को (या'नी जिस के पास कम अज़ कम एक दिन का

खाने के लिये और पहनने के लिये मौजूद है) **बिगैर ज़रूरत व मजबूरी सुवाल ह़राम है ।**

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السابع فى المصارف، ج 1، ص 187)

आमिल : वोह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उ़शर वुसूल करने के लिये मुक़र्र किया हो ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السابع فى المصارف، ج 1، ص 188)

नोट : सदरुशशरीअह बदरुत्तरीक़ह मुफ़ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी बहारे शरीअत में फ़रमाते हैं कि "आमिल अगर्चे ग़नी हो अपने काम की उजरत ले सकता है और हाशिमि हो तो उस को माले ज़कात में से देना भी ना जाइज़ और उसे लेना भी ना जाइज़, हां अगर किसी और मद (या'नी जिम्न) में दें तो लेने में हरज नहीं ।

(बहारे शरीअत, जि. 1, मस्अला नम्बर : 6, हिस्सा : 5, स. 925)

रिक़्ाब : से मुराद मुकातब है । मुकातब उस गुलाम को कहते हैं जिस से उस के आक़ा ने उस की आज़ादी के लिये कुछ कीमत अदा करना तै की हो, फ़ी ज़माना रिक़्ाब मौजूद नहीं हैं ।

ग़ारिम : इस से मुराद मक़्रूज़ है या'नी उस पर इतना क़र्ज़ हो कि देने के बा'द ज़कात का निसाब बाक़ी न रहे अगर्चे उस का भी दूसरों पर क़र्ज़ बाक़ी हो मगर लेने पर कुदरत न रखता हो ।

(الدرالمختار مع ردالمختار، كتاب الزكوة، باب المصريف، ج 3، ص 339)

फ़ी सबीलिल्लाह : या'नी राहे खुदा **عَزَّوَجَلَّ** में ख़र्च करना । इस की चन्द सूरतें हैं :

(1) कोई शख़्स मोहताज है और जिहाद में जाना चाहता है मगर उस के पास सुवारी और ज़ादे राह नहीं हैं तो उसे माले ज़कात दे सकते हैं कि येह राहे खुदा **عَزَّوَجَلَّ** में देना है अगर्चे वोह कमाने पर कादिर हो ।

(2) कोई हज़ के लिये जाना चाहता है और उस के पास ज़ादे राह नहीं है तो उसे भी ज़कात दे सकते हैं लेकिन उसे हज़ के लिये लोगों से

सुवाल करना जाइज़ नहीं है।

(3) तालिबे इल्म कि इल्मे दीन पढ़ता है या पढ़ना चाहता है उस को भी ज़कात दे सकते हैं बल्कि तालिबे इल्म सुवाल कर के भी माले ज़कात ले सकता है जब कि उस ने अपने आप को इसी काम के लिये फ़ारिग़ कर रखा हो, अगर्चे वोह कमाने पर कुदरत रखता हो।

(4) इसी तरह हर नेक काम में माले ज़कात इस्ति'माल करना भी फ़ी सबीलिल्लाह या'नी राहे खुदा عَزَّوَجَلَّ में खर्च करना है। माले ज़कात में दूसरे को मालिक बना देना ज़रूरी है बिग़ैर मालिक किये ज़कात अदा नहीं हो सकती।

الدرالمختار و ردالمختار، كتاب الزكوة، باب المصرف، ج 3، ص 335، 340

बहारे शरीअत, जि. 1, मस्अला नम्बर : 14, हिस्सा : 5, स. 926 मुलख़ब्रसन)

इब्ने सबील : या'नी वोह मुसाफ़िर जिस के पास सफ़र की हालत में माल न रहा, येह ज़कात ले सकता है अगर्चे उस के घर में माल मौजूद हो मगर इसी क़दर ले कि उस की ज़रूरत पूरी हो जाए, ज़ियादा की इजाज़त नहीं और अगर उसे क़र्ज़ मिल सकता हो तो बेहतर है कि क़र्ज़ ले ले। (الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص 188)

नोट : सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जमी फ़रमाते हैं : “जिन लोगों की निस्बत बयान किया गया है कि उन्हें ज़कात दे सकते हैं उन सब का फ़कीर होना शर्त है सिवाए आमिल के कि उस के लिये फ़कीर होना शर्त नहीं और इब्ने सबील (या'नी मुसाफ़िर) अगर्चे ग़नी हो उस वक़्त फ़कीर के हुक्म में है, बाकी किसी को जो फ़कीर न हो ज़कात नहीं दे सकते।”

(बहारे शरीअत, जि. 1, मस्अला नम्बर : 44, हिस्सा : 5, स. 932)

मुस्तहिके ज़कात को कैसे पहचानें ?

जिसे हम ज़कात देना चाह रहे हैं वोह मुस्तहिके ज़कात है या नहीं ? ज़ाहिर है कि उस की मुकम्मल तहकीक़ बहुत दुश्वार है इस लिये जिस को देना हो उस के मु-तअल्लिक़ अगर ग़ालिब गुमान हो कि येह मुस्तहिके ज़कात है (या'नी अदाएगी की शराइत पर पूरा उतरता है) तो दे दे ज़कात अदा हो जाएगी और अगर गुमान ग़ालिब न होता हो तो न दे ।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 374)

ज़कात देने के बा'द पता चला ज़कात लेने वाला मुस्तहिके ज़कात नहीं तो ?

अगर ग़ालिब गुमान के बा'द ज़कात दी थी कि मुस्तहिके है मगर बा'द में मा'लूम हुवा कि वोह ग़नी था या उस के वालिदैन में कोई था या अपनी औलाद थी या शोहर था या ज़ौजा थी या हाशिमी या हाशिमी का गुलाम था या ज़िम्मी (काफ़िर) था, ज़कात अदा हो गई और अगर येह मा'लूम हुवा कि उस का गुलाम था या हरबी (काफ़िर) था तो अदा न हुई । और अगर बिगैर सोचे समझे ज़कात दी फिर मा'लूम हुवा कि वोह ज़कात का मुस्तहिके नहीं था तो ज़कात अदा न हुई ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السابع فى المصارف، ج 1، ص 190) बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5 स. 932)

क्या मदारिस के सफ़ीर भी आमिल हैं ?

आमिल मुक़र्रर करने का इख़्तियार शर-ई काज़ी के पास है अगर वोह न हो तो शहर के सब से बड़े आलिम के पास जिस की तरफ़ मुसलमान अपने दीनी मुआ-मलात में रुजूअ करते हों । लिहाज़ा, अगर मदारिस के सफ़ीर मज़्कूरा आलिम के मुक़र्रर किये हुए हों तो आमिल कहलाएंगे वरना नहीं ।

(फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 323, 327)

किन को ज़कात नहीं दे सकते ?

इन मुसलमानों को ज़कात नहीं दे सकते अगर्चे शर-ई फ़कीर हों :

(1) बनू हाशिम (या'नी सादाते किराम) चाहे देने वाला हाशिमी हो या ग़ैरे हाशिमी

(2) अपनी अस्ल (या'नी जिन की औलाद में से ज़कात देने वाला हो) जैसे मां, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी वग़ैरा

(3) अपनी फ़ुरूअ (या'नी जो उस की औलाद में से हों) जैसे बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी वग़ैरा

(4) मियां बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते

(5) ग़नी के ना बालिग़ बच्चे (क्यूं कि वोह अपने बाप की वजह से ग़नी शुमार होते हैं।) (३०.३६९,३६६, ज३, ३, باب المصروف، الدرالمختار و رد المختار، जि. 10, स. 109)

किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं ?

इन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं जब कि ज़कात के मुस्तहिक् हों :

﴿1﴾ बहन ﴿2﴾ भाई ﴿3﴾ चचा ﴿4﴾ फूफी ﴿5﴾ ख़ाला
﴿6﴾ मामूं ﴿7﴾ बहू ﴿8﴾ दामाद ﴿9﴾ सौतेला बाप ﴿10﴾ सौतेली
मां ﴿11﴾ शोहर की तरफ़ से सौतेली औलाद ﴿12﴾ बीवी की तरफ़
से सौतेली औलाद ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 110)

किन गुलामों को ज़कात नहीं दे सकते ?

मम्लूके शर-ई (या'नी शर-ई गुलाम) का वुजूद फ़ी ज़माना मफ़कूद है, बहर ह़ाल इन गुलामों को ज़कात नहीं दे सकते : ﴿1﴾

हाशिमी का गुलाम, अगर्चे “मुकातब” हो ﴿2﴾ हाशिमी का आज़ाद कर्दा गुलाम ﴿3﴾ ग़नी का गुलाम “ग़ैर मुकातब” ﴿4﴾ बीवी का गुलाम अगर्चे “मुकातब” हो ﴿5﴾ शोहर का गुलाम अगर्चे “मुकातब” हो ﴿6﴾ अपनी अस्ल का गुलाम अगर्चे “मुकातब” हो ﴿7﴾ अपनी फुरूअ का गुलाम अगर्चे “मुकातब” हो ﴿8﴾ अपना गुलाम अगर्चे “मुकातब” हो ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 109)

किन गुलामों को ज़कात दे सकते हैं ?

इन गुलामों को ज़कात दे सकते हैं जब कि ज़कात के मुस्तहिक़ हों : ﴿1﴾ ग़ैरे हाशिमी का आज़ाद कर्दा गुलाम ﴿2﴾ अगर्चे खुद अपना ही हो ﴿3﴾ अपने और अपने उसूल (मां, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी) और अपने फुरूअ (बेटा, बेटा, पोता, पोती, नवासा, नवासी) और शोहर और बीवी और “हाशिमी” के इलावा किसी ग़नी का “मुकातब” गुलाम ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 10, स. 110)

मुतल्लका बीवी को ज़कात देना

अगर शोहर अपनी बीवी को तलाक़ दे चुका हो और औरत इद्दत में हो तो नहीं दे सकता और अगर इद्दत गुज़ार चुकी हो तो दे सकता है ।
(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، كتاب المختار، الدرالمختار، باب المصروف، ج 3، ص 45) (1)
नम्बर : 26, हिस्सा : 5, स. 928)

ग़नी की बीवी या बाप को ज़कात देना

ग़नी की बीवी को ज़कात दे सकते हैं जब कि मालिके निसाब न हो । यूर्हीं ग़नी के बाप को दे सकते हैं जब कि फ़कीर है ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص 189)

ग़नी मां के ना बालिग़ बच्चे

ग़नी मां के ना बालिग़ बच्चों को ज़कात दे सकते हैं जब कि उन का बाप फ़ौत हो चुका हो क्यूं कि बच्चा ग़नी बाप की तरफ़ से ग़नी शुमार होता है मां की तरफ़ से नहीं ।

(الدر المختار و رد المحتار، كتاب الزكاة، مطلب في حوائج الاصلية، ج 3، ص 349)

जिस औरत का महर अभी शोहर पर बाकी हो

जिस औरत का महर उस के शोहर पर दैन है, अगर्चे वोह ब क-दरे निसाब हो अगर्चे शोहर मालदार हो अदा करने पर कादिर हो, उसे ज़कात दे सकते हैं ।

(الحوهرة النيرة، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز، ص 167)

काफ़िर को ज़कात देना

काफ़िर को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी ।

(माखूज अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़रजा, जि. 10, स. 290)

बद मज़हब को ज़कात देना

बद मज़हब को ज़कात देना हराम है और उन को देने से ज़कात अदा भी नहीं होगी ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़रजा, जि. 10, स. 290)

तालिबे इल्म को ज़कात देना

ऐसे त-लबा जो साहिबे निसाब न हों उन्हें ज़कात दी जा सकती है, बल्कि उन्हें देना अफ़ज़ल है जब कि वोह इल्मे दीन बतौरै दीन पढ़ते हों ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़रजा, जि. 10, स. 253)

इमामे मस्जिद को ज़कात देना

अगर मस्जिद के इमाम साहिब शरअन फ़कीर न हों या सय्यिद साहिब हों तो उन्हें ज़कात नहीं दी जा सकती और अगर वोह शर-ई फ़कीर हों और सय्यिद साहिब न हों तो दी जा सकती है, बल्कि अगर वोह आलिम भी हों तो उन्ही को देना अफ़ज़ल है। मगर आलिम को देते वक़्त इस बात का लिहाज़ रखा जाए कि उन का एहतिराम पेशे नज़र हो और देने वाला अदब के साथ दे जैसे छोटे, बड़ों को कोई चीज़ नज़र करते हैं और **مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** अगर आलिमे दीन को ज़कात देते वक़्त दिल में हक़ारत आई तो बाइसे हलाकत है। (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 924) फ़तावा आलमगीरी में है : “फ़कीर आलिम पर स-दका करना जाहिल फ़कीर पर स-दका करने से अफ़ज़ल है।”

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص 187)

ज़कात की रक़म से इमामे मस्जिद को तन-ख़्वाह देना

ज़कात की रक़म से इमामे मस्जिद को तन-ख़्वाह नहीं दे सकते क्यूं कि तन-ख़्वाह मुआ-व-ज़ए अमल है और ज़कात ख़ालिसन अल्लाह तआला के लिये है। अगर दीगर अस्बाब मुयस्सर न हों तो हीलाए शर-ई के बा'द दे सकते हैं। (माख़ूज़ अज़ फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 376)

मां हाशिमि हो और बाप ग़ैरे हाशिमि तो ?

किसी की वालिदा हाशिमि बल्कि सय्यिदानी हो और बाप हाशिमि न हो तो वोह हाशिमि नहीं कि शर-अ में नसब बाप से है, लिहाज़ा ऐसे शख़्स को ज़कात दे सकते हैं अगर कोई दूसरा मानेअ न हो।

(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 41, स. 931)

सादाते किराम को ज़कात न देने की वजह

सादाते किराम और दीगर बनू हाशिम को ज़कात इस लिये नहीं दे सकते कि सादाते किराम और दीगर बनू हाशिम पर ज़कात हरामे क़र्ई है जिस पर चारों मज़ाहिब (या'नी ह-नफ़ी, शाफ़ेई, हम्बली, मालिकी) के अइम्माए किराम का इज्माअ है। फ़तावा र-ज़विय्या में है : “ब इत्तिफ़ाके अइम्माए अर-बआ बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब पर स-द-कए फ़र्जिय्या हराम है।”

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 99)

बनू हाशिम कौन हैं ?

बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब से मुराद पांच ख़ानदान हैं, आले अली, आले अब्बास, आले जा'फ़र, आले अक़ील, आले हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। इन के इलावा जिन्हों ने नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की इआनत न की, म-सलन अबू लहब कि अगर्चे येह काफ़िर भी हज़रते अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, मगर इस की औलादें बनी हाशिम में शुमार न होंगी।

(बहारे शरीअत, जि. الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص 189)
1, हिस्सा : 5, मस्अला 39 स. 931)

बनू हाशिम को ज़कात न देने की हिक्मत

अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने अ-ज़मत निशान है “येह स-दक़ात लोगों के मैल हैं, न येह मुहम्मद (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) को हलाल है और न मुहम्मद (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) की आल को।”

(صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب ترك استعمال... الخ، الحديث 1072، ص 540)

हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْخَنَانِ इंस हदीस के तहूत फ़रमाते हैं : “येह हदीस ऐसी वाजेह और साफ़ है जिस

में कोई तावील नहीं हो सकती या'नी मुझे और मेरी औलाद को ज़कात लेना इस लिये हराम है कि येह माल का मैल है, लोग हमारे मैल से सुथरे हों हम किसी का मैल क्यों लें।” (मिरआतुल मनाजीह, जि. 3, स. 46)

सादात की इमदाद की सूरत

अव्वलन तो मालदारों को चाहिये कि अपने माल से बतौरै हदिय्या इन हज़राते अलिया की खिदमत अपनी जेब से करें और वोह वक्त याद करें कि जब इन सादाते किराम के जद्दे अकरम **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के सिवा ज़ाहिरी आंखों को भी कोई मल्जा व मावा न मिलेगा। वोह माल जो उन्ही की बारगाह से अता हुवा और अन्क़रीब छोड़ कर ज़ेरे ज़मीन जाने वाले हैं अगर उन की खुश्नूदी के लिये उन की मुबारक औलाद पर **ख़र्च** हो जाए तो इस से बढ़ कर क्या **सअ़दत** होगी। और अगर किसी अ़लाके में ऐसी तरकीब न बन सके तो किसी मुस्तहिके ज़कात को **माले ज़कात** का मालिक बना कर माल उस के कब्ज़े में दे दें फिर उसे उस सय्यिद साहिब की खिदमत में **पेश** करने का मश्वरा दें।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 390, मुलख़ब्रसन)

गदा-गरों को ज़कात देना

गदागर तीन किस्म के होते हैं :

(1) ग़नी मालदार : इन्हें सुवाल करना हराम और इन को देना भी हराम, इन्हें देने से ज़कात अदा नहीं होगी कि मुस्तहिके ज़कात नहीं हैं।

(2) वोह फ़कीर जो तन्दुरुस्त और कमाने पर क़ादिर हो : येह लोग ब क़-दरे हाजत कमाने पर क़ादिर होने के बा वुजूद मुफ़्त की रोटियां तोड़ने और उस के लिये भीक मांगने के आदी होते हैं। ऐसे पेशावरों को सुवाल करना हराम है और जो कुछ उन को मिले उन के हक़ में माले ख़बीस है

जिसे मालिक को लौटाना या स-दका कर देना वाजिब होता है। लेकिन अगर इन को किसी ने ज़कात दे दी तो अदा हो जाएगी क्यूं कि ये शर-ई फ़कीर होते हैं जब कि कोई और मानेए ज़कात न हो।

(3) कमाने से आजिज़ फ़कीर : ये लोग या तो कमाने की कुदरत नहीं रखते या फिर हाज़त के ब क़दर कमा नहीं सकते, इन्हें ब क-दरे ज़रूरत सुवाल हलाल है और जो कुछ इन को मिले इन के लिये हलाल है, इन्हें ज़कात दी तो अदा हो जाएगी।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 253)

मद्रसा या जामिआ में ज़कात देना

अगर मद्रसा या जामिआ अहले हक़ का है बद्द मज़हबों का नहीं तो उस में माले ज़कात इस शर्त पर दिया जा सकता है कि मोह्तमिम (नाज़िम) उस माल को जुदा रखे और महुज़ तम्लीके फ़कीर में सर्फ़ करे म-सलन त-लबा को बतौरै इमदाद जो वजीफ़ा दिया जाता है उस में दे या किताबें या कपड़े ख़रीद कर त-लबा को उन का मालिक बना दे या बीमार होने की सूरत में दवाई ख़रीद कर उन्हें उस का मालिक बना दे। मुदर्रिस्सीन या दीगर अमले की तन-ख़्वाह उस माल से नहीं दी जा सकती क्यूं कि तन-ख़्वाह मुआ-व-ज़ए अमल है और ज़कात ख़ालिसन अल्लाह तआला के लिये है, और न ही ता'मीरात वगैरा में इस्ति'माल की जा सकती है और न ही त-लबा के लिये पकाए गए खाने में इस्ति'माल हो सकती है क्यूं कि ये खाना उन्हें बतौरै इबाहत खिलाया जाता है मालिक नहीं बनाया जाता है लेकिन अगर खाना दे कर उन्हें मालिक बना दिया जाए तो दुरुस्त है। हां ! अगर ज़कात का रूपिया ब निय्यते ज़कात किसी मस्फ़े ज़कात को दे कर उसे उस का मालिक बना दें फिर वोह अपनी तरफ़ से मद्रसा या जामिआ को दे दे तो अब येह रक़म तन-ख़्वाहे मुदर्रिस्सीन और ता'मीरात वगैरा में इस्ति'माल हो सकती है।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 254)

ज़कात के बारे में बता दीजिये

बहुत से इस्लामी भाई माले ज़कात मदारिस व जामिआत में भेज देते हैं उन को चाहिये कि मद्रसे के मु-तवल्ली को इत्तिलाअ दें कि येह माले ज़कात है ताकि मु-तवल्ली इस माल को जुदा रखे और माल में न मिलाए और ग़रीब त-लबा पर सर्फ़ करे, किसी काम की उजरत में न दे वरना ज़कात अदा न होगी ।

एक ही शख्स को सारी ज़कात दे देना

ज़कात देने वाले को इख़्तियार होता है कि चाहे तो माले ज़कात तमाम मसारिफ़े ज़कात में थोड़ा थोड़ा तक्सीम कर दे और अगर चाहे तो किसी एक को ही दे दे । अगर बतौर ज़कात दिया जाने वाला **माल ब क-दरे निसाब** न हो तो एक ही शख्स को दे देना **अफ़ज़ल** है और अगर ब क-दरे निसाब हो तो एक ही शख्स को दे देना मक्रूह है लेकिन ज़कात बहर हाल अदा हो जाएगी । एक शख्स को ब क-दरे निसाब देना मक्रूह उस वक़्त है कि वोह फ़कीर मद्यून न हो और मद्यून हो तो इतना दे देना कि दैन निकाल कर कुछ न बचे या निसाब से कम बचे मक्रूह नहीं । यूंही अगर वोह फ़कीर बाल बच्चों वाला है कि अगर्चे निसाब या ज़ियादा है, मगर अहलो इयाल पर तक्सीम करें तो सब को निसाब से कम मिलता है तो इस सूरत में भी हरज नहीं ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السابع في المصارف، ج ١، ص ١٨٨، ملخصاً)

एक शख्स को कितनी ज़कात देना मुस्तहब है

मुस्तहब येह है कि एक शख्स को इतना दें कि उस दिन उसे सुवाल की हाजत न पड़े और येह उस फ़कीर की हालत के ए'तिबार से मुख़लिफ़ है, उस के खाने बाल बच्चों की कसरत और दीगर उमूर का

लिहाज कर के दे।

(الدرالمختار وُردالمختار، كتاب الزكاة، باب المصرف، مطلب في حوائج الأصلية، ج ۳،

ص ۳۵۸)

किस को ज़कात देना अफ़ज़ल है ?

अगर बहन भाई ग़रीब हों तो पहले उन का हक़ है, फिर उन की औलाद का फिर चचा और फूफियों का, फिर उन की औलाद का, फिर मामूओं और ख़ालाओं का, फिर उन की औलाद का, फिर ज़विल अरहाम (वोह रिश्तेदार जो मां, बहन, बीवी या लड़कियों की तरफ़ से मन्सूब हों) का, फिर पड़ोसियों का, फिर अपने अहले पेशा का, फिर अहले शहर का (या'नी जहां उस का माल हो)।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، ص ۱۹۰)

सख्यिद किसे ज़कात दे ?

ज़कात करीबी रिश्तेदार को देना अफ़ज़ल है मगर सख्यिद किस को दे क्यूं कि उस का करीबी रिश्तेदार भी तो सख्यिद होगा ? इस का जवाब देते हुए आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ लिखते हैं : बेशक ज़कात और दीगर स-दकात अपने करीबी रिश्तेदारों को देना अफ़ज़ल है और इस में दुगना अज़्र है लेकिन येह इसी सूरत में है कि वोह स-दका करीबी रिश्तेदारों को देना जाइज़ भी हो।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 287)

क्या बहुत सारी किताबों का मालिक ज़कात ले सकता है ?

अगर किसी के पास बहुत सारी किताबें हों और वोह किताबें उस की हाजते अस्लिyy्या में से हैं तो ले सकता है अगर्चे लाखों की हों और अगर हाजते अस्लिyy्या में से नहीं हैं तो ब क-दरे निसाब होने की सूरत में नहीं ले सकता। इस में तफ़्सील येह है कि

(बक़िय्या) माल को हलाक कर देगी ।

(الترغيب والترهيب، كتاب الصدقات، باب الترهيب من منع الزكوة، الحديث 18، ج 1، 309)

ज़कात तो फ़कीरों के लिये होती है, ग़नी को ज़कात लेना ह़राम है और जहन्म में ले जाने वाला काम है । ऐसे शख्स को इस माले ह़राम के सबब क़ब्रों ह़श और मीज़ान की परेशानियों और अज़ाबाते जहन्म का सामना करना पड़ेगा । (फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 261, मुलख़ब़सन)

जिस के पास छ् तोले सोना हो !

जिस के पास छ् तोले या साढ़े बावन तोले चांदी की कीमत के बराबर सोना हो अगर्चे उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती कि सोने की निसाब साढ़े सात तोले है मगर ऐसा शख्स ज़कात ले नहीं सकता । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 27, स. 929)

हाजते अस्लिय्या से ज़ाइद सामान हो तो ?

जिस के पास ज़रूरत के सिवा ऐसा सामान है जो माले नामी न हो और न ही तिजारत के लिये और वोह साढ़े बावन तोला चांदी की कीमत के बराबर है तो उसे ज़कात नहीं दे सकते अगर्चे खुद उस पर ज़कात वाजिब नहीं ।

(माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 27, स. 929)

जिस के पास बहुत सा जहेज़ हो !

औरत को मां बाप के यहां से जो जहेज़ मिलता है उस की मालिक औरत ही है, उस में दो तरह की चीज़ें होती हैं एक : हाजत की जैसे ख़ानादारी के सामान, पहनने के कपड़े, इस्ति'माल के बरतन इस क़िस्म की चीज़ें कितनी ही कीमत की हों इन

की वजह से औरत ग़नी नहीं, दूसरी : वोह चीज़ें जो हाजते अस्लिख्या से जाइद हैं ज़ीनत के लिये दी जाती हैं जैसे ज़ेवर और हाजत के इलावा अस्बाब और बरतन और आने जाने के बेश कीमत भारी जोड़े, इन चीज़ों की कीमत अगर ब क़-दरे निसाब है औरत ग़नी है ज़कात नहीं ले सकती ।

(ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب المصروف، مطلب في جهاز المرأة هل تصير به غنية، ج 3، ص 347)

जिस के पास मोती जवाहिर हों !

मोती वगैरा जवाहिर जिस के पास हों और तिजारत के लिये न हों तो उन की ज़कात वाजिब नहीं, मगर जब निसाब की कीमत के हों तो ज़कात ले नहीं सकता ।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 37, स. 930)

जिस के पास सर्दियों के बेश कीमत कपड़े हों !

सर्दियों के कपड़े जिन की गर्मियों में हाजत नहीं पड़ती हाजते अस्लिख्या में हैं, वोह कपड़े अगर्चे बेश कीमत हों ज़कात ले सकता है ।

(माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 35, स. 930)

जिस के पास बहुत बड़ा मकान हो !

जिस के पास रहने का मकान हाजत से ज़ियादा हो या'नी पूरे मकान में उस की सुकूनत (या'नी रिहाइश) नहीं येह शख्स ज़कात ले सकता है ।

(ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب المصروف، ج 3، ص 347)

जिस के मकान में बाग़ हो !

जिस के मकान में निसाब की कीमत का बाग़ हो और बाग़ के अन्दर ज़रूरिय्याते मकान बावर्ची ख़ाना, गुस्ल ख़ाना वग़ैरा नहीं तो उसे ज़कात लेना जाइज़ नहीं ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، ج 1، ص 189)

क्या मालदार के लिये स-दक़ा लेना जाइज़ है ?

स-दक़ा 2 किस्म का होता है, स-द-क़ए वाजिबा और नाफ़िला । स-द-क़ए वाजिबा मालदार को लेना ह़राम और उस को देना भी ह़राम है और उस को देने से ज़कात भी अदा न होगी । रहा स-द-क़ए नाफ़िला तो उस के लिये मालदार को मांग कर लेना ह़राम और बिग़ैर मांगे मिले तो मुनासिब नहीं जब कि देने वाला मालदार जान कर दे और अगर मोहताज समझ कर दे तो लेना ह़राम और अगर लेने के लिये अपने आप को मोहताज ज़ाहिर किया तो दूसरा ह़राम । हां वोह स-दक़ाते नाफ़िला कि अ़ाम मख़्लूक़ के लिये होते हैं और उन को लेने में कोई ज़िल्लत न हो तो वोह ग़नी को लेना भी जाइज़ है जैसे, सबील का पानी, नियाज़ की शीरीनी वग़ैरा ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 261)

ग़ैरे मुस्तह़िक़ ने ज़कात ले ली तो ?

ग़ैरे मुस्तह़िक़ ने ज़कात ले ली, बा'द में पशेमानी हुई तो अगर देने वाले ने ग़ौरो फ़ि़क़ के बा'द ज़कात दी थी और उसे उस के मुस्तह़िक़ न होने का मा'लूम नहीं था तो ज़कात बहर ह़ाल अदा हो गई लेकिन इस को लेना ह़राम था क्यूं कि येह ज़कात का मुस्तह़िक़ नहीं था । ग़ैरे मुस्तह़िक़ माल पर हासिल होने वाली मिल्कियत "मिल्के ख़बीस" कहलाती है और उस का हुक्म येह है कि उतना माल स-दक़ा कर दिया जाए ।

ज़कात की अदाएगी

ज़कात की अदाएगी की शराइत

ज़कात की अदाएगी दुरुस्त होने की 2 शराइत हैं (1) निय्यत और (2) मुस्तहिके ज़कात को उस का मालिक बना देना। अल अश्बाह वन्नज़ाइर में है : “ज़कात की अदाएगी निय्यत के बिगैर दुरुस्त नहीं है।” (النسيب والنظائر، القاعدة الاولى، ما تكون النية الى آخره، ص 19) निय्यत के येह मा'ना हैं कि अगर पूछा जाए तो बिला तअम्मूल बता सके कि ज़कात है।

ज़कात देते वक़्त निय्यत करना भूल गया तो ?

अगर ज़कात में वोह माल दिया जो पहले ही से ज़कात की निय्यत से अलग कर रखा था तो ज़कात अदा हो गई अगरचे देते वक़्त ज़कात का ख़याल न आया हो और अगर ऐसा नहीं है तो जब तक मोहताज के पास मौजूद है देने वाला निय्यते ज़कात कर सकता है, और अगर उस के पास भी नहीं है तो अब निय्यत नहीं कर सकता, दिया गया माल स-द-क़ए नफ़ल होगा। दुर्रे मुख़्तार में है : “अदाएगिये ज़कात के सहीह होने के लिये वक़ते अदा निय्यत का मुत्तसिल (या'नी मिला हुवा) होना ज़रूरी है, ख़्वाह येह इत्तिसाल (या'नी मुत्तसिल होना) हुक्मी हो म-सलन किसी ने बिला निय्यत ज़कात अदा कर दी और अभी माल फ़कीर के कब्जे में हो तो निय्यत कर ली या कुल या बा'ज माल बराए ज़कात जुदा करते वक़्त निय्यत कर ली।”

(الدرالمختار، كتاب الزكوة، ج 3، ص 222، 224)

ज़कात के अल्फ़ाज़

ज़कात अदा करते वक़्त ज़कात के अल्फ़ाज़ बोलना ज़रूरी नहीं फ़क़त दिल में निय्यत होना काफी है चाहे ज़बान से कुछ और कहे। फ़तावा

शामी में है : “नाम लेने का कोई ए’तिबार नहीं, अगर किसी ने ज़कात को हिबा, तोहफ़ा या कर्ज़ कह दिया तब भी सहीह तरीन कौल के मुताबिक़ उस की ज़कात अदा हो जाएगी ।”

(ردالمحتار، كتاب الزكوة، مطلب في ثمن المبيع، ج 3، ص 222)

ज़कात की अदाएगी में ताख़ीर करना

ज़कात फ़र्ज़ हो जाने के बा’द फ़ौरन अदा करना वाजिब है और उस की अदाएगी में बिला उज़्रे शर-ई ताख़ीर करना गुनाह है ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، فصل في مال التجارة، الباب الاول، ص 170)

ज़कात यकमुश्त दें या थोड़ी थोड़ी ?

अगर ज़कात साल मुकम्मल होने से कब्ल पेशगी अदा करनी हो तो चाहे थोड़ी थोड़ी कर के दें या एक साथ दोनों तरह से दुरुस्त है । और अगर साल गुज़रने पर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी हो तो फ़ौरन अदा करना वाजिब है ताख़ीर पर गुनहगार होगा, लिहाज़ा अब यकमुश्त देना ज़रूरी है ।

(माखूज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़रजा, जि. 10, स. 75)

ज़कात यकमुश्त दीजिये

साल मुकम्मल हो जाने के बा’द एक साथ ज़कात दे दीजिये क्यूं कि ब तदरीज या’नी थोड़ी थोड़ी कर के देने में गुनाह लाज़िम आने के इलावा दीगर आफ़तें भी मुम्किन हैं । म-सलन हो सकता है कि ऐसा शख़्स ज़कात न देने का वबाल अपनी गरदन पर लिये दुन्या से रुख़्त हो जाए या फिर उस के पास ज़कात अदा करने के लिये माल ही न रहे और येह भी मुम्किन है कि आज अदाएगी का जो पुख़्ता इरादा है कल न रहे क्यूं कि शैतान इन्सान में खून की तरह गर्दिश करता है ।

निय्यत में फ़र्क़ आ जाता

हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बाकिर رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने एक क़बाए नफ़ीस बनवाई। त़हारत ख़ाने में तशरीफ़ ले गए, वहां ख़याल आया कि इसे राहे खुदा में दीजिये। फ़ौरन ख़ादिम को आवाज़ दी, क़रीबे दीवार हाज़िर हुवा। हुज़ूर ने क़बाए मुअल्ला उतार कर दी कि फुलां मोहताज को दे आओ। जब बाहर रौनक़ अफ़रोज़ हुए तो ख़ादिम ने अर्ज़ की : “इस द-रजा ता'जील (या'नी जल्दी) की वजह क्या थी ? फ़रमाया : “क्या मा'लूम था बाहर आते आते **निय्यत में फ़र्क़ आ जाता।**”

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 10, स. 84)

سُبْحَانَ اللَّهِ ! येह उन की एहतियात है जो अहले तक्वा की आगोश में पले और त़हारत व पाकीज़गी के दरिया में नहाए धुले हैं। अल्लाह तअ़ाला हमें उन के नक्शे क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

آمين بجاه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

क्या ज़कात अलग कर लेने से बरिय्युज़्ज़िम्मा हो जाएगा ?

ज़कात महज़ जुदा करने से जिम्मादारी पूरी न होगी बल्कि फु-क़रा तक पहुंचाने से होगी।

(الدرا المختار، كتاب الزكوة، ج 3، ص 222، 224)

र-मज़ानुल मुबारक में ज़कात देना

जब साल पूरा हो जाए तो फ़ौरन अदा करना **वाजिब** है और ताख़ीर गुनाह, ख़्वाह कोई भी महीना हो और अगर साल तमाम होने से पहले पेशगी अदा करना चाहे तो **र-मज़ानुल मुबारक** में अदा करना बेहतर है जिस में नफ़ल का फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब सत्तर फ़र्ज़ों के बराबर होता है। (फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 183)

ए'लानिया या पोशीदा ?

ज़कात ए'लान के साथ देना बेहतर है जब कि रियाकारी का अन्देशा न हो, ताकि दूसरों को तरगीब भी मिले और वोह उस के बारे में **बद गुमानी** का शिकार न हों कि येह ज़कात नहीं देता। पोशीदा देने में भी कोई हरज नहीं बल्कि अगर ज़कात लेने वाला ऐसा खुद्दार हो कि ए'लानिया लेने में ज़िल्लत महसूस करेगा तो उसे पोशीदा दे देना बेहतर है।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 158)

(والفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول ج 1، ص 171)

ज़कात दे कर एहसान जताना

ज़कात दे कर एहसान नहीं जताना चाहिये कि एहसान जताने से सवाब ज़ाएअ़ हो जाता है। अल्लाह तआला का फ़रमान है :

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अपने

وَالْأَذَىٰ لَا (پ 3، البقرة: 214)

स-दके बातिल न कर दो एहसान रख कर और ईज़ा दे कर।

साल भर ख़ैरात करने के बा'द ज़कात की निय्यत की तो ?

साल भर ख़ैरात करने के बा'द उसे ज़कात में शुमार नहीं कर सकता क्यूं कि ज़कात देते वक़्त या ज़कात के लिये माल अ़लाहिदा करते वक़्त निय्यते ज़कात शर्त है। (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला नम्बर : 54, स. 886) हां ! अगर ख़ैरात कर्दा माल फ़कीर के पास मौजूद हो, हलाक न हुवा हो तो ज़कात की निय्यत कर सकता है।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 161)

ज़कात देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?

अदाएगिये ज़कात की निय्यत से माल अलग किया, फिर फ़ौत हो गया तो यह माल मीरास में शामिल हो जाएगा और उस पर विरासत के अहकाम जारी होंगे ।

(الدر المختار و رد المحتار، كتاب الزكوة، مطلب فى الزكوة... الخ، ج ٣، ص ٢٢٥)

ज़कात लेने वाले को इस का इल्म होना

अगर ज़कात लेने वाले को यह मा'लूम न हो कि यह ज़कात है तो भी ज़कात अदा हो जाएगी क्यूं कि ज़कात लेने वाले का यह जानना ज़रूरी नहीं कि यह ज़कात है बल्कि देने वाले की निय्यत का ए'तिबार होगा । ग़म्जुल उयून में है : “देने वाले की निय्यत का ए'तिबार है न कि उस के जानने का जिसे ज़कात दी जा रही है ।”

(عمر العيون البصائر، شرح الاشباه والنظائر، كتاب الزكوة، الفن الثانی، ج ١، ص ٤٤٧)

ज़कात की अदाएगी के लिये

मिक्दारे ज़कात का मा'लूम होना

अदाए ज़कात में मिक्दारे वाजिब का सहीह मा'लूम होना शराइते सिद्दहत से नहीं लिहाज़ा ज़कात अदा हो जाएगी ।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 10, स. 126)

क़र्ज़ कह कर ज़कात देने वाला

क़र्ज़ कह कर किसी को ज़कात दी, अदा हो गई । फिर कुछ अर्से बा'द वोही शख्स उस ज़कात को हकीकतन क़र्ज़ समझ कर वापस करने आया तो देने वाला उसे वापस नहीं ले सकता है अगर्चे उस वक्त वोह खुद भी मोहताज हो क्यूं कि ज़कात देने के बा'द वापस नहीं ली जा सकती,

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अंनिल उयूब
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने अ-ज़मत निशान है : “स-दका दे कर
 वापस मत लो ।”

(صحيح البخارى، كتاب الزكوة، باب هل يشتري صدقته، الحديث، ٤٨٩، ج ١، ص ٥٠٢)

(फ़तावा अम्जदिय्या, हिस्साए अब्वल, स. 389)

छोटे बच्चे को ज़कात देना

मालिक बनाने में ये शर्त है कि लेने वाला इतनी अक्ल रखता
 हो कि क़ब्ज़े को जाने धोका न खाए । चुनान्चे छोटे बच्चे को ज़कात दी
 और वोह क़ब्ज़े को जानता है फेंक नहीं देता तो ज़कात अदा हो जाएगी
 वरना नहीं या फिर उस की तरफ़ से उस का बाप या वली या कोई अज़ीज
 वग़ैरा हो जो उस के साथ हो, क़ब्ज़ा करे तो भी ज़कात अदा हो जाएगी
 और उस का मालिक वोह बच्चा होगा ।

(الدر المختار وورد المختار، كتاب الزكوة، ج ٣، ص ٢٠٤ ملخصاً)

ज़कात की निय्यत से मकान का किराया मुआफ़ करना

अगर रहने के लिये मकान दिया और किराया मुआफ़ कर दिया
 तो ज़कात अदा नहीं होगी क्यूं कि अदाएगिये ज़कात के लिये माले ज़कात
 का मालिक बनाना शर्त है जब कि यहां महूज़ रिहाइश के नफ़अ का
 मालिक बनाया गया है, माल का नहीं ।

हां ! अगर किराए दार ज़कात का मुस्तहिक़ है तो उसे ज़कात की
 रक़म ब निय्यते ज़कात दे कर उसे मालिक बना दे फिर किराए में वुसूल
 कर ले, ज़कात अदा हो जाएगी ।

(ماخوذ از بحر الرائق، كتاب الزكوة، ج ٢، ص ٣٥٣)

क़र्ज़ मुआफ़ कर दिया तो ?

किसी को क़र्ज़ मुआफ़ किया और ज़कात की निय्यत कर ली तो ज़कात अदा नहीं होगी ।

(ردالمحتار، كتاب الزكوة ، مطلب فى زكوة ثمن المبيع ، ج ٣، ص ٢٢٦)

मुआफ़ कर्दा क़र्ज़ का शामिले ज़कात होना

किसी को क़र्ज़ मुआफ़ कर दिया तो मुआफ़ कर्दा रक़म भी शामिले निसाब होगी या नहीं ? इस की 2 सूत्रें हैं, (1) अगर क़र्ज़ ग़नी को मुआफ़ किया तो उस (मुआफ़ शुदा) हिस्से की भी ज़कात देना होगी और (2) अगर शर-ई फ़कीर को क़र्ज़ मुआफ़ किया तो उस हिस्से की ज़कात साकित हो जाएगी ।

(ردالمحتار، كتاب الزكوة ، مطلب فى زكوة ثمن المبيع ، ج ٣، ص ٢٢٦، ملخصاً)

ज़कात के तौर पर किसी का क़र्ज़ अदा करना

अगर किसी की इजाज़त लिये बिगैर उस का क़र्ज़ अदा कर दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी । इस के लिये बेहतर येह है कि उस शख्स को निय्यते ज़कात के साथ वोह रक़म दे दे फिर वोह चाहे तो अपना क़र्ज़ अदा करे या कहीं और खर्च करे ।

(माखूज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 10, स. 74)

यतीमों को कपड़े बनवा कर देने का हुक्म

ज़कात की रक़म से यतीमों को कपड़े बनवा कर दे सकते हैं जब कि उन्हें इस का मालिक बना दिया जाए और वोह मुस्तहिक्के ज़कात भी हों ।

(फ़तावा फ़ैज़ुरसूल, जि. 1, स. 495)

ज़कात की रक़म से किताबें ख़रीदना

ज़कात की रक़म से किताबें ख़रीद कर दे सकते हैं जब कि लेने वाले मुस्तहिक्के ज़कात हों और उन को मालिक बना दिया जाए वरना ज़कात अदा न होगी ।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 372)

माले ज़कात से दीनी कुतुब छपवा कर तक्सीम करना कैसा ?

इस में कोई शक नहीं कि दीनी कुतुब छपवाने का काम अज़ीम सवाबे जारिय्या है लेकिन इस के लिये पहले किसी मुस्तहिके ज़कात म-सलन फ़कीर को उस का मालिक कर दिया जाए फिर वोह कुतुब की तबाअत के लिये दे दे। (फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 256)

मिठाई के डिब्बे में ज़कात की रक़म रखना

किसी को आटे के थेले या मिठाई के डिब्बे वग़ैरा में रक़म रख कर बतौर ज़कात दी तो अगर देने वाले ने फ़कीर को आटे या मिठाई और रक़म दोनों का मालिक कर दिया है और फ़कीर ने आटे के थेले पर क़ब्ज़ा भी कर लिया है तो ज़कात अदा हो जाएगी अगर्चे फ़कीर को थेले या डिब्बे में मौजूद रक़म का इल्म न हो क्यूं कि क़ब्ज़े के लिये मक़बूज़ (या'नी क़ब्ज़े में ली जाने वाली) अश्या का इल्म होना शर्त नहीं।

(फ़तावा अम्ज़दिय्या, जि. 1, स. 374)

ज़कात की रक़म वापस लेने का ना जाइज़ हीला

किसी को आटे के थेले या मिठाई के डिब्बे वग़ैरा में रक़म रख कर बतौर ज़कात देने के बा'द उसी थेले या डिब्बे को किसी कीमत पर ख़रीद लिया तो उस शख़्स के लिये वोह रक़म ह़राम है क्यूं कि फ़कीर ने महूज़ आटे का थेला या मिठाई का डिब्बा बेचा है रक़म नहीं।

(फ़तावा अम्ज़दिय्या, जि. 1, स. 374)

वकील की फ़ीस अदा करना

ज़कात की रक़म किसी ग़रीब शख़्स के वकील को बतौर फ़ीस नहीं दी जा सकती क्यूं कि ज़कात के लिये मालिक बनाना शर्त है। अगर

वोह ग़रीब शख़्स **मुस्तहिक़े** ज़कात हो तो पहले उसे ज़कात दे दी जाए फिर वोह चाहे तो वकील की फ़ीस अदा करे या कुछ और ।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 291)

तोहफ़े की सूरत में ज़कात देना

अगर कोई शादी वग़ैरा के मौक़अ पर कपड़े या तोहफ़े देने में ज़कात की निय्यत करना चाहे तो अगर लेने वाला **मुस्तहिक़े** ज़कात है तो ज़कात की **निय्यत** से दे सकते हैं, **ज़कात** अदा हो जाएगी ।

(फ़तावा अम्ज़दिय्या, जि. 1, स. 387)

ज़कात की रक़म से अनाज ख़रीद कर देना

अगर खाना पका कर या अनाज ख़रीद कर ग़रीबों में तक्सीम किया और देते वक़्त उन्हें मालिक बना दिया तो ज़कात अदा हो जाएगी मगर खाना पकाने पर आने वाला ख़र्च शामिले ज़कात नहीं होगा बल्कि पके हुए खाने के बाज़ारी दाम (या'नी कीमत) ज़कात में शुमार होंगे और अगर महज़ दा'वत के अन्दाज़ में बिठा कर खिला दिया तो मालिक न बनाने की वजह से **ज़कात** अदा न होगी ।

(माख़ूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 262)

मोहताजों को कम कीमत में अनाज बेच कर

ज़कात की निय्यत करना कैसा ?

अगर अनाज ख़रीद कर मुस्तहिक़ीने ज़कात को कम कीमत में बेचें और जितनी रक़म कम की गई उसे **ज़कात** में शुमार करें तो ऐसी सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी क्यूं कि येह सूरत रिआयत की है, मालिक बनाना नहीं पाया गया । इस के बजाए अक़िल व बालिग़ मुस्तहिक़ीने ज़कात को अनाज अस्ल कीमत म-सलन 50 रूपै किलो ही बेचा जाए और जितनी रिआयत मक़सूद हो म-सलन पांच

रूपै तो उतनी रक़म अपने पास से ज़कात के तौर पर दे कर उस का क़ब्ज़ा हो जाने के बा'द कीमत के तौर पर वापस ली जाए। अब फ़ी किलो पांच रूपै बतौरै ज़कात अदा हो गए उस को जम्अ कर के ज़कात में शुमार कर लें।

(माखूज फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 10, स. 72)

ज़कात देने में शक हो तो ?

अगर शक हो कि ज़कात अदा की थी या नहीं ? तो ऐसी सूत्र में ज़कात अदा करे।

(ردالمحتار، كتاب الزكوة، مطلب في زكوة... الخ، ج 3، ص 228)

ला इल्मी में कम ज़कात देना

अगर ला इल्मी की बिना पर ज़कात कम अदा की तो जितनी ज़कात दी वोह अदा हो गई क्यूं कि अदाए ज़कात में निय्यत ज़रूर शर्त है लेकिन मिक्दारे ज़कात का सहीह मा'लूम होना शर्त नहीं। मगर ऐसा शख्स गुनहगार होगा क्यूं कि ज़कात की अदाएगी में ताखीर गुनाह है, ऐसे शख्स को चाहिये कि तौबा करे और हिसाब लगा कर बकिय्या ज़कात अदा करे।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुखर्रजा, जि. 10, स. 126)

ज़कात अदा करने के लिये वकील बनाना

ज़कात की अदाएगी के लिये किसी को वकील बनाना जाइज है।

(ماخوذ ازردالمحتار، كتاب الزكوة، مطلب في زكوة... الخ، ج 3، ص 224)

वकील को ज़कात का इल्म होना

वकील को ज़कात के बारे में बताना ज़रूरी नहीं, अगर दिल में ज़कात की निय्यत है और वकील को कहा कि येह नफ़ली स-दका व ख़ैरात है या ईदी है या क़र्ज है फुलां को दे दो, तो भी

वकालत दुरुस्त है। लेकिन बता देना बेहतर है ताकि वोह अदाएगी की शराइत का ख़याल रख सके।

(माخوذ ازردالمختار، کتاب الزکوٰۃ، مطلب فی زکوٰۃ... الخ، ج ۳، ص ۲۲۳)

क्या वकील भी ज़कात की निय्यत करे ?

अगर वकील को मालिक (या'नी मुअक्कल) ने ज़कात अदा करने की निय्यत से माल दिया तो वकील को दोबारा निय्यत करने की हाजत नहीं क्यूं कि अस्ल या'नी मालिक की निय्यत मौजूद है।

(الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ، مطلب فی زکوٰۃ... الخ، ج ۳، ص ۲۲۲ ملخصاً)

नफ़ली स-दक़े के लिये वकील बनाने के बा'द ज़कात की निय्यत करना

वकील को देते वक़्त कहा नफ़ल स-दक़ा या कफ़ारा है मगर इस से पहले कि वकील फ़कीरों को दे, उस ने ज़कात की निय्यत कर ली तो ज़कात ही है, अगर्चे वकील ने नफ़ल या कफ़ारे की निय्यत से फ़कीर को दिया हो।

(الدرالمختار ووردالمختار، کتاب الزکاۃ، مطلب فی زکاۃ ثمن المبیع وفاء، ج ۳، ص ۲۲۳)

मुख़्तलिफ़ लोगों की ज़कात मिलाना

अगर देने वालों ने मिलाने की सरा-हतन इजाज़त दी थी या इस पर उर्फ़ जारी हो और मुअक्कल इस उर्फ़ से वाक्फ़ हो तो वकील मुख़्तलिफ़ लोगों की ज़कात को आपस में मिला सकता है वरना नहीं।

(الدرالمختار، کتاب الزکوٰۃ، مطلب فی زکوٰۃ... الخ، ج ۳، ص ۲۲۳ ملخصاً)

वकील का किसी को वकील बनाना

वकील मज़ीद किसी को वकील बना सकता है।

(المرجع السابق، ص ۲۲۴)

क्या वकील किसी को भी ज़कात दे सकता है ?

अगर देने वालों ने मुत्लक़न इजाज़त दी हो कि जिस मस्रफ़े ज़कात में चाहो सर्फ़ करो तो जिस में चाहे सर्फ़ करे और अगर देने वालों ने किसी मुअय्यन मस्रफ़ में खर्च करने का कहा हो तो वहीं सर्फ़ करना पड़ेगा। फ़तावा शामी में है : “जब ज़कात देने वाले ने येह कहा हो कि फुलां पर ज़कात की रक़म सर्फ़ करो तो वकील को इस बात का इख़्तियार नहीं कि वोह इस के इलावा किसी और पर ज़कात की रक़म सर्फ़ करे।”

(المرجع السابق)

क्या वकील खुद ज़कात रख सकता है ?

जब देने वालों ने मुत्लक़न इजाज़त दी हो कि जहां चाहो सर्फ़ करो तो मुस्तहिक़े ज़कात होने की सूरत में वकील खुद ज़कात रख सकता है वरना नहीं। दुर्रे मुख़्तार में है : “वकील को जाइज़ है कि अपने फ़कीर बेटे या बीवी को ज़कात दे दे मगर खुद नहीं ले सकता, हां ! अगर देने वाले ने येह कहा हो कि जहां चाहो मस्रफ़े ज़कात में सर्फ़ करो तो अपने लिये भी जाइज़ है जब कि फ़कीर हो।”

(الدر المختار، كتاب الزكوة، ج ٣، ص ٢٢٤)

ज़कात पेशगी अदा करना

पेशगी ज़कात दे सकते हैं लेकिन इस के लिये 2 शराइत हैं।

(1) देने वाला मालिके निसाब हो, (2) इख़्तितामे साल पर निसाब मुकम्मल हो।

अगर दोनों में से एक भी शर्त कम होगी तो दिया जाने वाला माल नफ़्तनी स-दक्का शुमार होगा।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول، ج ١، ص ١٧٦)

पेशगी हिसाब का तरीका

जो साहिबे निसाब इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें थोड़ी थोड़ी कर के पेशगी ज़कात देना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वोह अपने पास मौजूद कुल माले ज़कात (सोना चांदी, करन्सी नोट, माले तिजारत वगैरा) का अन्दाज़न हिसाब लगा लें फिर कुल माले ज़कात की कीमत का 2.5% बतौरे ज़कात अलग अलग कर लें। फिर अगर वोह माहाना के हिसाब से देना चाहें तो ज़कात की रक़म को 12 पर तक़सीम कर लें और अगर हफ़तावार देना चाहें तो 48 पर और अगर रोज़ाना देना चाहें तो 360 पर तक़सीम कर लें। फिर जब साल तमाम हो तो ज़कात का मुकम्मल हिसाब कर लें और जो कमी हो उसे पूरा करें।

पेशगी ज़कात ज़ियादा दे दी तो क्या करे ?

अगर पेशगी ज़कात ज़ियादा चली गई तो उसे आयन्दा साल की ज़कात में शामिल कर ले।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول، ج 1، ص 176)

जिसे पेशगी ज़कात दी थी बा 'द में वोह मालदार हो गया तो ?

जिस फ़कीर को पेशगी ज़कात दी थी वोह साल के इख़िताम पर मालदार हो गया या मर गया या मुरतद हो गया तो ज़कात अदा हो गई।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول، ج 1، ص 176)

इख़ितामे साल पर निसाब बाक़ी न रहा तो ?

ऐसी सूरत में जो कुछ दिया, नफ़ली स-दके में शुमार होगा।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الاول، ج 1، ص 176)

ज़कात देने वाले के माल से ज़कात की अदाएगी

जिस पर ज़कात वाजिब हो उसी के माल से ज़कात देना ज़रूरी नहीं कोई दूसरा भी उस की इजाज़त से ज़कात अदा कर सकता है। (माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 139) म-सलन बीवी पर ज़कात हो तो उस की इजाज़त से शोहर अपने माल से अदा कर सकता है।

बिला इजाज़त किसी के माल से उस की ज़कात देना

किसी की इजाज़त के बिग़ैर उस के माल से पेशगी ज़कात देता रहा फिर उसे ख़बर की और उस ने जाइज़ रखा तो भी ज़कात अदा नहीं होगी और जो कुछ मालिक की इजाज़त के बिग़ैर फु-क़रा को दिया है उस का तावान अदा करे। फ़तावा शामी में है : “अगर किसी ने दूसरे की इजाज़त के बिग़ैर ज़कात अदा कर दी फिर दूसरे तक ख़बर पहुंची और उस ने जाइज़ भी रखा तब भी ज़कात अदा न होगी।”

(ردالمحتار، كتاب الزكوة، مطلب في زكوة... النخ، ج 3، ص 223)

ज़कात दिये बिग़ैर इन्तिक़ाल कर जाने वाले का हुक्म

जिस शख्स पर ज़कात वाजिब है अगर वोह मर गया तो साक़ित हो गई या'नी उस के माल से ज़कात देना ज़रूरी नहीं, हां अगर वसिय्यत कर गया तो तिहाई माल (या'नी कुल माल के तीसरे हिस्से) तक वसिय्यत नाफ़िज़ है और अगर आक़िल बालिग़ वरसा इजाज़त दे दें तो कुल माल से ज़कात अदा की जाए।

(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला नम्बर : 84, स. 892)

मशरूत तौर पर ज़कात देना

अगर ज़कात देते वक़्त कोई शर्त लगा दी म-सलन यहां रहोगे तो देता हूं वरना नहीं, या इस शर्त पर ज़कात देता हूं कि फुलां काम

म-सलन ता'मीरे मस्जिद या मद्रसे में सर्फ़ करो तो लेने वाले पर इस शर्त की पाबन्दी ज़रूरी नहीं ज़कात अदा हो जाएगी क्यूं कि ज़कात एक स-दका है और स-दका शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद नहीं होता ।

(ماخوذ از الدرالمختار و رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب المصرف، ج ۳، ص ۴۳)

ज़कात की रक़म तिजारत में लगा कर उस का नफ़अ ग़रीबों में तक्सीम करना कैसा ?

अगर साल पूरा हो चुका है तो ज़कात की रक़म उस के मुस्तहिक़ को देने के बजाए तिजारत में लगाना हराम है । हां अगर कोई साल पूरा होने से पहले इस निय्यत के साथ अपनी ज़कात की रक़म कारोबार में लगाए कि साल तमाम होने पर यह रक़म उस के मुनाफ़अ समेत फु-करा को दे दूंगा तो यह निय्यत बहुत अच्छी है ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुखर्रजा, जि. 10, स. 159 मुलख़बसन)

माले ज़कात से वक्फ़

माले ज़कात से कोई चीज़ ख़रीद कर वक्फ़ नहीं की जा सकती इस लिये माले ज़कात से वक्फ़ मुम्किन नहीं क्यूं कि वक्फ़ किसी की मिल्कियत नहीं होता और ज़कात अदा करने के लिये मालिक बनाना शर्त है । इस की तदबीर, यूं की जा सकती है कि किसी मस्रफ़े ज़कात को ज़कात दें फिर वोह अपनी तरफ़ से कितानें वग़ैरा ख़रीद कर वक्फ़ कर दें ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुखर्रजा, जि. 10, स. 255)

ज़कात शहर से बाहर ले जाना

अगर ज़कात पेशगी अदा करनी हो तो दूसरे शहर भेजना मुत्लक़न जाइज़ है और अगर साल पूरा हो चुका है तो दूसरे शहर भेजना मक्रूह, हां अगर वहां कोई रिशतेदार हो या कोई शख़्स ज़ियादा

मोहताज हो या कोई नेक मुत्तकी शख्स हो या वहां भेजने में मुसलमानों का ज़ियादा फ़ाएदा हो तो कोई हरज नहीं। दुर्रे मुख़्तार में है : “ज़कात को दूसरी जगह मुत्तकिल करना मक्रूह है, हां ऐसी सूरत में मक्रूह नहीं जब दूसरी जगह कोई रिश्तेदार हो या कोई ज़ियादा मोहताज हो या नेक मुत्तकी शख्स हो या उस में मुसलमानों का ज़ियादा फ़ाएदा हो या साल से पहले जल्दी ज़कात देना चाहता हो।”

(माखुदाज़ الدر المختار ورد المحتار، كتاب الزكوة، باب المصرف في الحوائج ج 3 ص 205)

बैंक से ज़कात की कटौती

बैंक से ज़कात की कटौती की सूरत में अदाऐगिये ज़कात की शराइत् पूरी नहीं हो पाती म-सलन मालिक बनाना, कि ज़ियादा रूपिया ऐसी जगह खर्च किया जाता है जहां कोई मालिक नहीं होता, लिहाज़ा ज़कात अदा नहीं होगी। (वकारुल फ़तावा, जि. 2, स. 414 मुलख़बसन) लिहाज़ा शर-ई एह्तियात् का तकाज़ा येही है कि अपनी ज़कात शरीअत के मुताबिक़ खुद अदा की जाए।

हीलए शर-ई

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ अपनी किताब “इस्लामी बहनों की नमाज़” सफ़हा 166 पर लिखते हैं : हीलए शर-ई का जवाज़ कुरआनो हदीस और फ़िक्हे ह-नफ़ी की मो’तबर कुतुब में मौजूद है। चुनान्चे हज़रते सय्यिदुना अय्यूब عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की बीमारी के ज़माने में आप عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की जौजए मोह-त-रमा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا एक बार खिदमते सरापा अ-ज़मत में ताख़ीर से हाज़िर हुई तो आप عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ने क़सम खाई कि “मैं तन्दुरुस्त हो कर 100 कोड़े मारूंगा” सिह्हत याब होने पर اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ने उन्हें 100 तीलियों की झाड़ू मारने का हुक्म इर्शाद फ़रमाया। चुनान्चे कुरआने पाक में है :

وَحْدَيْدِكَ ضَعْفًا صَرِبٌ

بِهِ وَلَا تَخَشْطُ
(प २३, व: ६६)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और फ़रमाया
कि अपने हाथ में एक झाड़ू ले कर उस से
मार दे और क़सम न तोड़ ।

“फ़तावा आलमगीरी” में हीलों का एक मुस्तक़िल बाब है जिस का नाम “किताबुल हियल” है चुनान्चे “आलमगीरी किताबुल हियल” में है, “जो हीला किसी का हक़ मारने या उस में शुबा पैदा करने या बातिल से फ़रेब देने के लिये किया जाए वोह मक्रूह है और जो हीला इस लिये किया जाए कि आदमी हराम से बच जाए या हलाल को हासिल कर ले वोह अच्छा है । इस क़िस्म के हीलों के जाइज़ होने की दलील अल्लाह ए़र्रुजल का येह फ़रमान है :

وَحْدَيْدِكَ ضَعْفًا صَرِبٌ

بِهِ وَلَا تَخَشْطُ
(प २३, व: ६६)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और फ़रमाया
कि अपने हाथ में एक झाड़ू ले कर उस से
मार दे और क़सम न तोड़ ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الحيل، ج ६، ص ३९०)

कान छेदने का रवाज कब से हुवा ?

हीले के जवाज़ पर एक और दलील मुला-हज़ा फ़रमाइये चुनान्चे हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है कि एक बार हज़रते सय्यि-दतुना सारह और हज़रते सय्यिदतुना हाजिरा में कुछ चप-क़लिश हो गई । हज़रते सय्यि-दतुना सारह रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ने क़सम खाई कि मुझे अगर काबू मिला तो मैं हाजिरा का कोई उज़्व काटूंगी । अल्लाह ए़र्रुजल ने हज़रते सय्यिदुना

जिब्रईल عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام को हज़रते सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह की खिदमत में भेजा कि उन में सुल्ह करवा दें । हज़रते सय्यि-दतुना सारह رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ने अर्ज की, “ مَاحِيْلَةٌ يَمِيْنِي ” या'नी मेरी क़सम का क्या हीला होगा ?” तो हज़रते सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام पर वहूय नाज़िल हुई कि (हज़रते) सारह (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) को हुक्म दो कि वोह (हज़रते) हाजिरा (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) के कान छेद दें । उसी वक़्त से औरतों के कान छेदने का रवाज पड़ा । (غمرغيون البصائر شرح الاشباه والنظائر، ج ۳، ص ۲۹۵)

गाय के गोशत का तोहफ़ा

उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यि-दतुना अ़इशा सिदीका रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से रिवायत है कि दो जहां के सुल्तान, सरवरे ज़ीशान, महबूबे रहमान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की खिदमत में गाय का गोशत हाज़िर किया गया, किसी ने अर्ज की, येह गोशत हज़रते सय्यि-दतुना बरीरा هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. : फ़रमाया : पर स-दक़ा हुवा था । फ़रमाया : या'नी येह बरीरा के लिये स-दक़ा था हमारे लिये हदिय्या है ।

(صحيح مسلم، كتاب الزكوة، الحديث ۱۰۷۵ ص ۵۴)

ज़कात का शर-ई हीला

हज़रते सय्यि-दतुना बरीरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا जो कि स-दक़े की हक़दार थीं उन को बतौरै स-दक़ा मिला हुवा गाय का गोशत अगर्चे उन के हक़ में स-दक़ा ही था मगर उन के क़ब्ज़ा कर लेने के बा'द जब बारगाहे रिसालत में पेश किया गया था तो उस का हुक्म बदल गया था और अब वोह स-दक़ा न रहा था । यूँ ही कोई मुस्तहिक़ शख़्स ज़कात अपने क़ब्ज़े में

लेने के बा'द किसी भी आदमी को तोहफ़तन दे सकता या मस्जिद वगैरा के लिये पेश कर सकता है कि मज़कूरा मुस्तहिक़ शख़्स का पेश करना अब ज़कात न रहा, हदिय्या या अतिय्या हो गया ।

हीलए शर-ई का तरीक़ा

हीलए शर-ई का तरीक़ा येह है किसी शर-ई फ़कीर को ज़कात का मालिक बना दें फिर वोह (आप के मश्वरे पर या खुद) अपनी तरफ़ से किसी नेक काम में खर्च करने के लिये दे दे । तो **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** दोनों को सवाब होगा । फु-क़हाए किराम **رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى** इर्शाद फ़रमाते हैं, ज़कात की रक़म मुर्दे की तज्हीज़ व तक्फ़ीन या मस्जिद की ता'मीर में सर्फ़ नहीं कर सकते कि तम्लीके फ़कीर (या'नी फ़कीर को मालिक करना) न पाई गई । अगर इन उमूर में खर्च करना चाहें तो इस का तरीक़ा येह है कि फ़कीर को (ज़कात की रक़म का) मालिक कर दें और वोह (ता'मीरे मस्जिद वगैरा में) सर्फ़ करे, इस तरह सवाब दोनों को होगा ।

(ردالمحتار، کتاب الزکوة، ج ۳، ص ۳۴۳)

100 अफ़राद को बराबर बराबर सवाब मिले

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! कफ़न दफ़न बल्कि ता'मीरे मस्जिद में भी हीलए शर-ई के ज़रीए ज़कात इस्ति'माल की जा सकती है । क्यूं कि ज़कात तो फ़कीर के हक़ में थी जब फ़कीर ने क़ब्ज़ा कर लिया तो अब वोह मालिक हो चुका, जो चाहे करे । हीलए शर-ई की ब-र-कत से देने वाले की ज़कात भी अदा हो गई और फ़कीर भी मस्जिद में दे कर सवाब का हक़दार हो गया । फ़कीरे शर-ई को हीले का मस्अला बेशक समझा दिया जाए । हीला करते वक़्त मुम्किन हो तो

ज़ियादा अफ़राद के हाथ में रक़म फिरानी चाहिये ताकि सब को सवाब मिले म-सलन हीले के लिये फ़कीरे शर-ई को 12 लाख रूपै ज़कात दी, क़ब्जे के बा'द वोह किसी भी इस्लामी भाई को तोहफ़तन दे दे येह भी क़ब्जे में ले कर किसी और को मालिक बना दे, यूं सभी ब निय्यते सवाब एक दूसरे को मालिक बनाते रहें, आख़िर वाला मस्जिद या जिस काम के लिये हीला किया था उस के लिये दे दे तो **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** सभी को बारह बारह लाख रूपै स-दक़ा करने का सवाब मिलेगा। चुनान्चे हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत, पैकरे जूदो सखावत, सरापा रहमत, महबूबे रब्बुल इज़्ज़त **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इर्शाद फ़रमाया, अगर सो¹⁰⁰ हाथों में स-दक़ा गुज़रा तो सब को वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा देने वाले के लिये है और उस के अज़्र में कुछ कमी न होगी।

(तारिख़ بغداد، ج 7، ص 135)

रख मत लेना

हीला करते वक़्त शर-ई फ़कीर को येह न कहिये कि वापस दे देना, रख मत लेना वगैरा वगैरा, बिलफ़र्ज़ ऐसा कह भी दिया तब भी ज़कात की अदाएगी व हीले में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा क्यूं कि स-दक़ात व ज़कात और तोहफ़ा देने में इस क़िस्म के शर्तिय्या अल्फ़ाज़ फ़ासिद हैं। आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ** फ़तावा शामी के हवाले से फ़रमाते हैं, “हिबा और स-दक़ा शर्ते फ़ासिद से फ़ासिद नहीं होते।”

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 108)

अगर शर-ई फ़कीर ज़कात ले कर वापस न दे तो ?

अगर हीला करने के लिये शर-ई फ़कीर को ज़कात दी जाए और वोह ले कर रख ले तो अब उस से नेक कामों के लिये ज़ब्रन नहीं ले सकते क्यूं कि अब वोह मालिक हो चुका और उसे अपने माल पर इख़्तियार हासिल है।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 108)

हीलाए शर-ई के लिये भरोसे का आदमी न मिल सके तो ?

अगर भरोसे का कोई आदमी न मिल सके तो इस का मुम्किनता तरीका येह है कि अगर पांच हज़ार रूपै ज़कात बनती हो तो किसी शर-ई फ़कीर के हाथ कोई चीज़ म-सलन चन्द किलो गन्दुम पांच हज़ार की बेची जाए और उसे समझा दिया जाए कि इस की कीमत तुम्हें नहीं देनी पड़ेगी बल्कि हम तुम्हें रक़म देंगे उसी से अदा कर देना। जब वोह बैअ क़बूल कर ले तो गन्दुम उसे दे दी जाए, इस तरह वोह आप का पांच हज़ार का मक्रूज़ हो गया। अब उसे पांच हज़ार रूपै ज़कात की मद में दें जब वोह इस पर क़ब्ज़ा कर ले तो ज़कात अदा हो गई, फिर आप गन्दुम की कीमत के तौर पर वोह पांच हज़ार वापस ले लें, अगर वोह देने से इन्कार करे तो ज़ब्रन (ज़बर दस्ती) भी ले सकते हैं क्यूं कि क़र्ज़ ज़बर दस्ती भी वुसूल किया जा सकता है।

(الدر المختار، كتاب الزكوة، ج 3، ص 226) (माखूज़ अज़ फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 388)

फ़कीर को ज़कात की रक़म भलाई के कामों में खर्च करने का मश्वरा देना

हीलाए शर-ई में देने के बा'द उस फ़कीर को किसी अग्रे ख़ैर के लिये देने का कह सकते हैं इस पर **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** दोनों को सवाब मिलेगा

कि जो किसी भलाई पर राहनुमाई करता है उस पर अमल करने वाले का सवाब उसे भी मिलता है ।

(رد المحتار، كتاب الزكوة، ج 3، ص 227) , माखूज अज फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 388)

हीलए शर-ई किये बिगैर ज़कात मद्रसे में खर्च कर दी तो ?

अगर किसी ने हीलए शर-ई किये बिगैर ज़कात मद्रसे में खर्च कर दी तो अब वोह खर्च ज़कात में शुमार नहीं हो सकता क्यूं कि अदाएगी की शराइत मौजूद नहीं है । जो कुछ खर्च किया गया वोह खर्च करने वाले की तरफ़ से हुवा । उस पर लाज़िम है कि इस तमाम रक़म का तावान दे (या'नी इतनी रक़म अपने पास से अदा करे) ।

(माखूज अज फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 311)

मां बाप को ज़कात देने के लिये हीलए शर-ई करना

मां बाप मोहताज हों और हीला कर के ज़कात देना चाहता है कि येह फ़कीर को दे दे फिर फ़कीर उन्हें दे येह मक्रूह है । यूंही हीला कर के अपनी औलाद को देना भी मक्रूह है ।

(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, मस्अला : 24, स. 928)

ज़कात की जगह नफ़ली स-दका करना

आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ الرَّحْمَنِ ने फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 10 सफ़हा 175 पर एक सुवाल के जवाब में जो कुछ इर्शाद फ़रमाया उस का खुलासा पेशे ख़िदमत है, चुनान्चे आप عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى लिखते हैं :

उस से बढ कर अहमक़ कौन कि अपने माल झूटे सच्चे नाम की ख़ैरात में सर्फ़ करे और अल्लाह عَزَّوَجَلَّ का फ़र्ज और उस बादशाहे

क़हहार का वोह भारी क़र्ज़ गरदन पर रहने दे। शैतान का बड़ा धोका है कि आदमी को नेकी के पर्दे में हलाक करता है। नादान समझता ही नहीं, येह समझा कि नेक काम कर रहा हूं और न जाना कि नफ़ल बे फ़र्ज़ निरे धोके की टट्टी है, उस के क़बूल की उम्मीद तो मफ़कूद और उस के तर्क का अज़ाब गरदन पर मौजूद। ऐ अज़ीज़! फ़र्ज़ ख़ास सुल्तानी क़र्ज़ है और नफ़ल गोया तोहफ़ा व नज़राना। क़र्ज़ न दीजिये और बालाई बेकार तोहफ़े भेजिये वोह काबिले क़बूल होंगे खुसूसन उस शहन्शाहे ग़नी की बारगाह में जो तमाम जहान व जहानियां से बे नियाज़? यूं यकीन न आए तो दुन्या के झूटे हाकिमों ही को आज़्मा ले, कोई ज़मीन दार माल गुज़ारी तो बन्द कर ले और तोहफ़े में डालियां भेजा करे, देखो तो सरकारी मुजरिम ठहरता है या उस की डालियां कुछ बहबूद का फल लाती हैं? ज़रा आदमी अपने ही गिरीबान में मुंह डाले, फ़र्ज़ कीजिये आसामियों से किसी खंडसारी (चीनी बनाने वाले) का रस बंधा हुआ है जब देने का वक़्त आए वोह रस तो हरगिज़ न दें मगर तोहफ़े में आम ख़रबूजे भेजें, क्या येह शख़्स इन आसामियों से राज़ी होगा या आते हुए उस की ना दिहन्दगी पर जो आज़ार उन्हें पहुंचा सकता है उन आम ख़रबूजे के बदले उस से बाज़ आएगा? **سُبْحَانَ اللَّهِ!** जब एक खंडसारी के मुता-लबे का येह हाल है तो मलिकुल मुलूक अहकमुल हाकिमीन **جَلَّ وَعَلَا** के क़र्ज़ का क्या पूछना!

अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना

अबू बक्र **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ की वसिय्यत**

जब ख़लीफ़े रसूलुल्लाह **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** सय्यिदुना सिद्दीके अक़बर **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** की नज़्अ का वक़्त हुआ अमीरुल मुअमिनीन

फ़ारूके आ'ज़म رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ को बुला कर फ़रमाया : ऐ उमर ! अल्लाह से डरना और जान लो कि अल्लाह के कुछ काम दिन में हैं कि उन्हें रात में करो तो क़बूल न फ़रमाएगा और कुछ काम रात में कि उन्हें दिन में करो तो मक़बूल न होंगे, और ख़बरदार रहो कि कोई नफ़ल क़बूल नहीं होता जब तक फ़र्ज़ अदा न कर लिया जाए ।

(حلیة الاولیاء، اسم ابوبکر الصّدیق، ج ۱، ص ۷۱)

गौसे आ'ज़म رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ की तम्बीह

हज़ूर पुरनूर सय्यिदुना गौसे आ'ज़म मौलाए अकरम हज़रते शैख़ मुह्युल मिल्ल-त वदीन अबू मुहम्मद अब्दुल क़ादिर जीलानी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अपनी किताबे मुस्तताब "फ़ुतूहल ग़ैब शरीफ़" में क्या क्या जिगर शिगाफ़ मिसालें ऐसे शख़्स के लिये इर्शाद फ़रमाई हैं जो फ़र्ज़ छोड़ कर नफ़ल बजा लाए । फ़रमाते हैं : इस की क़हावत ऐसी है जैसे किसी शख़्स को बादशाह अपनी ख़िदमत के लिये बुलाए, येह वहां तो हाज़िर न हुवा और उस के गुलाम की ख़िदमत ग़ारी में मौजूद रहे । फिर हज़रते अमीरुल मुअमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यिदुना मौला अली मुर्तज़ा كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ से उस की मिसाल नक़ल फ़रमाई कि जनाब इर्शाद फ़रमाते हैं : ऐसे शख़्स का हाल उस औरत की तरह है जिसे हम्ल रहा जब बच्चा होने के दिन करीब आए इस्कात (या'नी बच्चा जाएअ) हो गया अब वोह न हामिला है न बच्चे वाली । या'नी जब पूरे दिनों पर अगर इस्कात हो तो मेहनत तो पूरी उठाई और नतीजा खाक नहीं कि अगर बच्चा होता तो समरा (या'नी फल) खुद मौजूद था हम्ल बाकी रहता तो आगे उम्मीद लगी थी, अब न हम्ल न बच्चा, न उम्मीद न समरा

और तक्लीफ़ वोही झेली जो बच्चे वाली को होती। ऐसे ही इस नफ़्ल ख़ैरात देने वाले के पास से रूपिया तो उठा मगर जब कि फ़र्ज़ छोड़ा येह नफ़्ल भी क़बूल न हुवा तो ख़र्च का ख़र्च हुवा और हासिल कुछ नहीं। इसी किताबे मुबारक में हुज़ूर मौला رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने फ़रमाया है कि :

فان اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض لم يقبل منه واهين فِجْرٌ يا'नी छोड़ कर सुन्नत व नफ़्ल में मशगूल होगा येह क़बूल न होंगे और ख़वार किया जाएगा। (شرح فتوح الغيب، ص ५११ تا ५१४)

हज़रते शैख़ुशुयूख़ इमाम शहाबुल मिल्ल-त वदीन सोहरवर्दी हज़रते अवारिफ़ शरीफ़ के باب الثامن والثلاثون में हज़रते بلغنا ان الله لا يقبل نافلة: : हैं से नक्ल फ़रमाते हैं: حتى يؤدي فريضة يقول الله تعالى مثلكم كمثل العبد السوء بداء بالهداية कोई नफ़्ल क़बूल नहीं फ़रमाता यहां तक कि फ़र्ज़ अदा किया जाए, अल्लाह तआला ऐसे लोगों से फ़रमाता है कहावत तुम्हारी बद बन्दे की मानिन्द है जो क़र्ज़ अदा करने से पहले तोहफ़ा पेश करे।

(عوارف المعارف، ص १९१)

चार फ़राइज़ में तीन पर अमल करना

खुद हदीस में है: हुज़ूर पुरनूर सय्यिदे आलम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اربع فرضهن الله في الاسلام فمن جاء بثلث لم يغنين عنه شيئاً حتى: फ़रमाते हैं: ياتي بهن جميعاً الصلوة والزكوة وصيام رمضان و حج البيت

अल्लाह तआला ने इस्लाम में फ़र्ज़ की हैं जो उन में से तीन अदा करे वोह उसे कुछ काम न दें जब तक पूरी चारों न बजा लाए नमाज़, ज़कात, रोज़ए र-मज़ान, हज़्जे का'बा। (مسند امام احمد، مسند الشاميين، ج ٦، ص ٢٣٦)

नमाज़ क़बूल नहीं

हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرमाते हैं :
 امرنا باقام الصلوة وابتاء الزكوة ومن لم يترك فلا صلوة له :
 गया कि नमाज़ पढ़ें और ज़कात दें और जो ज़कात न दे उस की नमाज़ क़बूल नहीं। (المعجم الكبير، الحديث ١٠٠٩٥ ج ١٠، ص ١٠٣)

سُبْحَانَ اللَّهِ ! जब ज़कात न देने वाले की नमाज़, रोज़े, हज़ तक मक़बूल नहीं तो इस नफ़ल ख़ैरात नाम की काएनात से क्या उम्मीद है बल्कि इन्ही से अस्बहानी की रिवायत में आया कि फ़रमाते हैं :
 من اقام الصلوة ولم يؤت الزكوة فليس بمسلم ينفعه
 जो नमाज़ अदा करे और ज़कात न दे वोह मुसलमान नहीं कि उसे उस का अमल काम आए।
 (الزواجر، ج ١، ص ٢٨٠) इलाही ! मुसलमान को हिदायत फ़रमा आमीन !

जो स-दका व ख़ैरात कर चुका उस का हुक्म

बिल जुम्ला जिस शख्स ने आज तक जिस क़दर ख़ैरात की, मस्जिद बनाई, गाउं वक़फ़ किया, येह सब उमूर सहीह व लाज़िम तो हो गए कि अब न दी हुई ख़ैरात फ़कीर से वापस कर सकता है न किये हुए वक़फ़ को फेर लेने का इख़्तियार रखता है, न इस गाउं की तौफ़ीर अदाए ज़कात, ख़्वाह अपने और किसी काम में सर्फ़ कर सकता है कि वक़फ़ बा'द

तमामी लाज़िम व हत्मी हो जाता है जिस के इत्ज़ाल का हरगिज़ इख़्तियार नहीं रहता ।

मगर इस के बा वुजूद जब तक ज़कात पूरी पूरी न अदा करे इन अपज़ाल पर उम्मीदे सवाब व क़बूल नहीं कि किसी फ़े'ल का सहीह हो जाना और बात है और उस पर सवाब मिलना, मक़बूले बारगाह होना और बात है, म-सलन अगर कोई शख़्स दिखावे के लिये नमाज़ पढ़े नमाज़ सहीह तो हो गई फ़र्ज़ उतर गया, पर न क़बूल होगी न सवाब पाएगा, बल्कि उल्टा गुनाहगार होगा, येही हाल उस शख़्स का है ।

शैतान के वार को पहचानिये

ऐ अज़ीज़ ! अब शैताने लईन कि इन्सान का खुला दुश्मन है बिल्कुल हलाक कर देने और येह ज़रा सा डोरा जो क़स्दे ख़ैरात का लगा रह गया है जिस से फु-क़रा को तो नफ़अ है उसे भी काट देने के लिये यूं फ़िक़्रा सुझाएगा कि जो ख़ैरात क़बूल नहीं तो करने से क्या फ़ाएदा, चलो इसे भी दूर करो, और शैतान की पूरी बन्दगी बजा लाओ, मगर अल्लाह عَزَّوَجَلَّ को तेरी भलाई और अज़ाबे शदीद से रिहाई मन्ज़ूर है, वोह तेरे दिल में डालेगा कि इस हुक्मे शर-ई का जवाब येह न था जो इस दुश्मने ईमान ने तुझे सिखाया और रहा सहा बिल्कुल ही मु-तमर्रिद व सरक़श बनाया बल्कि तुझे तो फ़िक़्र करनी थी जिस के बाइस अज़ाबे सुल्तानी से भी नजात मिलती और आज तक कि येह वक़फ़ व मस्जिद व ख़ैरात भी सब क़बूल हो जाने की उम्मीद पड़ती, भला ग़ौर करो वोह बात बेहतर कि बिगड़ते हुए काम फिर बन जाएं, अकारत जाती मेहनतें अज़ सरे नौ समरा लाएं या مَعَادَ اللَّهِ येह बेहतर कि रही सही नाम को जो सूरते बन्दगी बाकी है उसे भी सलाम

कीजिये और खुले हुए सरकशों, इश्तिहारी बागियों में नाम लिखा लीजिये, वोह नेक तदबीर येही है कि ज़कात न देने से तौबा कीजिये ।

ज़कात अदा कर दीजिये

आज तक जितनी ज़कात गरदन पर है फ़ौरन दिल की खुशी के साथ अपने रब का हुक्म मानने और उसे राजी करने को अदा कर दीजिये कि शहन्शाहे बे नियाज़ की दरगाह में बागी गुलामों की फ़ेहरिस्त से नाम कट कर फ़रमां बरदार बन्दों के दफ़्तर में चेहरा लिखा जाए । मेहरबान मौला जिस ने जान अता की, आ'जा दिये, माल दिया, करोड़ों ने'मतें बख़्शीं, उस के हुज़ूर मुंह उजाला होने की सूरत नज़र आए और मुज़्दा हो, बिशारत हो, नवीद हो, तहनिय्यत हो कि ऐसा करते ही अब तक जिस क़दर ख़ैरात दी है वक्फ़ किया है, मस्जिद बनाई है, इन सब की भी मक़बूली की उम्मीद होगी कि जिस जुर्म के बाइस येह काबिले क़बूल न थे जब वोह जाइल हो गया उन्हें भी بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى श-रफ़े क़बूल हासिल हो गया ।

ज़कात का हिसाब कैसे लगाए ?

चारए कार तो येह है आगे हर शख़्स अपनी भलाई बुराई का इख़्तियार रखता है, मुद्दते दराज़ गुज़रने के बाइस अगर ज़कात का तहकीकी हिसाब न मा'लूम हो सके तो अ़किबत पाक करने के लिये बड़ी से बड़ी रक़म जहां तक ख़याल में आ सके फ़र्ज़ कर ले कि ज़ियादा जाएगा तो जाएअ न जाएगा, बल्कि तेरे रब मेहरबान के पास तेरी बड़ी हाज़त के वक़्त के लिये जम्अ रहेगा वोह इस का कामिल अज़्र जो तेरे हौसला व गुमान से बाहर है अता फ़रमाएगा, और कम किया तो बादशाहे क़्हहार का मुता-लबा जैसा हज़ार रूपिये का वैसा ही एक पैसे का ।

कुसूर अपना है

अगर इस वजह से कि माले कसीर और बरसों की ज़कात है येह रक़म वाफ़िर देते हुए नफ़्स को दर्द पहुंचेगा, तो **अव्वल** तो येह ही ख़याल कर लीजिये कि कुसूर अपना है साल ब साल देते रहते तो येह गठड़ी क्यूं बंध जाती, फिर खुदाए करीम **عَزَّوَجَلَّ**, की मेहरबानी देखिये, उस ने येह हुक्म न दिया कि **गैरों** ही को दीजिये बल्कि **अपनों** को देने में दूना सवाब रखा है, एक तसद्दुक़ का, एक सिलए रेहूम का। तो जो अपने घर से प्यारे, दिल के अज़ीज़ हों जैसे भाई, भतीजे, भांजे, उन्हें दे दीजिये कि उन का देना चन्दां ना गवार न होगा, बस **इतना लिहाज़** कर लीजिये कि न वोह ग़नी हो न ग़नी बाप जिन्दा के ना बालिग़ बच्चे, न उन से अलाका ज़ौजिय्यत या विलादत हो या'नी न वोह अपनी औलाद में न आप उन की औलाद में। फिर अगर रक़म ऐसी ही फ़रावां (या'नी कसीर) है कि गोया हाथ बिल्कुल **ख़ाली** हुवा जाता है तो दिये बिगैर तो छुटकारा नहीं, खुदा के वोह **सख़्त अज़ाब** हज़ारों बरस तक झेलने बहुत **दुश्वार** है, दुन्या की येह चन्द सांसें तो जैसे बने गुज़र ही जाएंगी।

बरसों की ज़कात की अदाएगी का एक हीला

अगर येह शख़्स अपने इन अज़ीज़ों को ब निय्यते **ज़कात** दे कर क़ब्ज़ा दिलाए फिर वोह तर्स खा कर बिगैर उस के ज़ब्र व इक्राह के (या'नी मजबूर किये बगैर) अपनी खुशी से बतौरै **हिबा जिस क़दर** चाहें वापस कर दें तो सब के लिये सरासर **फ़ाएदा** है, उस के लिये येह कि खुदा के **अज़ाब** से छूटा, अल्लाह तअाला का क़र्ज़ व फ़र्ज़ अदा हुवा और माल भी **हलाल व पाकीज़ा** हो कर वापस मिला, जो **बच** रहा वोह अपने जिगर पारों के पास रहा, उन के लिये येह **फ़ाएदे** हैं कि दुन्या में **माल** मिला उ़क़बा में अपने अज़ीज़ मुसल्मान भाई पर तर्स खाने और उसे हिबा करने और उस के अदाए ज़कात में मदद देने से **सवाब** पाया, फिर अगर

इन पर पूरा इत्मीनान हो तो ज़कात सालहा साल हिसाब लगाने की भी हाज़त न रहेगी, अपना कुल माल बतौरै तसद्दुक़ उन्हें दे कर क़ब्ज़ा दिला दे फिर वोह जिस क़दर चाहें उसे अपनी तरफ़ से हिबा कर दें, कितनी ही ज़कात इस पर थी सब अदा हो गई और सब मतलब बर आए और फ़रीक़ैन ने हर क़िस्म के दीनी व दुन्यवी नफ़अ पाए, मौला عَزَّوَجَلَّ अपने करम से तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

खुशदिली से ज़कात दीजिये

हज़रते सय्यिदुना अबू दर्दा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि हज़ुरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़लाक صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया, “जो ईमान के साथ इन पांच चीज़ों को बजा लाया जन्नत में दाख़िल होगा, जिस ने पांच नमाज़ों की उन के वुजू और रुकूअ और सुजूद और अवकात के साथ पाबन्दी की और र-मज़ान के रोज़े रखे और जिस ने इस्तिताअत होने पर हज़ किया और खुशदिली से ज़कात अदा की।”

(مجمع الزوائد، كتاب الايمان، فيما بنى عليه الاسلام، رقم ١٣٩، ج ١، ص ٢٠٥)

हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मुअविआ अल ग़ाज़िरी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है सय्यिदुल मुबल्लिग़िन, रहूमतुल्लिल आ-लमीन صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया, “जिस ने तीन काम किये उस ने ईमान का जाएक़ा चख़ लिया, (1) जिस ने एक अल्लाह की इबादत की और येह यकीन रखा कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के सिवा कोई मा'बूद नहीं (2) जिस ने खुशदिली से हर साल अपने माल की ज़कात अदा की (3) जिस ने ज़कात में बूढ़े और बीमार जानवर या बोसीदा कपड़े और घटिया माल की बजाए औसत द-रजे का माल दिया क्यूं कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ तुम से तुम्हारा बेहतरीन माल त़लब नहीं करता और न ही घटिया माल देने की इजाज़त देता है।”

(ابوداؤد، كتاب الزكاة، فى زكاة السائمة، رقم ١٥٨٢، ج ٢، ص ١٤٧)

जानवरों की ज़कात

जानवरों की ज़कात कब फ़र्ज़ होगी ?

हर किस्म के जानवर की ज़कात नहीं देंगे इस में तफ़्सील यह है कि

★ जो जानवर तिजारत की गरज़ से ख़रीदे गए हैं, वोह माले तिजारत हैं और उन की ज़कात उन की क़ीमत के हिसाब से दी जाएगी।

★ जो जानवर साल का अक्सर हिस्सा जंगल में चर कर गुज़ारा करते हों और चराने से मक्सूद सिर्फ़ दूध और बच्चे लेना और फ़र्बा करना है, येह साएमा कहलाते हैं इन की ज़कात देना होगी।

★ जो जानवर अगर्चे जंगल में चरते हों लेकिन इस से मक्सूद बोझ लादना या हल वगैरा के काम में लाना या सुवारी में इस्ति'माल करना या उन का गोशत खाना हो तो येह जानवर साएमा नहीं हैं, इन की ज़कात देना वाजिब नहीं है।

★ जिन जानवरों को घर पर चारा खिलाते हों उन की भी ज़कात वाजिब नहीं है।

(माخوذ از الدرالمختار و رد المحتار، كتاب الزكوة، باب السائمة، ج ۳، ص ۲۳۲، ۲۳۴)

नोट : जानवरों की ज़कात के मसारिफ़ भी वोही हैं जो सोने चांदी और करन्सी नोटों वगैरह के हैं।

तिजारत के लिये जानवर ख़रीद कर

चराना शुरू कर दिया तो.....

अगर जानवर तिजारत के लिये ख़रीदा था मगर बा'द में चराना शुरू कर दिया तो अगर उसे साएमा बनाने की निय्यत कर ली तो अब साल शुरू हो जाएगा और अगर निय्यत नहीं की थी तो माले तिजारत ही रहेगा।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الثاني، الفصل الاول، ج ۳، ص ۱۷۷)

वक्फ़ के जानवरों की ज़कात

वक्फ़ के जानवरों की ज़कात देना वाजिब नहीं है।

(ماخوذ از الدرالمختار و رد المحتار، كتاب الزكوة، باب السائمة، ج 3، ص 236)

कितनी किस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है ?

3 किस्म के जानवरों में ज़कात वाजिब है जब कि साएमा हों :

(1) ऊंट (2) गाय (3) बकरी

ऊंट की ज़कात

ऊंट की ज़कात की तफ़्सील कुछ इस तरह से है :

★ कम अज़ कम 5 ऊंटों पर निसाब पूरा होता है, पांच से कम ऊंटों में ज़कात वाजिब नहीं है।

★ 5 से 25 तक की ज़कात इस तरह देंगे कि हर 5 के बदले एक सालह बकरी या बकरा देंगे। एक निसाब से दूसरे निसाब की दरमियानी ता'दाद शामिले ज़कात नहीं होगी म-सलन पांच के बा'द अगर एक, दो, तीन या चार ऊंट ज़ाइद हों उन की ज़कात नहीं दी जाएगी बल्कि दस ऊंट पूरे होने पर दी जाएगी।

★ 25 से 35 तक एक सालह मादा ऊंटनी जो दूसरे बरस में हो, दी जाएगी।

★ 36 से 45 तक मादा ऊंटनी जो दो साल की हो कर तीसरे बरस में हो, दी जाएगी।

★ 46 से 60 तक मादा ऊंटनी जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हो, दी जाएगी।

★ 61 से 75 तक मादा ऊंटनी जो चार साल की हो कर पांचवें बरस में हो, दी जाएगी।

★ 76 से 90 तक 2 मादा ऊंटनियां जो दो साल की हो कर तीसरे बरस में हों, दी जाएंगी ।

★ 91 से 120 तक 2 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों, दी जाएंगी ।

★ 121 से 145 तक 2 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों और हर पांच पर एक सालह बकरी या बकरा दिया जाए । म-सलन 125 पर 2 ऊंटनियों के साथ एक बकरी, 130 पर 2 ऊंटनियों के साथ दो बकरियां, 135 में पर 2 ऊंटनियों के साथ तीन बकरियां, 140 में 2 ऊंटनियों के साथ चार बकरियां ।

★ 145 में 2 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों और एक ऊंट का बच्चा जो एक साल का हो कर दूसरे बरस में हो, दिया जाएगा ।

★ 150 ऊंटों पर 3 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों, दी जाएंगी ।

★ 150 से 170 तक 3 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों दी जाएंगी और हर पांच पर एक सालह बकरी या बकरा दिया जाए । म-सलन 155 पर 3 ऊंटनियों के साथ एक बकरी, 160 पर ऊंटनियों के साथ दो बकरियां, *اعلى هذا القياس* ।

★ 175 से 185 तक 3 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों, दी जाएंगी और एक सालह ऊंटनी जो दूसरे साल में हो दी जाएगी ।

★ 186 से 195 तक 3 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों, दी जाएंगी और एक ऊंटनी जो दो साल की हो कर तीसरे साल में हो, दी जाएगी ।

★ 195 से 200 तक 4 मादा ऊंटनियां जो तीन साल की हो कर चौथे बरस में हों, दी जाएंगी। अगर चाहें तो 5 मादा ऊंटनियां जो दो साल की हो कर तीसरे बरस में हों, दे सकते हैं।

★ 200 से 250 तक का हिसाब इसी तरह से किया जाएगा जिस तरह 150 से 200 तक किया गया है।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الثاني، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٧٧،

الدرالمختار، كتاب الزكوة، باب نصاب الابل، ج ٣، ص ٢٣٨)

मज़िद आसानी के लिये नीचे दिया गया जद्वल मुला-हज़ा कीजिये।

ऊंटों की ता'दाद	ज़कात
5 से 9 तक	एक बकरी
10 से 14 तक	दो बकरियां
15 से 19 तक	तीन बकरियां
20 से 24 तक	चार बकरियां
25 से 35 तक	ऊंट का एक साल का मादा बच्चा
36 से 45 तक	ऊंट का दो साल का मादा बच्चा
46 से 60 तक	तीन साल की ऊंटनी
61 से 75 तक	चार साल की ऊंटनी
76 से 90 तक	दो, दो साल की दो ऊंटनियां
91 से 120 तक	तीन, तीन साल की दो ऊंटनियां

ऊंटों की ज़कात में मादा ऊंटनी की जगह नर ऊंट देना कैसा ?

ऊंटों की ज़कात में मादा ऊंटनी की जगह नर ऊंट भी दिया जा सकता है मगर इस के लिये ज़रूरी है वोह कीमत में मादा से कम न हो ।

(الدرالمختار، كتاب الزكوة، باب نصاب الابل، ج 3، ص 240)

ऊंटों की ज़कात में मज़कूरा जानवरों की जगह उन की कीमत देना

ऊंटों की ज़कात में मज़कूरा जानवरों की जगह उन की कीमत भी दी जा सकती है ।

गाय की ज़कात

गाय और भेंस की ज़कात की तफ़्सील कुछ इस तरह से है :

★ कम अज़ कम 30 गायों या भेंसों पर निसाब पूरा होता है, तीस से कम में ज़कात वाजिब नहीं ।

★ 30 से 39 तक की ज़कात में साल भर का बछड़ा, या बछिया देंगे ।

★ 40 से 59 तक की ज़कात में दो सालह बछड़ा, या बछिया देंगे ।

★ 60 में साल भर के 2 बछड़े या बछिया देंगे ।

★ 70 में साल भर का 1 और एक 2 सालह बछड़ा या बछिया देंगे ।

★ 80 में 2 सालह दो बछड़े या बछिया देंगे ।

(الدرالمختار، كتاب الزكوة، باب زكوة البقر، ج 3، ص 341)

मज़ीद आसानी के लिये जद्वल मुला-हज़ा कीजिये :

गाय या भेंस की ता'दाद	ज़कात
30 हों तो	एक साल का बछड़ा या बछिया
40 हों तो	पूरे दो साल का बछड़ा या बछिया
60 हों तो	एक एक साल के दो बछड़े या बछियां
70 हों तो	एक साल का बछड़ा और एक दो साल का बछड़ा
80 हों तो	दो साल के दो बछड़े

बकरियों की ज़कात

बकरियों, बकरों, भेड़ों या दुम्बों की ज़कात की तफ़्सील कुछ इस तरह से है :

★ कम अज़ कम 40 बकरियों या बकरों वगैरा पर निसाब पूरा होता है, चालीस से कम में ज़कात वाजिब नहीं है ।

★ 40 से 120 तक की ज़कात में साल भर की बकरी या बकरा देंगे ।

★ 121 से 200 तक की ज़कात में साल भर की 2 बकरियां या बकरे देंगे ।

★ 201 से 399 तक की ज़कात में साल भर की 3 बकरियां या बकरे देंगे ।

★ 400 में साल भर की 4 बकरियां या बकरे देंगे ।

★ इस के बा'द हर सो पर एक बकरी या बकरे का इज़ाफ़ा करते चले जाएंगे ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الثاني في صدقة السوائم، الفصل الرابع، ج 1، ص 178)

मज़िद आसानी के लिये जद्वल मुला-हज़ा कीजिये :

बकरियों की ता'दाद	ज़कात
40 से 120 तक	एक बकरी
121 से 200 तक	दो बकरियां
201 से 399 तक	तीन बकरियां
400 पूरे होने पर	चार बकरियां
400 से ज़ियादा हों तो	हर सो पर एक बकरी

जानवरों की ज़कात के दीगर मसाइल कितनी उम्र के जानवरों की ज़कात वाजिब है ?

एक साल की उम्र के जानवरों की ज़कात वाजिब है म-सलन अगर 39 बकरियां साल से कम उम्र की हैं और एक साल भर का हो चुका तो अब तमाम को शामिले हिसाब किया जाएगा और अगर कोई भी साल भर का नहीं तो नहीं किया जाएगा।

(माخوذ از الجوهرة النيرة، كتاب الزكوة، باب زكوة الخيل، ج 3، ص 208)

अगर कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो ?

अगर किसी के पास ऊंट, गाएं और बकरियां हों लेकिन उन में से कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो उन को नहीं मिलाया जाएगा।

(माखوذ از الدرالمختار، كتاب الزكوة، باب زكوة المال، ج 3، ص 208)

घोड़े गधे और खच्चर की ज़कात

घोड़े गधे और खच्चर की ज़कात देना वाजिब नहीं है अगरचें साएमा हों, हां ! अगर तिजारत के लिये हों तो वाजिब है।

(माखوذ از الدرالمختار، كتاب الزكوة، باب زكوة الغنم، ج 3، ص 244)

स-द-क़ए फ़ि़त्र¹

बा'दे र-मज़ान नमाज़े ईद की अदाएगी से क़ब्ल दिया जाने वाला स-द-क़ए वाजिबा, स-द-क़ए फ़ि़त्र कहलाता है। ख़लीले मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ान बरकाती عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي फ़रमाते हैं : “स-द-क़ए फ़ि़त्र दर अस्ल र-मज़ानुल मुबारक के रोज़ों का स-दक़ा है ताकि लगव और बेहूदा कामों से रोज़े की त़हारत हो जाए और साथ ही ग़रीबों, नादारों की ईद का सामान भी और रोज़ों से हासिल होने वाली ने'मतों का शुक्रिया भी।”

(हमारा इस्लाम, हिस्सा : 7, स. 87)

“हुसैन” के चार हुरूफ़ की निस्बत से स-द-क़ए फ़ि़त्र की फ़ज़ीलत की 4 रिवायात

(1) अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अ़निल उयूब صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से इस आयते करीमा के बारे में सुवाल किया गया

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ (پ. ۳۰، الاعلیٰ: ۴: ۱۰۴) तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुवा और अपने रब का नाम ले कर नमाज़ पढी।

तो आप صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “येह आयत स-द-क़ए फ़ि़त्र के बारे में नाज़िल हुई।” (صحيح ابن خزيمة، الحديث ۳۹۷، ج ۴، ص ۹۰)

(2) सरकारे मदीनए मुनव्वरह, सरदारे मक्कए मुकर्रमा صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने ब-र-कत निशान है : “जो तुम्हारे मालदार हैं अल्लाह तआला (स-द-क़ए फ़ि़त्र देने की वजह से) उन्हें

1 : “स-द-क़ए फ़ि़त्र के फ़ज़ाइल व मसाइल” (अज़ अमीरे अहले सुन्नत الْعَالِيَةِ) का पेम्फ़लेट मक-त-बतुल मदीना से हदिय्यतन त़लब कीजिये।

पाक फ़रमा देगा और जो तुम्हारे ग़रीब हैं तो अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उन्हें इस से भी ज़ियादा देगा ।”

(सनن अबी दाउद, کتاب الزکوة، باب روى من ضاع من قمع، الحديث ۱۶۱۹، ج ۲، ص ۱۶۱)

(3) हज़रते इब्ने उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا फ़रमाते हैं, कि “स-द-क़ए फ़ित्र अदा करने में तीन फ़ज़ीलतें हैं : पहली रोज़े का क़बूल होना, दूसरी सक्नाते मौत में आसानी और तीसरी अज़ाबे क़ब्र से नजात ।”

(المبسوط للسرخسی، کتاب الزکاة، باب صدقة الفطر، ج ۲، ص ۱۱۴)

(4) हज़रते सय्यिदुना अबू ख़लदह رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ कहते हैं कि : मैं हज़रते सय्यिदुना अबुल अलिया رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ की खिदमत में हाज़िर हुवा । उन्होंने ने फ़रमाया कि कल जब तुम ईदगाह जाओ, तो मुझ से मिलते जाना । जब मैं गया तो मुझ से फ़रमाया : “क्या तुम ने कुछ खाया ?” मैं ने कहा : “हां ।” फ़रमाया : “क्या तुम नहा चुके हो ?” मैं ने कहा : “हां ।” फ़रमाया : “स-द-क़ए फ़ित्र अदा कर चुके हो ?” मैं ने कहा : “हां स-द-क़ए फ़ित्र अदा कर दिया है ।” फ़रमाने लगे : “मैं ने तुम्हें इसी लिये बुलाया था ।” फिर आप ने येह आयते करीमा ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ तिलावत की और फ़रमाया : “अहले मदीना स-द-क़ए फ़ित्र और पानी पिलाने से अफ़ज़ल कोई स-दक़ा नहीं जानते थे ।”

(تفسیر طبری، ج ۱۲، ص ۵۴۷، رقم: ۳۶۹۹۲)

स-द-क़ए फ़ित्र कब मशरूअ हुवा ?

2 सि.हि. में र-मज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए और उसी साल ईद से दो दिन पहले स-द-क़ए फ़ित्र का हुक्म दिया गया ।

(الدر المختار، کتاب الزکاة، باب صدقة الفطر، ج ۳، ص ۳۶۲)

स-द-क़ए फ़ित्र की अदाएगी की हिक्मत

हज़रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी है कि नबिय्ये करीम, रऊफ़ुरहीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने रोज़ों को लगव और बे ह्याई की बात से पाक करने के लिये और मिस्कीनों को खिलाने के लिये स-द-क़ए फ़ित्र मुक़रर फ़रमाया ।

(सनن अबी दाऊद, کتاب الزکوة، باب زکوة الفطر، الحديث 1609، ج 2، ص 107)

عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَمِي مُف़ती अहमद यार ख़ान नईमी

इस हदीस के तहत फ़रमाते हैं : या'नी फ़ित्रा वाजिब करने में 2 हिक्मतें हैं एक तो रोज़ादार के रोज़ों की कोताहियों की मुआफ़ी । अक्सर रोज़े में गुस्सा बढ़ जाता है तो बिना वजह लड़ पड़ता है, कभी झूट ग़ीबत वगैरा भी हो जाते हैं, रब तआला इस फ़ित्रे की ब-र-क़त से वोह कोताहियां मुआफ़ कर देगा कि नेकियों से गुनाह मुआफ़ होते हैं । दूसरे मसाकीन की रोज़ी का इन्तिज़ाम । (मिरआतुल मनाजीह, जि. 3, स. 43)

स-द-क़ए फ़ित्र का शर-ई हुक्म

स-द-क़ए फ़ित्र देना वाजिब है ।

(الدرالمختار، کتاب الزکوة، باب صدقة الفطر، ج 4، ص 362) सहीह बुख़ारी में अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने मुसलमानों पर स-द-क़ए फ़ित्र मुक़रर किया ।

(صحيح البخاري، کتاب الزکوة، باب فرض صدقة الفطر، الحديث: 1003، ج 1، ص 507. ملخصاً)

स-द-क़ए फ़ित्र किस पर वाजिब है ?

स-द-क़ए फ़ित्र हर उस आज़ाद मुसलमान पर वाजिब है जो मालिके निसाब हो और उस का निसाब हाज़ते अस्लिया से फ़रिग़ हो ।

(ماخوذ از الدر المختار، کتاب الزکوة، باب صدقة الفطر، ج 3، ص 365) मालिके

निसाब मर्द अपनी तरफ़ से, अपने छोटे बच्चों की तरफ़ से और अगर कोई **मजनून** (या'नी पागल) औलाद है (चाहे फिर वोह पागल औलाद बालिग़ ही क्यूं न हो) तो उस की तरफ़ से भी **स-द-क़ए फ़ि़त्र** अदा करे। हां! अगर वोह बच्चा या मजनून खुद साहिबे निसाब है तो फिर उस के माल में से फ़ि़त्रा अदा कर दे।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج ١، ص ١٩٢)

मदीना : मालिके निसाब और हाजते अस्तिया की ता'रीफ़ सफ़ह़ा नम्बर 20 पर दोबारा मुला-हज़ा कर लीजिये।

वुजूब का वक़्त

ईद के दिन सुब्हे सादिक़ तुलूअ़ होते ही स-द-क़ए फ़ि़त्र वाजिब होता है, लिहाज़ा जो शख़्स सुब्ह होने से पहले मर गया या ग़नी था फ़कीर हो गया या सुब्ह तुलूअ़ होने के बा'द काफ़िर मुसल्मान हुवा या बच्चा पैदा हुवा या फ़कीर था ग़नी हो गया तो वाजिब न हुवा और अगर सुब्ह तुलूअ़ होने के बा'द मरा या सुब्ह तुलूअ़ होने से पहले काफ़िर मुसल्मान हुवा या बच्चा पैदा हुवा या फ़कीर था ग़नी हो गया तो वाजिब है।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج ١، ص ١٩٢)

ज़कात और स-द-क़ए फ़ि़त्र में फ़र्क़

ज़कात में साल का गुज़रना, आक़िल बालिग़ और निसाबे नामी (या'नी उस में बढ़ने की सलाहिय्यत) होना शर्त है जब कि स-द-क़ए फ़ि़त्र में येह शराइत नहीं हैं। चुनान्चे अगर घर में ज़ाइद सामान हो तो माले नामी न होने के बा वुजूद अगर उस की क़ीमत निसाब को पहुंचती है तो उस के मालिक पर स-द-क़ए फ़ि़त्र वाजिब हो जाएगा। ज़कात और स-द-क़ए फ़ि़त्र के निसाब में येह

फ़र्क़ कैफ़ियत के ए'तिबार से है ।

(माخوذ از الدر المختار، كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر، ج ۳، ص ۲۰۷-۲۱۴-۳۶۵)

फ़ित्रे की अदाएगी की शराइत

स-द-क़ए फ़ित्र में भी निय्यत करना और मुसल्मान फ़कीर को माल का मालिक कर देना शर्त है ।

(ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج ۳، ص ۳۸۰)

ना बालिग़ पर स-द-क़ए फ़ित्र

ना बालिग़ अगर साहिबे निसाब हो तो उस पर भी स-द-क़ए फ़ित्र वाजिब है । उस का वली उस के माल से फ़ित्रा अदा करे ।

(माخوذ از الدر المختار، كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر، ج ۳، ص ۲۰۷-۲۱۴-۳۶۵)

मां के पेट में मौजूद बच्चे का फ़ित्रा

जो बच्चा मां के पेट में हो, उस की तरफ़ से स-द-क़ए फ़ित्र अदा करना वाजिब नहीं ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج ۱، ص ۱۹۲)

छोटे भाई का फ़ित्रा

अगर बड़ा भाई अपने छोटे ग़रीब भाई की परवरिश करता हो तो उस का स-द-क़ए फ़ित्र मालदार बाप पर वाजिब है न कि बड़े भाई पर । फ़तावा आलमगीरी में है : “छोटे भाई की तरफ़ से स-दक़ा वाजिब नहीं अगरचें वोह उस की इयाल में शामिल हो ।”

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج ۱، ص ۱۹۳)

अगर किसी का फ़ित्रा न दिया गया हो तो ?

ना बालिगी की हालत में बाप ने बच्चे का स-द-क़ए फ़ित्रा अदा न किया तो अगर वोह बच्चा मालिके निसाब था और बाप ने अदा न किया तो बालिग़ होने पर खुद अदा करे और अगर वोह बच्चा मालिके निसाब न था तो बालिग़ होने पर उस के ज़िम्मे अदा करना वाजिब नहीं ।

(الدرالمختار ووردالمختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج ۳، ص ۳۶۵)

बाप ने अगर रोज़े न रखे हों

बाप जब मालिके निसाब हो अगर्चे उस ने र-मज़ान के रोज़े न रखे हों तो स-द-क़ए फ़ित्रा ना बालिग़ बच्चों का उसी पर वाजिब है, न कि उन की मां पर ।

(الدرالمختار ووردالمختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج ۳، ص ۳۶۷-۳۶۸)

मां पर बच्चों का फ़ित्रा वाजिब नहीं

अगर बाप न हो तो मां पर अपने छोटे बच्चों की तरफ़ से स-द-क़ए फ़ित्रा देना वाजिब नहीं ।

(الدرالمختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج ۳، ص ۳۶۸)

यतीम बच्चों का फ़ित्रा

बाप न हो तो उस की जगह दादा पर अपने ग़रीब यतीम पोते, पोती की तरफ़ से स-द-क़ए फ़ित्रा देना वाजिब है जब कि येह बच्चे मालदार न हों ।

(الدرالمختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج ۳، ص ۳۶۸)

ग़रीब बाप के बच्चों का फ़ित्रा

बाप ग़रीब हो तो उस की जगह मालिके निसाब दादा पर अपने ग़रीब पोते, पोती की तरफ़ से स-द-क़ए फ़ित्रा देना वाजिब है

जब कि बच्चे मालदार न हों ।

(الدرا المختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج ٣، ص ٣٦٨)

स-द-क़ए फ़ि़त्र के लिये रोज़ा शर्त नहीं

स-द-क़ए फ़ि़त्र वाजिब होने के लिये रोज़ा रखना शर्त नहीं, लिहाज़ा किसी उज़्र म-सलन सफ़र, मरज़, बुढ़ापे या مَعَاذَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) बिला उज़्र रोज़े न रखने वाला भी फ़ि़त्रा अदा करेगा ।

(ما خود از الدر المختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج ٣، ص ٣٦٧)

ना बालिग़ मन्कूहा लड़की का फ़ि़त्रा किस पर ?

ना बालिग़ लड़की जो इस क़ाबिल है कि शोहर की ख़िदमत कर सके उस का निकाह कर दिया और शोहर के यहां उसे भेज भी दिया तो किसी पर उस की तरफ़ से स-दक़ा वाजिब नहीं, न शोहर पर न बाप पर और अगर क़ाबिले ख़िदमत नहीं या शोहर के यहां उसे भेजा नहीं तो ब दस्तूर बाप पर है फिर यह सब उस वक़्त है कि लड़की खुद मालिके निसाब न हो, वरना बहर हाल उस का स-द-क़ए फ़ि़त्र उस के माल से अदा किया जाए ।

(الدرا المختار و رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج ٣، ص ٣٦٨)

बच्चे पाकिस्तान में और बाप मुल्क से बाहर हो तो

अगर किसी के छोटे बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं और बाप मुल्क से बाहर है तो इस सूरत में बाप पर छोटे (ना बालिग़) बच्चों के स-द-क़ए फ़ि़त्र के गेहूँ की कीमत बैरूने मुल्क के हिसाब से निकालना वाजिब है । फ़तावा अ़ालमगीरी में है, स-द-क़ए फ़ि़त्र में स-दक़ा देने वाले के मकान का ए'तिबार है छोटे बच्चों के मकान का ए'तिबार नहीं ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج ١، ص ١٩٣ ملخصاً)

शबे ईद बच्चा पैदा हुवा तो.....?

शबे ईद बच्चा पैदा हुवा तो उस का भी फ़ित्रा देना होगा क्यूं कि ईद के दिन सुबहे सादिक् तुलूअ होते ही स-द-क़ए फ़ित्रा वाजिब हो जाता है, और अगर बा'द में पैदा हुवा तो वाजिब नहीं ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، باب الثامن، ج ١، ص ١٩٢)

शबे ईद मुसल्मान होने वाले का फ़ित्रा

ईद के दिन सुबहे सादिक् तुलूअ होते ही स-द-क़ए फ़ित्रा वाजिब हो जाता है, लिहाजा अगर इस वक़्त से पहले कोई मुसल्मान हुवा तो उस पर फ़ित्रा देना वाजिब है और अगर बा'द में मुसल्मान हुवा तो वाजिब नहीं ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، باب الثامن، ج ١، ص ١٩٢)

माल ज़ाएअ हो जाए तो.....?

अगर स-द-क़ए फ़ित्रा वाजिब होने के बा'द माल हलाक हो जाए तो फिर भी देना होगा क्यूं कि ज़कात व उ़श्र के बर ख़िलाफ़ स-द-क़ए फ़ित्रा अदा करने के लिये माल का बाकी रहना शर्त नहीं ।

(الدر المختار، كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر، ج ٣، ص ٣٦٦)

फ़ौत शूदा शख़्स का फ़ित्रा

अगर किसी शख़्स ने वसियत न की और माल छोड़ कर मर गया तो वु-रसा पर उस मय्यित के माल से फ़ित्रा अदा करना वाजिब नहीं क्यूं कि स-द-क़ए फ़ित्रा शख़्स पर वाजिब है माल पर नहीं, हां ! अगर वु-रसा बतौरै एहसान अपनी तरफ़ से अदा करें तो हो सकता है कुछ उन पर ज़ब्र नहीं ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكاة، الباب فى صدقة الفطر، ج ٣، ص ١٩٣)

मेहमानों का फ़ि़त्रा

ईद पर आने वाले मेहमानों का स-द-क़ए फ़ि़त्र मेज़बान अदा नहीं करेगा अगर मेहमान साहिबे निसाब हैं तो अपना फ़ि़त्रा खुद अदा करें ।
(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 296)

शादी शुदा बेटी का फ़ि़त्रा

अगर शादी शुदा बेटी बाप के घर ईद करे तो उस के छोटे बच्चों का फ़ि़त्रा उन के बाप पर है जब कि औरत का न बाप पर न शोहर पर, अगर साहिबे निसाब है तो खुद अदा करे ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 296)

बिला इजाज़त फ़ि़त्रा अदा करना

अगर बीवी ने शोहर की इजाज़त के बिग़ैर उस का फ़ि़त्रा अदा किया तो स-द-क़ए फ़ि़त्र अदा नहीं होगा । जब कि सरा-हृतन या दला-लतन इजाज़त न हो ।

(ملخصًا الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج 1، ص 193)

अगर शोहर ने बीवी या बालिग़ औलाद की इजाज़त के बिग़ैर उन का फ़ि़त्रा अदा किया तो स-द-क़ए फ़ि़त्र अदा हो जाएगा बशर्ते कि वोह उस के इयाल में हो ।

(ماخوذ از الدر المختار و رد المحتار، كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر، ج 3، ص 370)

आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ फ़तावा र-ज़विय्या में फ़रमाते हैं कि स-द-क़ए फ़ि़त्र इबादत है और इबादत में निय्यत शर्त है तो बिला इजाज़त ना मुम्किन है हां इजाज़त के लिये सरा-हृत होना ज़रूर नहीं दलालत काफ़ी है म-सलन ज़ैद उस के इयाल में है, उस का खाना पहनना सब उस के पास से होता है, इस सूरत में अदा हो जाएगा ।

(माखूज अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 20, स. 453)

स-द-क़ए फ़ि़त्र किन चीज़ों से अदा होता है

गन्दुम या इस का आटा या सत्तू निस्फ़ साअ, खजूर या मुनक्का

या जव या इस का आटा या सत्तू एक साअ। इन चार चीजों (या'नी गेहूं, जव, खजूर, मुनक्का) के इलावा अगर किसी दूसरी चीज़ से फ़ित्रा अदा करना चाहे, म-सलन चावल, जुवार, बाजरा या और कोई ग़ल्ला या और कोई चीज़ देना चाहे तो क़ीमत का लिहाज़ करना होगा या'नी वोह चीज़ आधे साअ गेहूं या एक साअ जव की क़ीमत की हो, यहां तक कि रोटी दें तो इस में भी क़ीमत का लिहाज़ किया जाएगा अगर्चे गेहूं या जव की हो।

(बहारे शरीअत, हिस्साए पन्जुम, स. 939, मुलतक़तन)

स-द-क़ए फ़ित्र की मिक्दार

साअ की तहक़ीक़ में इख़्तिलाफ़ होने के सबब स-द-क़ए फ़ित्र की मिक्दार में उ-लमाए किराम का इख़्तिलाफ़ है। फ़तावा र-ज़विय्या में है एह़तियात येह है कि जव के साअ से गेहूं दिये जाएं, जव के साअ में गेहूं तीन सो इकावन³⁵¹ रुपै भर आते हैं तो निस्फ़ साअ एक सो पछत्तर¹⁷⁵ रुपै आठ आने भर हुवा।

(फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 10, स. 295)

स-द-क़ए फ़ित्र की मिक्दार आसान लफ़ज़ों में

“एक सो पछत्तर रुपै अठन्नी भर ऊपर” (या'नी दो सैर तीन छटांक आधा तोला, या 2 किलो में से 80 ग्राम कम) वज़न गेहूं या उस का आटा या इतने गेहूं की क़ीमत एक स-द-क़ए फ़ित्र की मिक्दार है। अगर खजूर या मुनक्का (या'नी किशमिश) या जव या उस का आटा या सत्तू या उन की क़ीमत देना चाहें तो “तीन सो इकावन रुपै भर” (या'नी 4 किलो में से 160 ग्राम कम) एक स-द-क़ए फ़ित्र की मिक्दार है।

(माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जिल्द अब्वल, हिस्सा : 5, स. 938, 939)

स-द-क़ए फ़ित्र की अदाएगी का वक़्त

बेहतर येह है कि ईद की सुब्हे सादिक् होने के बा'द और ईदगाह जाने से पहले अदा कर दे।

(الدراالمختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، ج 3، ص 376)

स-द-क़ए फ़ि़त्र र-मज़ान में अदा कर दिया तो ?

फ़तावा आलमगीरी में है : अगर ईदुल फ़ि़त्र से पहले फ़ि़त्रा अदा करें तो जाइज़ है। (الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج 1، ص 193)

र-मज़ान से भी पहले स-द-क़ए फ़ि़त्र अदा करना

अगर स-द-क़ए फ़ि़त्र र-मज़ान से भी पहले अदा कर दिया तो जाइज़ है। (الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج 1، ص 192 ملخصاً)

पेशगी फ़ि़त्रा देते वक़्त साहिबे निसाब होना

अगर निसाब का मालिक होने से पहले स-दक़ा दे दिया फिर निसाब का मालिक हुवा तो सहीह है।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج 1، ص 192 ملخصاً)

अगर ईद के बा'द स-द-क़ए फ़ि़त्र दिया तो ?

आ'ला हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزْمَاتِ फ़रमाते हैं : इस (या'नी स-द-क़ए फ़ि़त्र) के देने का वक़्त वासेअ है ईदुल फ़ि़त्र से पहले भी दे सकता है और बा'द भी, मगर बा'द को ताख़ीर न चाहिये बल्कि औला येह है कि नमाजे ईद से पहले निकाल दे कि हदीस में है साहिबे निसाब के रोज़े मुअल्लक़ रहते हैं जब तक येह स-दक़ा अदा न करेगा। (फ़तावा र-जविय्या, जि. 10, स. 253)

क्या देना अफ़ज़ल है ?

गेहूं और जव के देने से उन का आटा देना अफ़ज़ल है और इस से अफ़ज़ल येह कि कीमत दे दे, ख़्वाह गेहूं की कीमत दे या जव की या खजूर की मगर ज़मानए क़हूत में खुद इन का देना कीमत देने से अफ़ज़ल है।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج 1، ص 191-192 و نور الايضاح، كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر، ص 173-174 ملقطاً)

फ़ित्रा किस को दिया जाए ?

स-द-क़ए फ़ित्र के मसारिफ़ वोही हैं जो ज़कात के हैं ।
 (عالمگیری ج ۱ ص ۱۹۴) या'नी जिन को ज़कात दे सकते हैं उन्हें फ़ित्रा भी दे सकते हैं और जिन को ज़कात नहीं दे सकते उन को फ़ित्रा भी नहीं दे सकते । लिहाज़ा ज़कात की तरह स-द-क़ए फ़ित्र की रक़म भी हीलए शर-ई के बा'द मदारिस व जामिआत और दीगर दीनी कामों में इस्ति'माल की जा सकती है ।

(फ़तावा अम्जदिय्या, जि. 1, स. 376 मुलख़ब़सन)

किससे स-द-क़ए फ़ित्र नहीं दे सकते ?

जिन्हें ज़कात नहीं दे सकते उन्हें स-द-क़ए फ़ित्र भी नहीं दे सकते । चुनान्चे सादाते किराम को स-द-क़ए फ़ित्र भी नहीं दे सकते ।

(الدر المختار و رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب صدقة الفطر، ج ۳، ص ۳۷۹)

एक शख़्स का फ़ित्रा एक ही मिस्कीन को देना

बेहतर येह है कि एक ही मिस्कीन या फ़कीर को फ़ित्रा दिया जाए अगर एक शख़्स का फ़ित्रा मुख़्तलिफ़ मसाकीन को दे दिया तब भी जाइज़ है इसी तरह एक ही मिस्कीन को मुख़्तलिफ़ अशख़ास का फ़ित्रा भी दे सकते हैं ।

(الدر المختار و رد المحتار، کتاب الزکوٰۃ، باب صدقة الفطر، مطلب فی مقدار الفطر ج ۳، ص ۳۷۷ ملخصاً)

उ़श्र का बयान¹

सुवाल : उ़श्र किसे कहते हैं ?

जवाब : ज़मीन से नफ़अ़ हासिल करने की ग़रज़ से उगाई जाने वाली शै की पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उ़श्र कहते हैं ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السادس، ج ١، ص ١٨٥، ملخصاً)

सुवाल : ज़मीन की ज़कात को उ़श्र क्यूं कहते हैं ?

जवाब : ज़मीन की पैदावार का उ़मूमन दसवां ($1/10$) हिस्सा बतौरै ज़कात दिया जाता है इस लिये इसे उ़श्र (या'नी दसवां हिस्सा) कहते हैं ।

उ़श्र के फ़ज़ाइल

सुवाल : उ़श्र देने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब : उ़श्र की अदाएगी करने वालों को इन्-आमाते आख़िरत की बिशारत है जैसा कि कुरआने पाक में अल्लाह तआला इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَا أَلْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْرِفُهُ

وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿٣٩﴾

(प: २२, स: ३९)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करो वोह उस के बदले और देगा और वोह सब से बेहतर रिज़क़ देने वाला ।

सूए ब-करह में है :

1 : येह रिसाला "उ़श्र के अहक़ाम" के नाम से मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ हो चुका है, इफ़ादियत के पेशे नज़र उस का कुछ हिस्सा इस किताब में भी शामिल किया जा रहा है ।

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْت
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
 مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَن
 يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَأْتِئِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
 مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٣٢﴾

(प. ३, अ. २११: २१२)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उन की
 कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह
 में खर्च करते हैं उस दाने की तरह जिस
 ने उगाई सात बालें। हर बाल में सो दाने
 और अल्लाह इस से भी ज़ियादा बढ़ाए
 जिस के लिये चाहे और अल्लाह वुस्तत
 वाला इल्म वाला है वोह जो अपने माल
 अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर
 दिये पीछे न एहसान रखें न तकलीफ़ दें
 उन का नेग (इन्आम) उन के रब के पास
 है और उन्हें न कुछ अन्देशा हो न कुछ
 ग़म।

सरवरे अ़ालम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने भी
 तरगीबे उम्मत के लिये कई मक़ामात पर राहे खुदा عَزَّوَجَلَّ में खर्च करने
 के कई फ़ज़ाइल बयान किये हैं : चुनान्चे

हज़रते सय्यिदुना हसन رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है कि नबिय्ये
 करीम, रऊफ़ुरहीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “ज़कात दे
 कर अपने मालों को मज़बूत क़लओं में कर लो और अपने बीमारों का
 इलाज स-दके से करो और बला नाज़िल होने पर दुआ व तज़र्रोअ (या'नी
 गिर्या व जारी) से इस्तिआनत (या'नी मदद त़लब) करो।”

(मरासिल अबी दाउद مع سنن अबी दाؤد، باب فى الصائم، ص ८)

और हज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि

नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक وَسَلَّم وَاللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : “जिस ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, बेशक अल्लाह तअ़ाला ने उस से शर दूर फ़रमा दिया ।”

(المعجم الاوسط، باب الالف، الحديث ١٥٧٩ ج ١، ص ٤٣١)

उ़शर अदा न करने का वबाल

सुवाल : उ़शर अदा न करने का क्या वबाल है ?

जवाब : उ़शर अदा न करने वाले के लिये कुरआने पाक व अहादीसे मुबा-रका में सख़्त वर्दें आई हैं। चुनान्चे अल्लाह तअ़ाला इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ
بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْرًا أَلَمْ يَلْبَسْ لَهُمُ
سَيْطُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(प २, आल عمران: १८०)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो बुख़ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दी, हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अन्क़रीब वोह जिस में बुख़ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौक़ होगा।

हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि मक्की म-दनी सरकार, दो अ़ालम के मालिको मुख़्तार وَسَلَّم وَاللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : “जिस को अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ माल दे और वोह उस की ज़कात अदा न करे तो क़ियामत के दिन वोह माल गन्जे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा जिस के सर पर दो चित्तियां होंगी (या'नी दो निशान होंगे), वोह सांप उस के गले में तौक़ बना कर डाल दिया जाएगा, फिर उस (ज़कात न देने वाले) की बाछें पकड़ेगा और कहेगा : मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा

ख़ज़ाना हूँ। इस के बा'द नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इस आयत की तिलावत फ़रमाई :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ
 بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
 خَيْرٌ لَّهُمْ لَبَلٌ هُوَ سَرُكْتُهُمْ
 سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُقُوهٗ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(पृ. २, आल عمران: १८०)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और जो
 बुख़ल करते हैं उस चीज़ में जो अल्लाह
 ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दी, हरगिज़ उसे
 अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह
 उन के लिये बुरा है अन्क़रीब वोह जिस
 में बुख़ल किया था क़ियामत के दिन
 उन के गले का तौक़ होगा ।

(صحيح البخارى، كتاب الزكوة، باب اثم مانع الزكوة، الحديث ٤٠٣، ج ١، ص ٤٧٤)

हज़रते सय्यिदुना बुरैदा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि सरकारे
 मदीना, राहते क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया :
 “जो क़ौम ज़कात न देगी अल्लाह عزّ وجلّ उसे कहत में मुब्तला फ़रमाएगा ।”

(المعجم الاوسط، الحديث ٥٧٧، ج ٣، ص ٢٧٥)

हज़रते सय्यिदुना अमीरुल मुअमिनीन उमर फ़ारूके आ'ज़म
 رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम, रऊफ़रहीम
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “खुशकी व तरी में जो माल
 तलफ़ होता है, वोह ज़कात न देने की वजह से तलफ़ होता है ।”

(کنز العمال، کتاب الزکوة، الفصل الثانی فی ترهیب مانع الزکوة، الحديث ٥٨٠٣، ج ٦، ص ١٣١)

किस पैदावार पर उश्र वाजिब है ?

सुवाल : ज़मीन की किस पैदावार पर उश्र वाजिब है ?

जवाब : जो चीजें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़अ हासिल करना मक़सूद हो ख़्वाह वोह ग़ल्ला, अनाज और फल फ़ूट हों या सब्जियां वगैरा म-सलन अनाज और ग़ल्ला में गन्दुम, जव, चावल, गन्ना, कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई, और सूरज मुखी, राई, सरसों और लूसन वगैरा ।

फलों में ख़रबूज़ा, आम, अमरूद, मालटा, लूकाट, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल, संगतरा, पपीता, नारियल, तरबूज, फ़ालसा, जामुन, लीची, लीमू, ख़ौबानी, आडू, खज़ूर, आलू बुख़ारा, गरमा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा वगैरा ।

सब्जियों में ककड़ी, टींडा, करेला, भिन्डी, तूरी, आलू, टमाटर, घियातूरी, सब्ज मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी, तूरिया, फूलगोभी, बन्दगोभी, शलगम, गाजर, चुकन्दर, मटर, पियाज, लहसन, पालक, धनिया और मुख़लिफ़ किस्म के साग और मेथी और बेंगन वगैरा । इन सब की पैदावार में से **उ़शर** (या'नी दसवां हिस्सा) या **निस्फ़ उ़शर** (या'नी बीसवां हिस्सा) वाजिब है ।

(الفتاوى الهنديه، كتاب الزكوة، الباب السادس، ج 1، ص 186)

अल्लाह तअ़ाला ने सू-रतुल अन्अाम में फ़रमाया :

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और उस का
हक़ दो जिस दिन कटे ।

(प 8, الانعام: 121)

इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, परवानए शम्ए रिसालत, अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ الرَّحْمٰن لِيخْتِ هُنَّ कि अक्सर मुफ़स्सरीन म-सलन हज़रते इब्ने अब्बास, ताऊस, हसन, जाबिर बिन ज़ैद और सईद बिन अल मुसय्यब رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ के नज़्दीक इस हक़ से मुराद उ़शर है ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, किताबुज्ज़काह, जि. 10, स. 65)

नबिय्ये करीम, रऊफ़रहीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इशाद फ़रमाया : “हर उस शै में जिसे ज़मीन ने निकाला, (उस में) उ़शर या निस्फ़ उ़शर है।”

(کنز العمال، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ النبات والفواكه، الحدیث ۱۵۸۷۳، ج ۶، ص ۱۴۰)

हज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ बयान करते हैं कि रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इशाद फ़रमाया : “जिन ज़मीनों को दरिया और बारिश सैराब करे उन में उ़शर (दसवां हिस्सा देना वाजिब) है और जो ज़मीनें ऊंट के ज़रीए सैराब की जाएं उन में निस्फ़ उ़शर (बीसवां हिस्सा वाजिब) है।”

(صحيح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب مافیه العشر او نصف عشر، الحدیث ۹۸۱، ص ۴۸۸)

सुवाल : निस्फ़ उ़शर से क्या मुराद है ?

जवाब : निस्फ़ उ़शर से मुराद बीसवां हिस्सा $1/20$ है।

(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 916)

शहद की पैदावार पर उ़शर

सुवाल : उ़शरी ज़मीन में जो शहद पैदा हो क्या उस पर भी उ़शर देना पड़ेगा ?

जवाब : जी हां। (الفتاوى الهندية، کتاب الزکاٰۃ، الباب السادس، ج ۱ ص ۱۸۶)

किस पैदावार पर उ़शर वाजिब नहीं ?

सुवाल : किन फ़स्लों पर उ़शर वाजिब नहीं ?

जवाब : जो चीज़ें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़अ हासिल करना मक्सूद न हो उन में उ़शर नहीं जैसे ईंधन, घास, बैद, सरकन्डा झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं),

खजूर के पत्ते वगैरा, इन के इलावा हर किस्म की तरकारियों और फलों के बीज कि इन की खेती से तरकारियां मक्सूद होती हैं बीज मक्सूद नहीं होते और जो बीज दवा के तौर पर इस्ति'माल होते हैं म-सलन कन्दर, मेथी और कलौंजी वगैरा के बीज, इन में भी उ़श्र नहीं है। इसी तरह वोह चीज़ें जो ज़मीन के ताबेअ हों जैसे दरख़्त और जो चीज़ दरख़्त से निकले जैसे गूंद, इस में उ़श्र वाजिब नहीं।

अलबत्ता अगर घास, बैद, झाव (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं) वगैरा से ज़मीन के मनाफ़ेअ हासिल करना मक्सूद हो और ज़मीन उन के लिये ख़ाली छोड़ दी तो इन में भी उ़श्र वाजिब है। कपास और बेंगन के पौदों में उ़श्र नहीं मगर इन से हासिल कपास और बेंगन की पैदावार में उ़श्र है।

(در مختار، کتاب الزکوٰۃ، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۵، الفتاویٰ الہندیہ،

کتاب الزکوٰۃ، الباب السادس فی زکوٰۃ زرع، ج ۱، ص ۱۸۶)

उ़श्र वाजिब होने के लिये कम अज़ कम मिक्दार

सुवाल : उ़श्र वाजिब होने के लिये ग़ल्ला, फल और सब्जियों की कम अज़ कम कितनी मिक्दार होना ज़रूरी है ?

जवाब : उ़श्र वाजिब होने के लिये इन की कोई मिक्दार मुकर्रर नहीं है बल्कि ज़मीन से ग़ल्ला, फल और सब्जियों की जितनी पैदावार भी हासिल हो उस पर उ़श्र या निस्फ़ उ़श्र देना वाजिब होगा।

(الفتاویٰ الہندیہ، المرجع السابق)

पागल और ना बालिग़ पर उ़श्र

सुवाल : अगर इन की पैदावार का मालिक पागल और ना बालिग़ हो तो उस को भी उ़श्र देना होगा ?

जवाब : उ़श्र चूँकि ज़मीन की पैदावार पर अदा किया जाता है लिहाज़ा जो भी इस पैदावार का मालिक होगा वोह उ़श्र अदा करेगा चाहे वोह मजनून (या'नी पागल) और ना बालिग़ ही क्यूं न हो ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السادس في زكوة زرع، ج ۱، ص ۱۸۵، ملخصاً)

कर्जदार पर उ़श्र

सुवाल : क्या कर्जदार को उ़श्र मुआफ़ है ?

जवाब : कर्जदार से उ़श्र मुआफ़ नहीं, इस लिये अगर कर्ज ले कर ज़मीन ख़रीदी हो या काशत कार पहले से मक्रूज़ हो या कर्ज ले कर काशत कारी की हो इन सब सूरतों में कर्जदार पर भी उ़श्र वाजिब है ।

(الدر المختار وردالمختار، كتاب الزكوة، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۴)

अ़ल्लामा अ़लम बिन उ़ला अल अन्सारी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ف़रमाते हैं

कि “ज़कात के बर ख़िलाफ़ उ़श्र मक्रूज़ पर भी वाजिब होता है ।”

(فتاوى تاتार खानیه، كتاب العشر، ج ۲، ص ۳۳۰)

शर-ई फ़कीर पर उ़श्र

सुवाल : क्या शर-ई फ़कीर पर भी उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : जी हां, शर-ई फ़कीर पर भी उ़श्र वाजिब है क्यूं कि उ़श्र वाजिब होने का सबब ज़मीने नामी (या'नी काबिले काशत) से हक़ीक़तन पैदावार का होना है, इस में मालिक के ग़नी या फ़कीर होने का कोई ए'तिबार नहीं ।

(ماخوذ من العناية والكفاية، كتاب الزكوة، باب زكاة الزروع، ج ۲، ص ۱۸۸)

उ़श्र के लिये साल गुज़रना शर्त है या नहीं ?

सुवाल : क्या उ़श्र वाजिब होने के लिये साल गुज़रना शर्त है ?

जवाब : उ़श्र वाजिब होने के लिये पूरा साल गुज़रना शर्त नहीं बल्कि साल में एक ही खेत में चन्द बार पैदावार हुई तो हर बार उ़श्र वाजिब है ।

(الدرالمختار وردالمختار، كتاب الزكوة، باب العشر، ج ٣، ص ٣١٣)

मुख़्तलिफ़ ज़मीनों का उ़श्र

सुवाल : मुख़्तलिफ़ ज़मीनों को सैराब करने के लिये अलग अलग तरीके इस्ति'माल किये जाते हैं, तो क्या हर किस्म की ज़मीन में उ़श्र (या'नी दसवां हिस्सा ही) वाजिब होगा ?

जवाब : इस सिलसिले में तफ़्सील येह है कि

★ जो खेत बारिश, नहर, नाले के पानी से (कीमत अदा किये बिगैर) सैराब किया जाए, उस में उ़श्र या'नी दसवां हिस्सा वाजिब है,

★ जिस खेत की आबपाशी डोल (या अपने ट्यूब वेल) वगैरा से हो, उस में निस्फ़ उ़श्र या'नी बीसवां हिस्सा वाजिब है,

★ अगर (नहर या ट्यूब वेल वगैरा का) पानी ख़रीद कर आबपाशी की हो या'नी वोह पानी किसी की मिल्कियत है उस से ख़रीद कर आबपाशी की, जब भी निस्फ़ उ़श्र वाजिब है,

★ अगर वोह खेत कुछ दिनों बारिश के पानी से सैराब कर दिया जाता है और कुछ डोल (या अपने ट्यूब वेल) वगैरा से, तो अगर अक्सर बारिश के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल (या अपने ट्यूब वेल) वगैरा से तो उ़श्र वाजिब है वरना निस्फ़ उ़श्र वाजिब है ।

(درمختار وردالمختار، كتاب الزكوة، باب العشر، ج ٣، ص ٣١٦)

ठेके की ज़मीनों का उ़श्र

सुवाल : क्या ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा ?

जवाब : जी हां, ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़श्र होगा ।

सुवाल : यह उ़श्र कौन अदा करेगा ?

जवाब : इस उ़श्र की अदाएगी काश्त कार पर वाजिब होगी ।

(رد المحتار، كتاب الزكوة، باب العشر، ج 3، ص 314)

अगर खुद फ़स्ल न बोई तो उ़श्र किस पर है ?

सुवाल : अगर ज़मीन का मालिक खुद खेतीबाड़ी में हिस्सा न ले बल्कि मुज़ारेओं से काम ले तो उ़श्र मुज़ारेअ पर होगा या मालिके ज़मीन पर ?

जवाब : इस सिलसिले में देखा जाएगा कि

अगर मुज़ारेअ से मुराद वोह है जो ज़मीन बटाई पर लेता है या'नी पैदावार में से आधा या तीसरा हिस्सा वगैरा मालिके ज़मीन का और बक़िय्या मुज़ारेअ का हो तो इस सूत में दोनों पर उन के हिस्से के मुताबिक उ़श्र वाजिब होगा । सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीकह, मौलाना अमजद अली आ'जमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ बहारे शरीअत में फ़रमाते हैं, "उ़श्री ज़मीन बटाई पर दी तो उ़श्र दोनों पर है ।"

(बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 921)

और अगर मुज़ारेअ से मुराद वोह है कि जिस को मालिके ज़मीन ने ज़मीन इजारे पर दी म-सलन फी एकड़ पचास हज़ार रुपिया तो इस सूत में उ़श्र मुज़ारेअ पर होगा मालिके ज़मीन पर नहीं ।

(ماخوذ از بدائع الصنائع، ج 2، ص 184)

मुश्तरिका ज़मीन का उश्र

सुवाल : जो ज़मीन किसी की मुश्तरिका मिलिक्यत हो तो उश्र कौन अदा करेगा ?

जवाब : उश्र की अदाएगी में ज़मीन का मालिक होना शर्त नहीं है बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त है इस लिये जो जितनी पैदावार का मालिक होगा वोह उस पैदावार का उश्र अदा करेगा । फ़तावा शामी में है कि “उश्र वाजिब होने के लिये ज़मीन का मालिक होना शर्त नहीं बल्कि पैदावार का मालिक होना शर्त है क्यूं कि उश्र पैदावार पर वाजिब होता है न कि ज़मीन पर, और ज़मीन का मालिक होना या न होना दोनों बराबर है ।”

(ردالمختار، كتاب الزكوة، باب العشر، ج ۳، ص ۳۱۴)

घरेलू पैदावार पर उश्र

सुवाल : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो उस पर उश्र होगा या नहीं ?

जवाब : घर या क़ब्रिस्तान में जो पैदावार हो, उस में उश्र वाजिब नहीं है ।

(الدرالمختار، كتاب الزكوة، مطلب مهم في حكم اراضى مصر والشام السلطانية، ج ۳، ص ۳۲۰)

उश्र की अदाएगी से पहले अख़राजात अलग करना

सुवाल : क्या उश्र कुल पैदावार से अदा किया जाएगा या अख़राजात वग़ैरा निकाल कर बकि़य्या पैदावार से अदा किया जाएगा ?

जवाब : जिस पैदावार में उश्र या निस्फ़ उश्र वाजिब हो, उस में कुल पैदावार का उश्र या निस्फ़ उश्र लिया जाएगा । ऐसा नहीं है कि ज़राअत, हल, बैल, हिफ़ज़त करने वाले और काम करने वालों की उजरत या बीज, खाद और अदवियात वग़ैरा के अख़राजात निकाल कर बाकी का उश्र या निस्फ़ उश्र दिया जाए ।

(الدرالمختار و ردالمختار، كتاب الزكوة، مطلب مهم في حكم اراضى مصر والشام السلطانية،

ج ۳، ص ۳۱۷)

सुवाल : हुकूमत को जो माल गुज़ारी दी जाती है क्या उसे भी पैदावार से नहीं निकाला जाएगा ?

जवाब : जी नहीं, उस माल गुज़ारी को भी पैदावार से अलग नहीं किया जाएगा बल्कि उसे भी शामिल कर के उ़श्र का हिसाब लगाया जाएगा ।

उ़श्र की अदाएगी

सुवाल : उ़श्र कब अदा करना होगा ?

जवाब : जब पैदावार हासिल हो जाए या'नी फ़स्ल पक जाए या फल निकल आएँ और नफ़ उठाने के काबिल हो जाएँ तो उ़श्र वाजिब हो जाएगा । फ़स्ल काटने या फल तोड़ने के बा'द हिसाब लगा कर उ़श्र अदा करना होगा ।

(الدراالمختار و ردالمختار، كتاب الزكوة، باب العشر، مطلب مهم في حكم اراضى.... الخ، ج 3، ص 321)

उ़श्र पेशगी अदा करना

सुवाल : क्या उ़श्र पेशगी तौर पर अदा किया जा सकता है ?

जवाब : इस की चन्द सूरतें हैं :

(1) जब खेती तय्यार हो जाए तो उस का उ़श्र पेशगी देना जाइज़ है ।

(2) खेती बोनੇ और ज़ाहिर होने के बा'द अदा किया तो भी जाइज़ है ।

(3) अगर बोनੇ के बा'द और ज़ाहिर होने से पहले अदा किया तो अज़हर (या'नी ज़ियादा ज़ाहिर) येह है कि पेशगी अदा करना जाइज़ नहीं ।

(4) फलों के ज़ाहिर होने से पहले दिया तो पेशगी देना जाइज़

नहीं और ज़ाहिर होने के बा'द दिया तो जाइज़ है ।

(फ़ताویٰ عالمگیری، کتاب الزکوة، ج ۱، ص ۱۸۶)

मदीना : अगर्चे जिक्र की गई बा'ज् सूरतों में पेशगी उ़श्र अदा करना जाइज़ है लेकिन अफ़ज़ल यह है कि पैदावार हासिल होने के बा'द उ़श्र अदा किया जाए ।

(البحر الرائق، کتاب الزکوة، ج ۲، ص ۳۹۲)

फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से मुराद

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने से क्या मुराद है ?

जवाब : इस से मुराद यह है कि खेती इतनी तय्यार हो जाए और फल इतने पक जाएं कि उन के ख़राब होने या सूख जाने वगैरा का अन्देशा न रहे अगर्चे तोड़ने या काटने के क़ाबिल न हुए हों ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 10, स. 241)

पैदावार बेच दी तो उ़श्र किस पर है ?

सुवाल : फल ज़ाहिर होने और खेती तय्यार होने के बा'द फल बेचे तो उ़श्र बेचने वाले पर होगा या ख़रीदने वाले पर ?

जवाब : ऐसी सूरत में उ़श्र बेचने वाले पर होगा ।

(माखूज़ अज़ फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 10, स. 241)

उ़श्र की अदाएगी में ताख़ीर

सुवाल : उ़श्र अदा करने में ताख़ीर करना कैसा ?

जवाब : उ़श्र पैदावार की ज़कात का नाम है इस लिये जो अहक़ाम ज़कात की अदाएगी के हैं, वोही अहक़ाम उ़श्र की अदाएगी के भी हैं । इस लिये बिगैर मजबूरी के इस की अदाएगी में ताख़ीर करने वाला गुनहगार है और उस की शहादत (या'नी गवाही) मक्बूल नहीं ।

(الفताوىٰ الهندية، کتاب الزکوة، الباب الاول، ج ۱، ص ۱۷۰)

सुवाल : अगर कोई उ़श्र वाजिब होने के बा वुजूद अदा न करे तो क्या करना चाहिये ?

जवाब : जो खुशी से उ़श्र न दे तो बादशाहे इस्लाम ज़ब्रन (या'नी ज़ब्र दस्ती) उस से उ़श्र ले सकता है और इस सूरत में भी उ़श्र अदा हो जाएगा मगर सवाब का मुस्तहिक़ नहीं और खुशी से अदा करे तो सवाब का मुस्तहिक़ है ।

(الفتاوى الهنديه، كتاب الزكوة، الباب السادس فى زكوة الزرع والثمار، ج ١، ص ١٨٥)

मदीना : याद रहे कि ज़ब्र दस्ती उ़श्र वुसूल करना बादशाहे इस्लाम ही का काम है आ़म लोगों को यह इख़्तियार हासिल नहीं है । ऐसी सूरते हाल में उसे उ़श्र अदा करने की तरगीब दी जाए और रब तआ़ला की ना राज़गी का एहसास दिलाया जाए । ऐसे लोगों को रिसाला “उ़श्र के अहक़ाम” या यह किताब “फैज़ाने ज़कात” पढ़ने के लिये तोहफ़तन पेश करना भी बेहद मुफ़ीद होगा, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** ।

उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार का इस्ति'माल

सुवाल : क्या उ़श्र अदा करने से पहले पैदावार इस्ति'माल कर सकते हैं या नहीं ?

जवाब : जब तक उ़श्र अदा न कर दे या पैदावार से उ़श्र अलग न कर ले, उस वक़्त तक पैदावार में से कुछ भी इस्ति'माल करना जाइज़ नहीं और अगर इस्ति'माल कर लिया तो उस में जो उ़श्र की मिक्दार बनती है उतना तावान अदा करे अलबत्ता थोड़ा सा इस्ति'माल कर लिया तो मुआफ़ है ।

(الدرالمختار وردالمختار، كتاب الزكوة، مطلب مهم فى حكم اراضى مصر الخ، ج ٣، ص ٣٢١، ٣٢٢)

उ़श्र देने से पहले फ़ौत हो गया तो ?

सुवाल : जिस पर उ़श्र वाजिब हो और वोह फ़ौत हो जाए और पैदावार भी मौजूद है तो क्या उस में से उ़श्र दिया जाएगा ?

जवाब : ऐसी सूरत में अगर पैदावार मौजूद हो तो उस पैदावार में से उ़श्र दिया जाएगा ।

(الفتاوى الهندية، كتاب الزكوة، الباب السادس في زكاة الزرع، ج ١، ص ١٨٥)

उ़श्र में रक़म देना

सुवाल : क्या उ़श्र में सिर्फ़ पैदावार ही देनी होगी या इस की क़ीमत भी दी जा सकती है ?

जवाब : मौजूदा फ़स्ल में से जिस क़दर ग़ल्ला या फल हों उन का पूरा उ़श्र अ़लाहिदा करे या उस की पूरी क़ीमत (बतौरै उ़श्र) दे, दोनों तरह से जाइज़ है ।

(अल फ़तावल मुस-त-फ़विध्या, स. 298)

अगर तवील अ़सें से उ़श्र अदा न किया हो तो ?

सुवाल : अगर कई साल उ़श्र अदा न किया हो तो क्या किया जाए ?

जवाब : उ़श्र की अ-दमे अदाएगी पर तौबा करे और साबिका सालों के उ़श्र का हिसाब लगा कर ब क़-दरे इस्तिताअत अदा करता रहे ।

(माखूज़ अज़ अल फ़तावल मुस-त-फ़विध्या, स. 298)

अगर फ़स्ल ही काशत न की तो ?

सुवाल : अगर ज़राअत पर क़ादिर होने के बा वुजूद किसी ने फ़स्ल काशत नहीं की तो क्या इस सूरत में भी उस पर उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : अगर किसी ने ज़राअत पर क़ादिर होने के बा वुजूद फ़स्ल काशत नहीं की तो पैदावार न होने की बिना पर उस पर उ़श्र की अदाएगी वाजिब नहीं क्यूं कि उ़श्र ज़मीन पर नहीं उस की पैदावार पर वाजिब होता है ।

(ردالمحتار، كتاب الزكوة، باب العشر، ج ٣، ص ٣٢٣)

फ़स्ल ज़ाएअ होने की सूरत में उ़श्र

सुवाल : अगर किसी वजह से फ़स्ल ज़ाएअ हो गई तो उ़श्र वाजिब होगा ?

जवाब : खेत बोया मगर पैदावार ज़ाएअ हो गई म-सलन खेती डूब गई या जल गई या सरदी और लू से जाती रही तो इन सब सूरतों में उ़श्र साक़ित है, जब कि कुल जाती रही और अगर कुछ बाकी है तो उस बाकी का उ़श्र लेंगे और अगर जानवर खा गए तो (उ़श्र) साक़ित नहीं और (उ़श्र) साक़ित होने के लिये येह भी शर्त है कि इस के बा'द उस साल के अन्दर उस में दूसरी ज़राअत तय्यार न हो सके और येह भी शर्त है कि तोड़ने या काटने से पहले हलाक हो वरना साक़ित नहीं ।

(ردالمحتار، كتاب الزكوة، ج ٣، ص ٣٢٢)

उ़श्र किस को दिया जाए

सुवाल : उ़श्र किसे दिया जाए ?

जवाब : उ़श्र चूँकि खेत की पैदावार की ज़कात का नाम है, इस लिये जिन को ज़कात दी जा सकती है उन को उ़श्र भी दिया जा सकता है ।

(الفتاوى الخانية، كتاب الزكوة، فصل فى العشر فى ما يخرج الارض، ج ١، ص ١٣٢)

ख़रीफ़ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

ख़रीफ़ : इस से मुराद मौसिमे गरमा की फ़स्लें हैं जिन की काशत मौसिमे गरमा के आगाज़ में मार्च ता जून जब कि कटाई मौसिमे गरमा के इख़िताम और ख़र्जा में अगस्त ता नवम्बर होती है ।

ख़रीफ़ की अहम फ़स्लें :

कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई, कमाद (या'नी गन्ना) और सूरज मुखी ख़रीफ़ की अहम फ़स्लें हैं दालों में दाल

मूंग, दाल माश और लौबिया ख़रीफ़ में काश्त होती हैं।

सब्ज़ियां : गर्मियों में कद्दू शरीफ़, टींडा (टिन्डा), करेला, भिन्डी, तूरी, आलू, टमाटर, घियातोरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी शामिल हैं।

फल : मौसिमे गरमा में ख़रबूज़ा, तरबूज़, आम, फ़ालसा, जामुन, लीची, लीमूं, ख़ौबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुख़ारा, गरमा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा शामिल हैं।

रबीअ की फ़स्लें, सब्ज़ियां और फल

रबीअ : इस से मुराद मौसिमे सरमा की फ़स्लें हैं जिन की काश्त मौसिमे सरमा के आगाज़ में अक्टूबर से दिसम्बर तक होती है और कटाई मौसिमे सरमा के इख़िताम और मौसिमे बहार में जनवरी ता एप्रिल होती है।

रबीअ की अहम फ़स्लें :

रबीअ की अहम फ़स्लों में गन्दुम, चना, जव, बरसीम, तूरिया, राई, सरसों और लूसन हैं दालों में मसूर की दाल रबीअ की अहम फ़स्ल है।

सब्ज़ियां : इस मौसिम की सब्ज़ियों में फूलगोभी, बन्दगोभी, शलगम, गाजर, चुकन्दर, मटर, पियाज़, लहसन, मूली, पालक, धनिया और मुख़लिफ़ किस्म के साग और मेथी शामिल हैं।

फल : रबीअ के फलों में मालटा, लूकाट, बेर, अमरूद, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, आमलोक (जापानी फल), संगतरा, पपीता और नारियल शामिल हैं। उमूमन शहद भी रबीअ की फ़स्ल के साथ ही हासिल किया जाता है।

सुवाल करने का वबाल

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आज कल सुवाल करने में कोई क़बाह्त नहीं समझी जाती । अच्छे ख़ासे तन्दुरुस्त लोग भीक मांगते दिखाई देते हैं जो कमा कर खुद भी खा सकते हैं और अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं । याद रखिये बिला इजाज़ते शर-ई सुवाल करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है ।

(फ़तावा र-ज़विय्या मुख़र्रजा, जि. 10, स. 253)

“मुमा-न-अत” के छ हुरूफ़ की निस्बत से सुवाल करने की मज़म्मत के बारे में म-दनी आक़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के 6 फ़रामीन

(1) हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी है कि शहन्शाहे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना, साहिबे मुअ़त़र पसीना, बाइसे नुज़ूले सकीना, फैज़ गन्जीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “तुम में से कोई शख्स सुवाल करता रहेगा यहां तक कि वोह अल्लाह तआला से इस हाल में मुलाक़ात करेगा कि उस के जिस्म पर गोशत का एक टुकड़ा भी नहीं होगा ।”

(صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب كراهة المسألة للناس، الحديث، ١٠٤٠، ص ٥١٨)

(2) हज़रते सय्यिदुना समुरह बिन जुन्दब رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है कि नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम, रसूले अकरम, शहन्शाहे बनी आदम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “सुवाल एक किस्म की ख़राश है कि आदमी सुवाल कर के अपने मुंह को नोचता है, जो चाहे अपने मुंह पर इस ख़राश को बाकी रखे और जो चाहे छोड़ दे ।”

(سنن ابى داؤد، كتاب الزكوة، باب ما تجوز فيه المسألة، الحديث ١٦٣٩، ج ٢، ص ١٦٨)

(3) हज़रते सय्यिदुना आयज़ बिन अम्र रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफ़ीए रोज़े शुमार, दो आलम के मालिको मुख़्तार, हबीबे परवर्द गार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “अगर लोगों को मा'लूम होता कि सुवाल करने में क्या है तो कोई किसी के पास सुवाल ले कर न जाता ।”

(سنن نسائي، كتاب الزكوة، باب المسألة ج ٥، ص ٩٥)

(4) हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जो माल बढ़ाने के लिये सुवाल करता है वोह अंगारे का सुवाल करता है तो चाहे ज़ियादा मांगे या कम का सुवाल करे ।”

(صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب كراهة المسألة للناس، الحديث، ١٠٤٠، ص ٥١٨)

(5) हज़रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी है कि हुजूरे पाक, साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जिस पर न फ़ाका गुज़रा न इतने बाल बच्चे हैं जिन की ताक़त नहीं रखता और सुवाल का दरवाज़ा खोले, अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ उस पर फ़ाके का दरवाज़ा खोल देगा ऐसी जगह से जो उस के ख़याल में भी नहीं ।”

(شعب الايمان، باب في الزكوة فضل في الاستغفار عن المسألة، الحديث ٣٥٢٦، ج ٣، ص ٢٧٤)

(6) हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी है कि अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने स-दका और सुवाल से बचने का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया : “ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला हाथ ख़र्च करने वाला है और नीचे वाला मांगने वाला ।”

(صحيح مسلم، كتاب الزكوة، باب بيان ان اليد العليا... الخ، الحديث، ١٠٣٣، ص ٥١٥)

म-दनी इल्तिजा

ज़कात अदा करने वाले खुश नसीब इस्लामी भाइयों और बहनों की खिदमत में मुअद्बाना गुज़ारिश है कि अपनी ज़कात करीबी रिश्तेदारों को दें जो ज़कात के मुस्तहिक् भी हों या फिर ऐसे मक़ाम पर देने की कोशिश फ़रमाएं जहां न सिर्फ़ इस का देना जाइज़ हो बल्कि येह स-दक़ा आप के लिये अज़ीमुश्शान सवाबे जारिया बन सके। इस को यूं समझिये कि अगर आप कोई कारोबार करना चाहें और दो किस्म के कारोबार आप के पेशे नज़र हों :

- (1) जिस में एक मर्तबा नफ़अ हासिल होगा फिर मुन्क़तेअ हो जाएगा।
- (2) जिस में नफ़अ का सिल्लिसला ता कियामत हो।

तो यकीनन आप का दिल व दिमाग़ दूसरी किस्म के कारोबार के हक़ में फैसला देगा। الْحَسْبُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ। तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर तहरीक दा'वते इस्लामी 36 से ज़ियादा शो'बाजात में म-दनी काम कर रही है। बराए करम ! अपनी ज़कात व उ़शर और स-दक़ात व ख़ैरात दा'वते इस्लामी को देने के साथ साथ अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों पर भी इन्फ़रादी कोशिश फ़रमा कर उन के ज़कात व उ़शर और दीगर अतिव्यात दा'वते इस्लामी के म-दनी मर्कज़ पर पहुंचा कर या किसी ज़िम्मादार इस्लामी भाई को दे कर या म-दनी मर्कज़ पर फ़ोन कर के किसी इस्लामी भाई को त़लब फ़रमा कर उन्हें इनायत फ़रमा दीजिये। अल्लाह عَزَّوَجَلَّ आप का सीना मदीना बनाए।

اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

म-दनी मर्कज़ (दा'वते इस्लामी)

फैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बग़ीचे के पास, मिरज़ापूर, अहमदआबाद, गुजरात, इन्डिया।

फ़ोन : 09327126325

www.dawateislami.net

दा'वते इस्लामी की झलकियां

अज़ : शैखे तरीक़त अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी
हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार
कादिरि र-ज़वी ज़ियाई **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ**

(1) 66 मुमालिक : **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की अलमगीर गैर सियासी तहरीक "दा'वते इस्लामी" ता दमे तहरीर दुन्या के तक़ीबन 66 मुमालिक में अपना पैग़ाम पहुंचा चुकी है और आगे कूच जारी है। (2) कुफ़फ़ार में तब्लीग़ : लाखों बे अमल मुसल्मान, नमाज़ी और सुन्नतों के आदी बन चुके हैं। मुख़ालिफ़ मुमालिक में कुफ़फ़ार भी मुबल्लिगीने दा'वते इस्लामी के हाथों मुशर्रफ़ ब इस्लाम होते रहते हैं। (3) म-दनी काफ़िले : आशिक़ाने रसूल के सुन्नतों की तरबिय्यत के बे शुमार म-दनी काफ़िले मुल्क ब मुल्क, शहर ब शहर और करिया ब करिया सफ़र कर के इल्मे दीन और सुन्नतों की बहरें लुटा रहे और नेकी की दा'वत की धूमें मचा रहे हैं। (4) म-दनी तरबिय्यत गाहें : मु-तअहद मक़ामात पर म-दनी तरबिय्यत गाहें काइम हैं जिन में दूरो नज़्दीक से इस्लामी भाई आ कर क़ियाम करते, आशिक़ाने रसूल की सोहबत में सुन्नतों की तरबिय्यत पाते और फिर कुर्बो जवार में जा कर "नेकी की दा'वत" के म-दनी फूल महकाते हैं। (5) मसाजिद की ता'मीर : के लिये "मजलिसे खुद्दामुल मसाजिद" काइम है, मु-तअहद मसाजिद की ता'मीरात का हर वक़त सिल्लिसला रहता है, कई शहरों में "म-दनी मर्कज़ फ़ैज़ाने मदीना" की ता'मीरात का काम भी जारी है। (6) आइम्माए मसाजिद : बे शुमार मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िनीन और ख़ादिमीन के मुशा-हरे (तन-ख़्वाहों) की अदाएगी का भी सिल्लिसला है। (7) गूंगे, बहरे और नाबीना : इन के अन्दर भी म-दनी काम हो रहा है और इन के म-दनी काफ़िले भी सफ़र करते रहते हैं। (8) जेलख़ाने : कैदियों की ता'लीम व तरबिय्यत के लिये जेलख़ानों में भी म-दनी काम की तरकीब है। कराची सेन्ट्रल जेल में कैदियों को अ़लिम बनाने के लिये जामिअतुल मदीना का भी सिल्लिसला है। कई डाकू और जराइम पेशा अपराद जेल के अन्दर होने वाले म-दनी कामों से मु-तअस्सिर हो कर ताइब होने के बा'द रिहाई पा कर आशिक़ाने रसूल के साथ म-दनी काफ़िलों के मुसाफ़िर बनने और सुन्नतों भरी ज़िन्दगी गुज़ारने की सआदत पा रहे हैं, आ-तशीं अस्लिहा के ज़रीए अन्धाधुंद गोलियां बरसाने वाले अब सुन्नतों के म-दनी फूल बरसा रहे हैं !

मुबल्लिगीन की इन्फ़रादी कोशिशों के बाइस कुफ़्फ़ार कैदी भी मुशर्रफ़ ब इस्लाम हो रहे हैं। (9) इज्तिमाई ए'तिकाफ़ : दुन्या की बे शुमार मसाजिद में माहे र-मज़ानुल मुबारक के 30 दिन और आख़िरी अ-शरह में इज्तिमाई ए'तिकाफ़ का एहतियाम किया जाता है। इन में हज़ारहा इस्लामी भाई इल्मे दीन हासिल करते, सुन्नतों की तरबियत पाते हैं। नीज़ कई मो'तकिफ़ीन चांदरात ही से आशिक़ाने रसूल के साथ सुन्नतों की तरबियत के म-दनी काफ़िलों के मुसाफ़िर बन जाते हैं। (10) हज़ के बा'द सब से बड़ा इज्तिमाअ : दुन्या के मुख़्तलिफ़ मुमालिक में हज़ारों मक़ामात पर होने वाले हफ़्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाअत के इलावा आलमी और सूबाई सत्ह पर भी सुन्नतों भरे इज्तिमाअत होते हैं। जिन में हज़ारों, लाखों आशिक़ाने रसूल शिक़त करते हैं और इज्तिमाअ के बा'द खुश नसीब इस्लामी भाई सुन्नतों की तरबियत के म-दनी काफ़िलों के मुसाफ़िर भी बनते हैं। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ़ (पाकिस्तान) में वाकेअ सहराए मदीना के कसीर रक़्बे पर हर साल तीन दिन का बैनल अक़वामी सुन्नतों भरा इज्तिमाअ होता है। जिस में दुन्या के कई मुमालिक से म-दनी काफ़िले शिक़त करते हैं। बिला शुबा येह मुसल्मानों का हज़ के बा'द सब से बड़ा इज्तिमाअ होता है। सहराए मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान और सहराए मदीना बाबुल मदीना कराची का कसीर रक़्बा दा'वते इस्लामी की मिलिक्यत है। (11) इस्लामी बहनों में म-दनी इन्क़िलाब : इस्लामी बहनों के भी शर-ई पर्दे के साथ मु-तअद्दद मक़ामात पर हफ़्तावार इज्तिमाअत होते हैं। ला ता'दाद बे अमल इस्लामी बहनें बा अमल, नमाज़ी और म-दनी बुर्क़ाओं की पाबन्द हो चुकी हैं। दुन्या के मुख़्तलिफ़ मुमालिक में अक्सर घरों के अन्दर इन के तक़ीबन रोज़ाना हज़ारों मदारिस बनाम मद्र-सतुल मदीना (बराए बालिगात) भी लगाए जाते हैं, एक अन्दाज़े के मुताबिक़ फ़क़त बाबुल मदीना (कराची) में इस्लामी बहनों के 1317 मद्रसे तक़ीबन रोज़ाना लगते हैं जिन में 12017 इस्लामी बहनें कुरआने पाक, नमाज़ और सुन्नतों की मुफ़्त ता'लीम पातीं और दुआएं याद करती हैं। (12) म-दनी इन्आमात : इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों और तु-लबा को फ़राइज़ व वाजिबात, सुन्नत व मुस्तहब्बात और अख़्ताक़िय्यात का पाबन्द बनाने और मोहलिकात (या'नी गुनाहों) से बचने के लिये म-दनी इन्आमात की सूरत में एक निज़ामे अमल दिया गया है। बे शुमार इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें और तु-लबा म-दनी इन्आमात के मुताबिक़ अमल कर के रोज़ाना सोने से क़ब्ल "फ़िक़्रे मदीना" या'नी अपने आ'माल का जाएज़ा ले कर कार्ड या पॉकिट

साइज़ रिसाले में दिये गए ख़ाने पुर करते हैं। (13) म-दनी मुज़ा-करात : बसा अवकात म-दनी मुज़ा-करात के इज्तिमाआत का इन्फ़काद भी होता है जिस में अकाइदो आ'माल, शरीअत व तरीक़त, तारीख़ो सीरत, तिबाबत व रूहानिय्यत वगैरा **मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत** पर पूछे गए सुवालात के जवाबात दिये जाते हैं। (येह जवाबात खुद अमीरे अहले सुन्नत **بِرْكَاتِهِمُ الْعَالِيَهُ** देते हैं। **मजलिसे मक-त-बतुल मदीना**) (14) **रूहानि इलाज और इस्तिख़ारा** : दुख्यारे मुसल्मानों का ता'वीज़ात के ज़रीए फ़ी सबीलिल्लाह इलाज किया जाता है नीज़ इस्तिख़ारा करने का सिल्लिसला भी है। माहाना कमो बेश डेढ़ लाख मुसल्मान इस से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। (15) **हुज्जाज की तरबिय्यत** : हज़ के मौसिमे बहार में हाजी केम्पो में **मुल्लिगीने दा'वते इस्लामी हाजियों की तरबिय्यत** करते हैं। हज़ व ज़ियाराते मदीनए मुनव्वरह में रहनुमाई के लिये मदीने के मुसाफ़िरो को **हज़ की किताबें भी मुफ़्त** पेश की जाती हैं। (16) **ता'लीमी इदारे** : ता'लीमी इदारों म-सलन दीनी मदारिस, स्कूलज़, कोलिजिज़ और यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा व तु-लबा को मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** की सुन्नतों से रू शनास करवाने के लिये भी म-दनी काम हो रहा है। बे शुमार तु-लबा सुन्नतों भरे इज्तिमाआत में शिर्कत करते हैं नीज़ म-दनी काफ़िलों के मुसाफ़िर भी बनते रहते हैं। **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** मु-तअद्द दुन्यवी उलूम के दिल दादह **बे अमल तु-लबा, नमाज़ी और सुन्नतों के आदी** हो गए। छुट्टियों में दीनी तरबिय्यत के लिये **“फ़ैज़ाने कुरआनो हदीस कोर्स”** की भी तरकीब की जाती है। (17) **जामिअतुल मदीना** : कसीर जामिआत बनाम **“जामिअतुल मदीना”** काइम हैं इन के ज़रीए ला ता'दाद इस्लामी भाइयों को (हस्बे ज़रूरत कियाम व तआम की सहूलतों के साथ) **“दर्से निज़ामी”** (या'नी **अ़ालिम कोर्स**) और इस्लामी बहनों को **“अ़ालिमा कोर्स”** की मुफ़्त ता'लीम दी जाती है। अहले सुन्नत के मदारिस के मुल्क गीर इदारे तन्जीमुल मदारिस (पाकिस्तान) की जानिब से लिये जाने वाले इम्तिहानात में बरसों से तक्रीबन हर साल **“दा'वते इस्लामी”** के जामिआत के तु-लबा और तालिबात पाकिस्तान में **नुमायां काम्याबी** हासिल कर के बसा अवकात अव्वल, दुवुम और सिवुम पोजीशन हासिल करते हैं। (18) **मद्र-सतुल मदीना** : अन्दरून व बैरूने मुल्क हिफ़ज़ो नाज़िरा के ला ता'दाद मदारिस बनाम **“मद्र-सतुल मदीना”** काइम हैं। पाकिस्तान में ता दमे तहरीर कमो बेश **42, 000** (बयालीस हज़ार) म-दनी मुन्ने और म-दनी मुन्नियों को हिफ़ज़ो नाज़िरा की मुफ़्त ता'लीम दी जा रही है। (19) **मद्र-सतुल मदीना (बालिग़ान) :**

इसी तरह मुख्तलिफ़ मसाजिद वगैरा में उमूमन बा'द नमाज़े इशा हज़ारहा मद्र-सतुल मदीना की तरकीब होती है जिन में इस्लामी भाई सहीह मख़ारिज से हुरूफ़ की दुरुस्त अदाएगी के साथ कुरआने करीम सीखते और दुआएं याद करते, नमाज़ें वगैरा दुरुस्त करते और सुन्नतों की ता'लीम मुफ़्त हासिल करते हैं। **(20) शिफ़ाख़ाने :** महदूद पैमाने पर शिफ़ा ख़ाने भी काइम हैं जहां बीमार तु-लबा और म-दनी अमले का मुफ़्त इलाज किया जाता है। ज़रूरतन दाख़िल भी करते हैं नीज़ हस्बे ज़रूरत बड़े अस्पतालों के ज़रीए भी इलाज की तरकीब बनाई जाती है। **(21) तख़स्सुस फ़िल फ़िक्ह :** या'नी "मुफ़्ती कोर्स" का भी सिलसला है जिस में मु-तअद्द उ-लमाए किराम इफ़्ता की तरबियत पा रहे हैं। **(22) शरीअत कोर्स :** ज़रूरियाते दीन से रू शनास करवाने के लिये अपनी नौइय्यत का मुन्फ़रिद "शरीअत कोर्स" भी शुरूअ किया गया है जिस में तमाम शो'बाहाए जिन्दगी से तअल्लुक रखने वाले इस्लामी भाई शिक़त करते हैं। इस्लामी बहनों में भी येह कोर्स जारी है। इस के लिये दा'वते इस्लामी की "मजलिसे तहकीक़ाते शरइय्या" के मुबल्लिगीन उ-लमाए किराम **كَلِمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** ने बा काइदा एक ज़ख़ीम किताब बनाम "निसाबे शरीअत (हिस्साए अब्वल)" मुत्तब फ़रमाई है जो कि मक-त-बतुल मदीना की तमाम शाख़ों से हदिय्यतन त़लब की जा सकती है। **(23) मजलिसे तहकीक़ाते शरइय्या :** मुसल्मानों को पेश आ-मदा जदीद मसाइल के हल के लिये मजलिसे तहकीक़ाते शरइय्या मस्रूफ़े अमल है जो कि दा'वते इस्लामी के मुबल्लिगीन उ-लमा व मुफ़्तियाने किराम पर मुशतमिल है। **(24) दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत :** मुसल्मानों के शर-ई मसाइल के हल के लिये मु-तअद्द "दारुल इफ़्ता" काइम किये गए हैं जहां दा'वते इस्लामी के मुबल्लिगीन मुफ़्तियाने किराम, बिल मुशाफ़, तहरीरी और मक्तूबात के ज़रीए शर-ई मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। अक्सर फ़्तावा कम्प्यूटर पर कम्पोज़ कर के दिये जाते हैं। **(25) इन्टरनेट :** इन्टरनेट की वेब साइट www.dawateislami.net के ज़रीए दुन्या भर में इस्लाम का पैग़ाम अ़ाम किया जा रहा है। **(26) ऑन लाइन दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत :** दा'वते इस्लामी की website में दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत पर दुन्या भर के मुसल्मानों की तरफ़ से पूछे जाने वाले मसाइल का हल बताया जाता, कुफ़्फ़ार के इस्लाम पर ए'तिराज़ात के जवाबात दिये जाते और उन को इस्लाम की दा'वत पेश की जाती है। **(27, 28) मक्त-बतुल मदीना और अल मदीनतुल इल्मिय्या :** इन दोनों इदारों के ज़रीए सरकारे आ'ला हज़रत और दीगर उ-लमाए अहले सुन्नत की किताबें जेवरे

तब्बअ से आरास्ता हो कर लाखों लाख की ता'दाद में अ़वाम के हाथों में पहुंच कर सुन्नतों के फूल खिला रही हैं। **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** दा'वते इस्लामी ने अपना प्रेस (Press) भी काइम कर लिया है। नीज़ सुन्नतों भरे बयानात और म-दनी मुजा-करात की लाखों केसिटें भी दुन्या भर में पहुंचीं और पहुंच रही हैं। **(29) मजलिसे तफ्तीशे कुतुबो रसाइल** : ग़ैर मोहतात कुतुब छापने के सबब उम्मेते मुस्लिमा में फैलने वाली गुमराही और होने वाले गुनाहे जारिय्या के सदे बाब के लिये "मजलिसे तफ्तीशे कुतुबो रसाइल" काइम है जो मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन की कुतुबो को अ़काइद, कुफ़्रिय्यात, अख़्लाकिय्यात, अ-रबी इबारात और फ़िक्ही मसाइल के हवाले से मुला-हज़ा कर के सनद जारी करती है। **(30) मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़** : मुबल्लिग़ीन की तरबिय्यत के लिये मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ का एहतिमाम किया जाता है म-सलन 41 दिन का म-दनी काफ़िला कोर्स, 63 दिन का तरबिय्यती कोर्स, गूंगे बहरों के लिये 30 दिन का म-दनी तरबिय्यत कोर्स, इमामत कोर्स और मुदरिस कोर्स वग़ैरहुम। **(31) ईसाले सवाब** : अपने मर्हूम अज़ीजों के नाम डलवा कर फैज़ाने सुन्नत, नमाज़ के अहक़ाम और दीगर छोटी बड़ी किताबें तक्सीम करने के ख़्वाहिश मन्द इस्लामी भाई मक-त-बतुल मदीना से राबिता करते हैं। **(32) मक-त-बतुल मदीना के बस्ते** : शादी बियाह व दीगर खुशी व ग़मी के मवाक़ेअ पर अहले ख़ाना की तरफ़ से मुफ़्त किताबें बांटने के लिये मक-त-बतुल मदीना के बस्ते (स्टोल) लगाए जाते हैं येह ख़िदमत मक़तबे का म-दनी अमला खुद पेश करता है आप सिर्फ़ राबिता फ़रमाएं। **(33) मजलिसे तराजिम** : मक-त-बतुल मदीना से शाएअ होने वाले मुख़्तलिफ़ रिसालों के मुख़्तलिफ़ ज़बानों में तराजिम कर के उसे दुन्या के कई मुमालिक में भेजने की तरकीब की जाती है। **(34) बैरूने मुल्क इज्तिमाआत** : दुन्या के कई मुमालिक में दो, दो दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमाआत का इन्डूकाद किया जाता है जहां हज़ारों मक़ामी इस्लामी भाई शिर्कत करते हैं नीज़ इन इज्तिमाआत की ब-र-कत से वक़्तन फ़ वक़्तन ग़ैर मुस्लिम, मुसल्मान हो जाते हैं फिर इन इज्तिमाआत से हाथों हाथ म-दनी काफ़िले राहे खुदा **عَزَّوَجَلَّ** में सफ़र इख़्तियार करते हैं। **(35) तरबिय्यती इज्तिमाआत** : मुल्क व बैरूने मुल्क में ज़िम्मादारान के दो/तीन दिन के तरबिय्यती इज्तिमाआत मुन्अकिद किये जाते हैं जिन में हज़ारों ज़िम्मादारान शिर्कत कर के म-दनी काम को मज़ीद बेहतर अन्दाज़ में करने का अज़्म कर के लौटते हैं। **(36) म-दनी चैनल** : **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** दा'वते इस्लामी की

मर्कज़ी मजलिसे शूरा ने ख़ूब जिद्दो जहद कर के र-मज़ानुल मुबारक 1429 सि.हि. (2008) से म-दनी चैनल के ज़रीए घर घर सुन्नतों का पैग़ाम आम पेश करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इस के हैरत अंगेज़ म-दनी नताइज आने लगे। यकीनन इस की येह ब-र-कत तो बच्चा भी समझ सकता है कि जब तक म-दनी चैनल घर या दफ़्तर वगैरा के T.V. में ओन रहेगा कम अज़ कम उस वक़्त तो मुसल्मान दूसरे गुनाहों भरे चैनलज़ से बचे रहेंगे। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ हमारी तवक्कोअ से ज़ियादा म-दनी चैनल को काम्याबी हासिल हो रही है। आज कल इब्तिदाई आजमाइशी सिल्सिलों (प्रोग्रामों) की तरकीब है और दुन्या के मुख़लिफ़ मक़ामात से रोज़ाना हज़ारों मुबारक बादियों और हौसला अफ़ज़ाइयों के पैग़ामात मौसूल हो रहे हैं। इन पैग़ामात में इस तरह की बातें भी होती हैं कि हम ने म-दनी चैनल देख कर गुनाहों से तौबा कर ली है हम नमाज़ी और सुन्नतों के आदी बनते जा रहे हैं, बल्कि कुफ़्फ़ार की इस्लाम आ-वरी की भी बहारें मौसूल हो रही हैं।

तफ़्सीली मा'लूमात के लिये रिसाला "दा'वते इस्लामी का तआरुफ़" मक-त-बतुल मदीना से हदिय्यतन त़लब कीजिये

क्या गुस्सा हाराम है ?

अवाम में येह ग़लत मशहूर है कि "गुस्सा हाराम है" गुस्सा एक ग़ैर इख़्तियारी अम्र है, इन्सान को आ ही जाता है, इस में इस का कुसूर नहीं, हां गुस्से का बे जा इस्ति'माल बुरा है। बा'ज़ सूरतों में गुस्सा ज़रूरी भी है म-सलन जिहाद के वक़्त अगर गुस्सा नहीं आएगा तो अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के दुश्मनों से किस तरह लड़ेंगे।

ماخذ و مراجع

قرآن مجید	(۱)	کلامِ باری تعالیٰ	ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
تَكْوِيْنُ الْاِيْمَانِ فِي تَرْجَمَةِ الْقُرْآنِ	(۲)	المختصر ت امام احمد رضا خان متوفی ۱۳۳۰ھ	ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور
صَحِيْحُ الْبَيْهَقِيِّ	(۳)	امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت
صَحِيْحُ مُسْلِمٍ	(۴)	امام مسلم بن حجاج بن مسلم القشیري متوفی ۲۶۱ھ	دارالان تریم بیروت
سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ	(۵)	امام ابویسلی محمد بن یسعیٰ الترمذی متوفی ۲۸۹ھ	دارالقریبیوت
سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ	(۶)	امام ابوداؤد سلیمان بن ایحییٰ متوفی ۲۷۵ھ	دار احیاء التراث العربی
سُنَنِ ابْنِ مَاجَةَ	(۷)	امام ابوعبداللہ محمد بن یزید القزوی متوفی ۲۷۳ھ	دارالقریبیوت
الْمُسْنَدُ لِلْاِمَامِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ	(۸)	امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ	دارالقریبیوت
الْمُعْتَمَدُ الْكَبِيْرُ	(۹)	امام سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ	دار احیاء التراث العربی
الْمُعْتَمَدُ الْاَوْسَطُ	(۱۰)	امام سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت
شُعَبُ الْاِيْمَانِ	(۱۱)	امام احمد بن حسین بن علی متوفی ۴۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت
مَحْمَعُ الزَّوَايِدِ	(۱۲)	حافظ نور الدین علی بن ابوبکر شیخی متوفی ۸۰۷ھ	دارالقریبیوت
التَّرْغِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ	(۱۳)	امام زکی الدین عبدالعظیم المنذری متوفی ۱۱۸۵ھ	دارالقریبیوت
المسند لابی یعلیٰ	(۱۴)	شیخ الاسلام ابویعلیٰ احمد الموصلی متوفی ۳۰۷ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت
صَحِيْحُ ابْنِ خُوَيْمَةَ	(۱۵)	امام ابوالکریم محمد بن اسحاق بن خزیمہ متوفی ۳۱۱ھ	المکتب الاسلامی بیروت
مِرا سیلِ اَبی دَاوُدَ	(۱۶)	امام ابوداؤد سلیمان بن ایحییٰ متوفی ۲۷۵ھ	باب المدینہ کراچی
اَلزَّوَاجِرُ	(۱۷)	امام ابوشیخ ابن حجر متوفی ۹۷۳ھ	دارالحدیث قاہرہ
مِرْآةُ الْمَنَاجِيْحِ	(۱۹)	مفتی احمد یار خان نصی متوفی ۱۳۹۱ھ	ضیاء القرآن کراچی
اَلذُّرُّ الْمُنْتَخَرُ	(۲۰)	علامہ علاؤ الدین محمد بن علی متوفی ۱۰۸۸ھ	دارالعرفیوت
رَدُّ الْمُنْتَخَرِ	(۲۱)	علامہ سید محمد امین بن علی متوفی ۱۲۵۲ھ	دارالعرفیوت
بِهَارِ شَرِيْعَتِ	(۲۲)	صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبہ المدینہ باب المدینہ کراچی
فَتَاوَى فِقْهِيَةِ بَلْتِ	(۲۳)	جلال الدین امجدی متوفی ۱۳۲۲ھ	لاہور
وَقَاْرُ الْقَتَاوَى	(۲۴)	علامہ وقار الدین متوفی ۱۴۱۳ھ	بزم وقار الدین کراچی
قَتَاوَى حَنْبَلِيَةٍ	(۲۵)	علامہ ملا نظام الدین متوفی ۱۱۶۱ھ	کونسل
قَتَاوَى رَشَوِيَةٍ	(۲۶)	المختصر ت امام احمد رضا متوفی ۱۳۳۰ھ	رضافاؤنڈیشن لاہور
قَتَاوَى امجدِيَةٍ	(۲۷)	مفتی امجد علی اعظمی متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبہ رضویہ لاہور
قَتَاوَى فَيْضِ الرِّسُولِ	(۲۸)	مفتی جلال الدین احمد امجدی	لاہور
قَتَاوَى سِرَاحِيَةٍ	(۲۹)	علامہ علی بن عثمان سراج الدین	باب المدینہ کراچی
قَتَاوَى الْحَاثِيَةِ	(۳۰)	علامہ عالم بن الطلاء انصاری متوفی ۷۸۶ھ	باب المدینہ کراچی
حَبِيْبُ الْفَتَاوَى	(۳۱)	مفتی حبیب اللہ شیخی	لاہور
بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ	(۳۲)	امام علاؤ الدین ابوبکر بن مسعود متوفی ۵۸۷ھ	دار احیاء التراث العربی بیروت
شرح نقایہ	(۳۳)	امام نور الدین ابوالحسن متوفی ۱۰۱۳ھ	دارالان تریم بیروت
حاشیہ الطحطاوی	(۳۴)	علامہ احمد بن طحطاوی متوفی ۱۲۳۱ھ	کونسل
غَمَزُ عِيُوْنِ الْاَبْصَارِ	(۳۵)	علامہ احمد بن محمد الحموی متوفی ۱۰۹۸ھ	کراچی
تنویر الابصار	(۳۶)	شیخ شمس الدین تمر تاشی متوفی ۱۰۰۴ھ	دارالعرفیوت بیروت



الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّمِ وَالصَّادِقِ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ إِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

सुन्नत की बहारें

तब्दीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा 'वते इस्लामी के महके महके म-दनी माहोल में ब कसरत सुन्नतें सीखी और सिखाई जाती है, हर जुमा' रात इशा की नमाज़ के बा'द आप के शहर में होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ़तावार सुन्नतों भरे इग़्तिमाअ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात गुज़ारने की म-दनी इल्तिजा है। आशिकाने रसूल के म-दनी क़ाफ़िलों में ब निय्यते सवाब सुन्नतों की तरबिव्यत के लिये सफ़र और रोज़ाना फ़िके मदीना के ज़रीए म-दनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह के इब्तिदाई दस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ करवाने का मा'मूल बना लीजिये, **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مَوْجُودٌ**। इस की ब-र-कत से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफ़रत करने और ईमान की हिफ़ाज़त के लिये कुढ़ने का ज़ेहन बनेगा।

हर इस्लामी भाई अपना येह ज़ेहन बनाए कि "मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مَوْجُودٌ**।" अपनी इस्लाह की कोशिश के लिये "म-दनी इन्आमात" पर अमल और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये "म-दनी क़ाफ़िलों" में सफ़र करना है। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مَوْجُودٌ**।

मक-त-सतुल मदीना की शाखें

मुम्बई : 19, 20, नुहम्मद अली रोड, मांडवी पोस्ट ऑफिस के सामने, मुम्बई फ़ोन : 022-23454429

देहली : 421, मटिया महल, उर्दू बाज़ार, जामेअ मस्जिद, देहली फ़ोन : 011-23284560

नागपूर : ग़रीब नवाज़ मस्जिद के सामने, सैफ़ी नगर रोड, मोमिन पुर, नागपूर : (M) 09373110621

अजमेर शरीफ़ : 19/216 फ़लाहे दौन मस्जिद, नासा बाज़ार, स्टेशन रोड, दरगाह, अजमेर फ़ोन : 0145-2629385

हैदरआबाद : पानी की टंकी, मुग़ल पुर, हैदरआबाद फ़ोन : 040-24572786

हुबली : A.J. मुशोल कोम्प्लेख, A.J. मुशोल रोड, ओल्ड हुबली ब्रीज के पास, हुबली, कर्नाटक, फ़ोन : 08363244860

मक-त-सतुल मदीना

दा'वते इस्लामी



फ़ैज़ाने मदीना, श्री कोनिया बाग़ीचे के सामने, मिरज़ापूर, अहमदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net